खण्ड-220, अंक-1
शुक्रवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(10 मार्च, 1961 ई0)

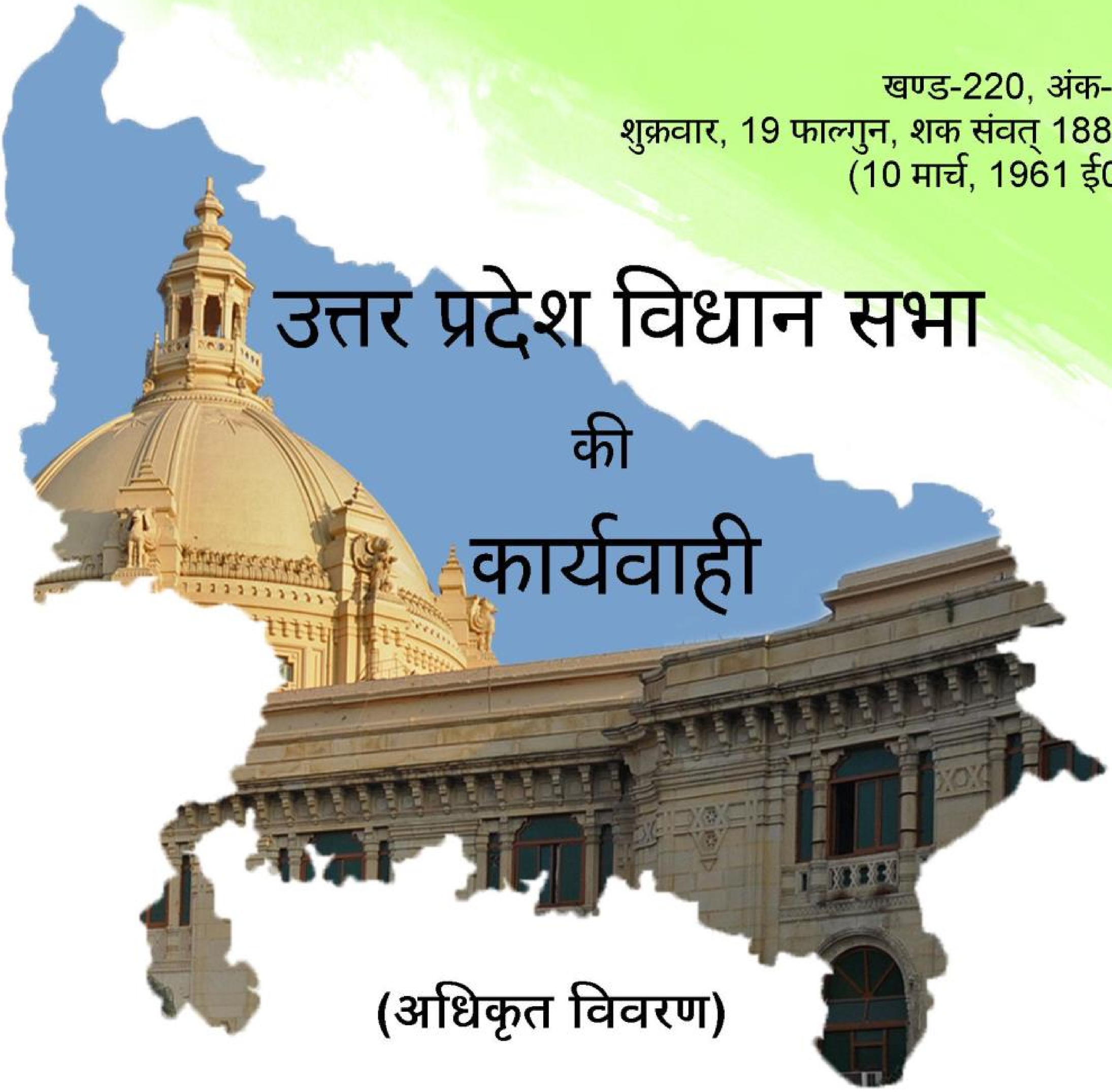

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

R.A. 30025
132562

शुक्रवार, १० मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजन्द्रसिंह, श्री
राजन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलालयादव, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १० मार्च, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कोयले की कमी दूर करने के लिये रेलवे मैनेजरों का सम्मेलन

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री द्वारा २७ फरवरी, १९६१ को प्रदेश में कोयले की कमी की समस्या को हल करने के लिये बुलाये गये विभिन्न रेलवेज के जनरल मैनेजरों के सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इस सम्मेलन में उप कोयला नियंत्रक तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि मुगलसराय से आगे उत्तर प्रदेश के लिये आने वाले वैगनों की संख्या में, वैगनों की उपलब्धि के अनुसार, अधिक से अधिक वृद्धि करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थानों पर कोयले के भण्डार स्थापित किये जायें । यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

तारांकित प्रश्न

[२४ फरवरी, १९६१ के शिक्षा मंत्री की प्रार्थना पर स्थागित प्रश्न]

एसोशियेट इंस्पेक्टर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*४७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक के अलावा एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं और क्यों ? प्रत्येक जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जिलों के नाम जहां एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल हैं :—

मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल ।

सूची संलग्न है ।

कार्य की अधिकता के कारण ऐसोशियेट इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१—८२ पर)

*४८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में लिपिकों की संख्या नियत करने का आधार क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—लिपिकों की संख्या छोटे-बड़े जिलों पर आधारित हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कार्य की अधिकता का आधार न हो कर के केवल जो ७–८ जिले इस प्रदेश में हैं उन्हीं में ये दो इंस्पेक्टर रखे गये हैं, और जिलों में नहीं हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सब से पहला कारण कार्य की अधिकता ही है । यह भी देखा जाता है कि कितना धन है जो इस विषय में खर्च किया जा सकता है । आगरा और बरेली ऐसी जगहें हैं जहां काफी संस्थायें हैं, लेकिन अबेयन्स में जगहें हैं, क्योंकि धन उपलब्ध नहीं था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नैनीताल में जो दो इंस्पेक्टर रखे गये हैं और केवल १७ हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं तो वहां पर इसकी क्या आवश्यकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, वहां के जो इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं वे कुमायूं मण्डल के अध्यक्ष भी हैं और यूरोपियन स्कूल्स के इंस्पेक्टर भी हैं । उनको और काम भी दिये हुये ह । इस वजह से दो आदमी रखना जरूरी था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक एसोशियेट इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने में कितना खर्च पड़ता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---एसोशियेट इंस्पेक्टर क्लास २ का व्यक्ति होता है । उसके वेतन का खर्च पड़ता है और उसके स्टाफ का जो कुछ होता हो ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी सरकार की उस नीति को स्पष्ट करेंगे कि कितने कालेजेज पर दो इंस्पेक्टर होने चाहिये ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तक तो ऐसा विचार था कि जहां ६० से ऊपर पाठशालायें हों वहां के लिये एक एसोशियेट इंस्पेक्टर दे दिया जाय, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि नैनीताल की विशेष परिस्थिति है इसलिये वहां पर है । अगर धन हुआ तो और जगह भी दे सकेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक और एसोशियेट इंस्पेक्टर, इन दोनों के बीच में कोई कार्य का बटवारा होता है या जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देता है और उन्हीं का वह उपयोग करता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इंचार्ज तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स होता है, लेकिन अधिकार दोनों के एक ही होते हैं । वे अपने काम का बंटवारा सुविधा के अनुसार कर लेते हैं । कहीं कुछ पाठशालायें या क्षेत्र का कुछ हिस्सा आपस में बांट लेते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मंत्री महोदय ने कहा है कि आगरे में कार्य अधिक है परन्तु पैसा न होने की वजह से वहां प्रबन्ध नहीं हो सका है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये वे निकट भविष्य में पैसे का प्रबन्ध करके क्या आगरे में एसोशियेट इंस्पेक्टर नियुक्त करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो निवेदन कर दिया कि अबेयन्स में है । वहां स्थान तो स्वीकृत है ही । कोशिश करेंगे, जब प्रबन्ध हो जायगा तो भेज दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह भी सही है कि जो लिपिकों की नियुक्ति होती है उसका आधार छोटा और बड़ा जिला नहीं रखा गया है बल्कि जो पुरानी परम्परा है उसी के अनुसार चाहे छोटा जिला हो या बड़ा जिला हो या ज्यादा स्कूल हों या कम स्कूल हों वहां लिपिकों की नियुक्ति की जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, पुरानी बात का तो असर पड़ ही सकता है । किसी जिले में जो पुराने लिपिक चले आ रहे हैं तो एकदम न तो उनको बढ़ाया ही जा सकता है और न घटाया ही जा सकता है, लेकिन साधारणतया यही नियम है कि जिले में कितना काम है और कितना बड़ा जिला है उसी के आधार पर लिपिक रखे जायं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से प्राप्त अनुदान

*१---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को बड़ी-बड़ी रकमें अनुदान के रूप में देने का इरादा प्रकट किया है ? यदि हां, तो किस यूनिवर्सिटी को और कितनी रकम ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

*२---श्री गेंदासिंह---इस प्रकार का इरादा कमीशन ने कब प्रकट किया था और उस सम्बन्ध में प्रादेशिक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह उत्तर बिलकुल टेक्नीकल तो नहीं है इसलिये कि मैंने बड़ी-बड़ी रकमें लिखी हैं ? क्या छोटी रकमों के देने का इरादा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सवाल है वह समाप्त हो चुकी है और मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अनुदान दिये हैं । मैं हर वर्ष के और हर यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकता हूं । तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी निश्चय नहीं किया है । इसकी बैठक २५ मार्च को हो रही है । उसके बाद वह निश्चय करेंगे ।

श्री गेंदासिंह---यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सामने स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से मांग रखनी पड़ती है, यदि ऐसी परिपाटी है तो क्या यह सही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने मांग नहीं रखी इसलिये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नहीं दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का कोई संबंध नहीं रहता है । वह सीधे यूनिवर्सिटी को ग्रांट देता है और यूनिवर्सिटी के जरिये कालेजेज को देते हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस शर्त पर अनुदान देता है कि हमारी सरकार यूनिवर्सिटी के लिये मैचिंग ग्रांट दे और जब सरकार मैचिंग ग्रांट देती है तब वह देता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सही है कि तीन तरह के अनुदान होते हैं एक तो ५० फीसदी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देता है और आशा करता है कि ५० फीसदी यूनिवर्सिटी दे, विद्यालय दे या स्टेट दे । दूसरा अनुदान होता है कि कमीशन दो तिहाई अनुदान देता है और वह आशा करता है एक तिहाई यूनिवर्सिटी दे, विद्यालय दे या स्टेट दे । तीसरा अनुदान वह होता है कि शतप्रतिशत वह देता है । स्टेट को इसलिये शिकायत है कि आप धन तो सीधे यूनिवर्सिटी को दे देते हैं और चाहते हैं कि स्टेट सहायता करे । स्टेट चाहती है कि उसके जरिये से बंटवारा हो तो ज्यादा ठीक है, लेकिन इस विषय में अभी कुछ हुआ नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जब अनुदान के लिये बातचीत करता है तो वह प्रदेशीय सरकार से भी राय मांगता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने तो उत्तर दिया है कि वह यूनिवर्सिटी को सीधे देता है और सरकार से कोई मश्विरा नहीं लेता ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक ग्रांट मिल सके इसके संबंध में वह विभिन्न विश्वविद्यालयों को मैंचिग ग्रांट दे सकते हैं ? यदि हां, तो इसके आंकड़े सरकार के पास हैं? यदि नहीं, तो उनको मंगाकर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अभी तो प्रदेशीय सरकार ने निश्चय नहीं किया है कि वह यूनिवर्सिटीज को मैंचिग ग्रांट दे । हमारा अपना बजट होता है और जैसा हम ठीक समझते हैं उस हिसाब से देते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जब केन्द्रीय सरकार ने और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तीन साल का डिग्री कोर्स का प्रपोजल रखा था तो उसके संबंध में एक बहुत बड़ी रकम की मांग की गई थी । उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देने के लिये तैयार था । क्या मंत्री जी इस दृष्टि से उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह विषय दूसरा है, लेकिन मुझे याद है कि जो खर्चा हो रहा था उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट ने जरूर लिखा था । लेकिन क्या स्थिति है इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी इस को ध्यान में रखते हुये कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से अधिक से अधिक ग्रांट मिले विभिन्न यूनिवर्सिटियों से पूछने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में कितनी ग्रांट की आवश्यकता होगी और वह अपने फंड में से कितना खर्च कर सकेंगे ताकि प्रदेशीय सरकार अपना प्रपोजल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सामने रख सके ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मुझे तो यह सुझाव इस समय स्वीकार नहीं है । न मैं ठीक ही समझता हूं कि हम जबर्दस्ती उनसे पूछें और उनके पीछे-पीछे जाकर उनसे कहें कि इतना रुपया ले जाओ । हम जो जरूरी समझते हैं यूनिवर्सिटीज को सहायता करना वह अपने बजट में रखते हैं ।

[१० मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर के विरुद्ध शिकायतें

*१---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को कानपुर स्थित हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर के वर्तमान प्रिन्सिपल तथा उक्त कालिज के प्रबन्धकों के विरुद्ध १९५९-६० में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

*२---**श्री मदन पांडेय**---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त शिकायतों में किस प्रकार के आरोप लगाये गये थे तथा उन पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---आरोप विभिन्न प्रकार के थे जिनमें कुछ लेखे सम्बन्धी, कुछ प्रबन्ध सम्बन्धी तथा कुछ व्यक्तिगत आरोप थे । इनके सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर द्वारा जांच जारी है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी जो आरोप लगाये गये हैं उनको संक्षेप में इस सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने वैसे तो उत्तर में लिख दिया है कि तीन तरह के आरोप थे और बाकी श्रीमन्, पूरा डाक्यूमेंट १७ सफे का है जिसमें ६० प्वाइंट्स हैं । उन्होंने सभी लेजिस्लेटर्स को उसकी प्रति भेज रखी है । वह ऐड्रेस्ड ही है टु दी मेम्बर्स आफ दी लेजिलेटिव असेम्बली ऐंड कौंसिल, उत्तर प्रदेश ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायत २२-४-५९ से भी पहले प्राप्त हुई थी तो जिला विद्यालय निरीक्षक को किन कारणों से जांच पूरी करने में इतनी देर लग रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, देर नहीं हुई । जब शिकायत आयी तो लेखे सम्बन्धी शिकायत थी । उसमें आडिट रिपोर्ट देखी गई तो पाया गया कि लेखा सम्बन्धी स्थिति तो सन्तोषजनक है । फिर इन महाशय जिन्होंने शिकायत की थी उनके खिलाफ एक मुकदमा चला जिसमें उनको सजा हुई । अपील से वह छूट गए । अपील से छूटने के बाद में उन्होंने एक आवेदन-पत्र पेश किया है कि उनको दुबारा स्थान दिया जाय । साथ साथ में जो और आरोप थे व्यक्तिगत आरोप उनके बारे में फिर दुबारा इंसपेक्टर आफ स्कूल्स को भेज गया है कि इसकी अलग जांच करें । इस बीच वह प्रिंसिपल जो इंटरमीडिएट कालेज के थे अब डिग्री कालेज के प्रिंसिपल हो गये हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह शिकायत-पत्र कब प्राप्त हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह श्रीमन्, २० अगस्त सन्, १९५९ को ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रिंसिपल मुस्लिम कालेज के कुछ समय तक अपने स्थान से अलाहिदा रखे गये और पुनः उनके अपील करने पर अपने स्थान पर रखे गए तो ऐसी हालत में क्या सवेतन उनको उस जगह पर रखा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, माननीय मोतीलाल अवस्थी जी को भ्रम हो गया । यह तो सहायक अध्यापक थे जिनके खिलाफ मुकदमा चला था । प्रिंसिपल के खिलाफ तो शिकायत थी ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक पूरी हो जायगी और जांच के दौरान क्या प्रिंसिपल के ऊपर कोई पाबन्दी रहेगी । किराये वगैरह की वसूली और हलीम मुस्लिम कालेज की प्रापर्टी के हैंडिल करने के ऊपर ? इस सिलसिले में कोई पाबन्दी उनके ऊपर लगाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने अभी यह उत्तर दिया था कि जहां तक लेखे की स्थिति का सम्बन्ध है वह तो सन्तोषजनक है । कोई ऐसी बात नहीं मिली क्योंकि उस सम्बन्ध में इंसपेक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है । जो शिकायतें हैं उनके बारे में जब रिपोर्ट आयेगी तो देखा जायगा । दूसरे, अब वह इंटरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल भी नहीं हैं, डिग्री कालेज के प्रिंसिपल हो गये हैं । तो बाकी जांच के लिए दिसम्बर १९ सन्, ६० में लिखा गया है । उस जांच की रिपोर्ट आने पर सरकार जो कार्यवाही जरूरी समझेगी वह करेगी ।

*३.—**श्री मदन पांडेय**—[२१ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ३७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*४–५—श्री ऊदल तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[२१ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ७–८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६–८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[१४ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १०–१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*९—श्री ऊदल—[२८ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*१०–१२—श्री ऊदल तथा श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[२४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

कैदियों को मजदूरी देने की योजना

*१३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १९५५–५६ को उत्तर प्रदेश जेल उद्योग समिति ने कैदियों को अच्छा काम करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु मजदूरी देने की योजना चालू किये जाने की सिफारिश की थी ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां ।

*१४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में उपर्युक्त योजना प्रदेश के कौन-कौन से कारागारों में चालू किये जाने का निश्चय किया गया है तथा इस योजना पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना रुपया खर्च किया जावेगा ?

डाक्टर सीताराम—केन्द्रीय कारागार वाराणसी और केन्द्रीय कारगार फतेहगढ़ में । वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में इस हेतु २२,००० रुपये का प्राविधान है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके खर्चे का अनुमान लगाते समय आमदनी का भी कोई तखमीना लगाया गया है ?

डाक्टर सीताराम—जेल इन्क्वायरी कमेटी ने सन् १९५५–५६ में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी की रिकमेंडेशन के अनुसार इतना रुपया इस आधार पर १९६०–६१ के बजट में रखा गया था कि यह स्कीम धीरे-धीरे और जिलों में भी चालू की जायगी, लेकिन जहां तक तखमीने का प्रश्न है उसमें जो भी आमदनी होती है जेल इंडस्ट्री से वह उनकी वेजेज के रूप में देना या किसी भी प्रकार का रिवार्ड देना उससे सम्भव नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना उक्त दोनों जेलों में लागू हो चुकी है या अभी नहीं ?

डाक्टर सीताराम—लागू हो चुकी है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको अनुभव या जांच से यह पता लगा है कि जब से कैदियों को जेल के अन्दर रोजी दी जाने लगी है तब से यह देखते हुये कि बाहर लोगों को रोजी नहीं मिलती ज्यादा लोग जेल के अन्दर जाने लगे हैं ?

(हंसी कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में सरकार इस योजना को उत्तर प्रदेश की किन-किन जेलों में तात्कालिक रूप से प्रोत्साहन देने के लिये लागू करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—अभी तो सिर्फ दो सेन्ट्रल जेलों में यह स्कीम लागू की गई है। जहां तक अन्य जेलों की बात है जब तक अनुभव के आधार पर उसमें कोई कामयाबी नहीं देखते तब तक अन्य जेलों में लागू करना ठीक नहीं होगा। अभी इसके लिये नियम बन चुके हैं और बनाये जा रहे हैं। इन जेलों के अन्दर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जैसे टैक्सटाइल, अम्बर चरखा, दसुती का कपड़ा, दरी, टाटपट्टी वगैरा वाराणसी जेल के अन्दर यह सब काम किया जा रहा है, लेकिन किस आधार पर उनको बोनस रिवार्ड या वेजेज दी जाय इस पर अभी विचार हो रहा है। तखमीना लगाया गया है और लगने के पश्चात इस को और जेलों में प्रसारित करने की योजना बनाई जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कम से कम अम्बर चरखे की योजना को और जेलों में लागू करने के विषय में उनके समक्ष क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये कोई कठिनाई नहीं है। बहुत सी जेलों में अम्बर चरखे काम करते भी हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की छानबीन करेंगे कि जेलों में अधिकांश जेल ऐसी हैं जहां पर कैदियों को दिन भर काम करने को नहीं मिलता है तो "आइडल माइन्ड इज़ दि डेविल्स वर्कशाप" को ध्यान में रखते हुये उन कारावासों में कोई योजना उद्योग विभाग की ओर से लागू करेंगे जिससे वह लोग काम में लग सकें ?

डाक्टर सीताराम—यह बात सत्य है इसी आधार पर काम करने की यह योजना लागू की है और दो कारागारों में इसको चालू किया गया है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कारावासों में कैदियों को रिगरेस इम्प्रिजन्मेन्ट होता है वे किस हालत में इस योजना से लाभ उठा सकते हैं ?

डाक्टर सीताराम—सपरिश्रम कैदियों को, जो उनका आउट पुट होगा, उसके ऊपर उनको बोनस, रिवार्ड या वेजेज मिलती हैं। इसी तरह से उनके पूरे टाइम में कुछ रेमिशन भी होगा। इन सब बातों पर अभी विचार किया जा रहा है।

स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता

*१५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६०-६१ में उसने स्वशासन विभाग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के मंहगाई के भत्ते में वृद्धि की जो घोषणा की थी वह कार्यान्वित हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में आदेश कब जारी किये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—इन अध्यापकों के सम्बन्ध में ९ मार्च, १९६१ को और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में २३ दिसम्बर, १९६० को।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेश जिला परिषद् के अध्यापकों के सम्बन्ध में भी जारी कर दिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वही तो प्रश्न है जिसका मैंने उत्तर दिया है।

श्री ऊदल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों के संबंध में जो कल आदेश जारी हुए हैं, उनमें इतनी देरी होने का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसका असर तो उन पर कुछ नहीं पड़ता, हम तो १ अप्रैल, १९६० से ही देंगे · · · · · ·

श्री अध्यक्ष—देर क्यों हुई यह बतलाइये ।

श्री रामस्वरूप यादव—विभाग में बहुत सी दिक्कतें हुआ करती हैं । पहले तो स्थानीय संस्थाओं के संबंध में आंकड़े ठीक होने चाहिये ताकि बजट में ठीक धनराशि रख दी जाय । दूसरे बहुत-सी ऐसी कठिनाइयां होती हैं कि जिनको कार्यालय ही समझ सकता है । उनके लिये लिखा-पढ़ी चल रही थी और अब यह आदेश हो गये हैं । हम रुपया तो एक अप्रैल से ही देंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने में सरकार को सालाना कुल कितना खर्च बरदाश्त करना पड़ेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त तो रकम याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि सप्ली-मेंटरी बजट में हम ने वह रकम बतलायी है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आदेश दिये गये हैं वे केवल कागज पर ही कार्यान्वित किये गये हैं अथवा विभिन्न लोकल बाडीज को रुपया भी सरकार ने भिजवा दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—लोकल बाडीज को पूरा रुपया भेज दिया जायगा ।

(व्यवधान)

आदेश जारी हो गये हैं, बजट में रुपया दिया जायगा और तनख्वाह उनको मिलेगी ।

श्री प्रतापसिंह—धन्यवाद ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इन अध्यापकों को वेतन मिलने में देरी होने का कारण बतलाते हुए सरकार की ओर से बतलाया गया कि रुपया यहां से भेज दिया गया, लेकिन वहां वितरण नहीं हुआ और ठीक उसी प्रकार से मंहगाई भत्ते की बात बतलाते हुए सरकार की ओर से पता चला कि करीब-करीब साल भर के उपरांत इसकी व्यवस्था हो सकी, तो इस देरी के संबंध में क्या सरकार विचार करके कोई ऐसी व्यवस्था अपनायेगी कि जिसमें वेतन और मंहगाई भत्ता समय पर मिल जाया करे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसमें दोनों विषय अलग-अलग हैं । वेतन का प्रश्न स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है । सरकार चार हिस्सों में उनको अनुदान दिया करती है और उस हिसाब से उनको अनुदान पहुंच जाता है । महंगाई के सिलसिले में इस आदेश के निकलने में कुछ देरी हो गयी, लेकिन जैसा मैंने पहले बतलाया कि आदेश निकलने में अवश्य देरी हुई, लेकिन रुपया तो उनको पहले से ही मिलेगा ।

वाराणसी कमिश्नरी में नर्सरी स्कूल न होना

*१६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या वह वाराणसी शहर में नर्सरी स्कूल खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

*१७—**श्री ऊदल**—क्या वाराणसी कमिश्नरी में वाराणसी के अलावा अन्य कहीं पर भी नर्सरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में, जिसकी आबादी करीब ८ लाख की है, एक भी नर्सरी स्कूल नहीं है और वाराणसी कमिश्नरी में कहीं भी नर्सरी स्कूल नहीं है ? तो क्या सरकार ने वहां नर्सरी स्कूल खोलने का इरादा छोड़ दिया है या तृतीय पंचवर्षीय योजना में उनका कोई इरादा खोलने का है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नर्सरी स्कूल के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित दो योजनायें थीं एक तो नर्सरी स्कूल को ग्रान्ट-इन एड देना और दूसरे सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में नर्सरी कक्षायें प्रारम्भ करना। इसमें हर हर्ष ग्रान्ट-इन-एड ५ स्कूलों को दी जानी थी, इस प्रकार पांच वर्ष में २५ स्कूलों को ग्रान्ट-इन-ऐड दी जा सकती थी। दि वीसेन्ट थ्योसोफिकल स्कूल, वाराणसी, चिल्ड्रेन स्कूल, राजघाट, वाराणसी, बाल शिक्षा निकेतन, तुरी, मिर्जापुर, और बाल शिक्षा निकेतन, जौनपुर को ग्रान्ट-इन-एड मिलती है। अब श्रीमन्, जहां सरकारी विद्यालय हैं वहीं नर्सरी कक्षायें प्रारम्भ की जा सकती हैं और ग्रान्ट-इन-एड तो देते रहते हैं। ग्रान्ट-इन-एड के अलावा जो रुपया बच रहता है वह अच्छे नर्सरी स्कूलों को दिया जाता है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि नर्सरी स्कूल खोलने के लिये सरकार के पास क्या आधार है जिसके मुताबिक वह तय करती है कि फलां जगह पर स्कूल खोलने चाहिये ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने इसके दो हिस्से बतलाये। एक तो जहां स्कूल चल रहे हैं उनको ग्रान्ट-इन-एड देते हैं, दूसरे जहां सरकारी विद्यालय होते हैं वहां पर नर्सरी स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन हमारी द्वितीय योजना में हम तीन जगह सीतापुर, बदायूं और झांसी राजकीय विद्यालय में ही यह कक्षायें खोल सके।

झांसी में असिस्टेंट ट्रान्सपोर्ट अफसर का कार्यालय

*१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या मन्त्री परिवहन यह बतलाने की कृपा करेंगे कि झांसी में असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अफसर का कार्यालय खोलने का सरकार ने कब निश्चय किया था और उसके अभी तक न खोलने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—१-४-५६ से झांसी में सब-रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस खोलने का निर्णय किया गया था पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर (टेक्निकल) के पद के लिये योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण इस दफ्तर की शुरूआत ६-३-६१ के पहले न हो सकी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अफसर के क्वार्टर की व्यवस्था झांसी में हो गई है या वह अभी तक कानपुर के आफिस में ही कार्य कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने तो बताया कि अब व्यवस्था हो गई है।

श्री अध्यक्ष—वे यह जानना चाहते हैं कि वे अभी काम कानपुर में ही कर रहे हैं क्या ? इसकी जानकारी हो तो बता दें। इसकी जानकारी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अफसर के लिये कौन सी टेक्निकल योग्यतायें होनी चाहिये, जिसके कारण वह अफसर उपलब्ध नहीं हो सका ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उठता नहीं है। उन्होंने तो बताया है कि वह अफसर उनको अब मिल गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि कोई योग्य असिस्टेंट टेक्नीकल ट्रान्सपोर्ट अफसर नहीं मिल सका, तो मैं जानना चाहूंगा कि उसकी जगह पर कौन सा अफसर कार्य करता रहा और काम किस प्रकार हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि योग्य अफसर अब मिल गया है ।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, आपने जो माननीय मन्त्री जी से स्पष्टीकरण पूछा था कि वह अफसर कानपुर में कार्य कर रहा है या नहीं, और जिसके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा, "जी नहीं" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कार्य कर रहा है या नहीं, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है, या वह कार्य ही नहीं कर रहा है, उसको वह स्पष्ट कर दें ।

श्री मुजफ्फर हसन—श्रीमन्, आपने मुझसे पूछा था कि क्या इसकी जानकारी आपको है? मैंने कहा था कि "जी नहीं"।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कार्यालय झांसी में कब तक कायम हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो बताया कि उनको जानकारी नहीं है। आप कोई सूचना देकर प्रश्न करें तो वह उसका जवाब देंगे ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता

*१९—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ५।। रुपया बढ़ा हुआ वेतन अभी नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—प्रश्नगत वृद्धि महंगाई भत्ते में हुई है। इसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

नटवरलाल को भगाने के अपराध में दण्डित जेल कर्मचारी

*२०—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २४ फरवरी, १९५७ को जिला जेल, लखनऊ से श्री नटवरलाल, हवालाती कैदी के भागने के षड्यन्त्र के सम्बन्ध में १६ अप्रैल, १९६० को स्पेशल जज, लखनऊ की अदालत से जो कर्मचारी दोषी ठहराये गये थे, उन कर्मचारियों में से कितनों को विभाग ने दण्डित किया और कितने अब भी दोषी ठहराये जाने पर भी अपने काम पर बदस्तूर हैं ?

डाक्टर सीताराम—स्पेशल जज की अदालत से जो कर्मचारी दोषी पाये गये वे सब बर्खास्त कर दिये गये ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मुकदमे में जो कर्मचारी निर्दोष ठहराये गये हैं उन कर्मचारियों को अपनी जगह पर बहाल कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—बहाल नहीं किया गया है, मुअत्तल हैं। १० में से ५ को तो डिसमिस कर दिया गया है। जैसा कि जज साहब ने फैसला किया था। इन शेष ५ में से १ जेलर रिटायर हो गया है, एक डिप्टी जेलर मर भी गया है और ३ इस समय मुअत्तल हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—जब जज न्यायालय से वे निर्दोष पाये गये, तो फिर उन्हें मुअत्तल करने का क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम—उनकी भी रेस्पांसिबिलटी थी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और कुछ बाकी भी है थोड़ी सी। इन पर शुबहा है, इसलिये वे मुअत्तल हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो ४ सज्जन मुअत्तल थे जिसमें से एक को रिटायर कर दिया गया है, वह एक दिन काम पर बुलाकर रिटायर किये गये थे ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री झारखंडेराय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ४ आदमी अदालत से निर्दोष साबित हुये, उनमें से एक को रिटायर कर दिया गया और दूसरे सज्जन मर चुके हैं और ३ बाकी हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप ४ कह रहे हैं, वह ५ कह रहे हैं।

श्री झारखंडेराय—जो बाकी रह गये हैं उनको यह देखते हुये कि काफी अर्सा हो गया मुअत्तली की हालत में और एक कोर्ट ने ऐक्विट कर दिया है निर्दोष साबित करके, तो सरकार उनको फिर से काम पर बहाल करने के विषय पर उदारतापूर्वक विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—अभी कोर्ट ने अप्रैल, १९६० में शायद फैसला दिया है और उसमें यह ठहराया है कि उन पांच कर्मचारियों पर यद्यपि केस नहीं बनता, फिर भी वह रेस्पांसिबिल थे—ये कोर्ट के वर्ड्स हैं। तो ऐसी हालत में डिपार्टमेंटल कार्यवाही उन पर हो रही है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो ५ कर्मचारी अपराधी साबित हुये वह किन-किन पदों के ऊपर थे ?

डाक्टर सीताराम—एक वार्डर, तीन अपरेंटिस वार्डर और एक रिजर्व वार्डर।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५ कर्मचारी निर्दोष घोषित किये गये थे उच्च न्यायालय से, उनमें उस जेल के जेलर भी शामिल थे और जेलर को स्थान देकर, बहाल करके, पेंशन दे दी गई, और चार ज्यों के त्यों मुअत्तल हैं ? वह किस कारण से मुअत्तल हैं ?

श्री अध्यक्ष—एक तो स्वर्ग लोक में हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, वह स्वर्ग-लोक में हों या इस लोक में, वह बहाल तो नहीं हुये। प्रश्न यह है कि केवल जेलर को बहाल करके पेंशन दे दी गई और जो यहां हैं या वहां हैं, वह सब मुअत्तल हैं ?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने माननीय राय साहब के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जिस जेलर के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि उनको सर्विस पर लाकर रिटायर किया गया तो मैंने कहा कि मुझे नोटिस की आवश्यकता है। तो उसका तो प्रश्न उठता नहीं, लेकिन एक आदमी के मर जाने के बाद ३ आदमी मुअत्तल हैं, उनका प्रश्न विचाराधीन है।

*२१—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[२४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

रुहेलखंड कुमायूं मोटर कर्मचारी यूनियन की कथित मांगें

*२२—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या रुहेलखन्ड कुमायूं मोटर कर्मचारी यूनियन के ३० अक्तूबर, १९६० को हुये अधिवेशन द्वारा पारित प्रस्तावों की सूचना सरकार को उक्त संस्था के पदाधिकारियों ने भेजी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रस्तावों में की गई मांगों के सम्बन्ध में वह क्या कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी की जानकारी में इस नाम की कोई संस्था मोटर आपरेटर्स की है, अथवा नहीं ? यदि है, तो उसकी कोई मांग आई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जरूर होगी, लेकिन मांग नहीं आयी।

*२३–२४—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—[२४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

म्युनिसिपल बोर्ड मथुरा के कुछ अध्यापकों की अपीलें

*२५—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय आगरा खंड के आयुक्त के कार्यालय में ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र पड़े हुये हैं जिनके द्वारा म्यूनिसिल बोर्ड, मथुरा के कतिपय अध्यापकों ने अपने पद से पदच्युत किये जाने अथवा अन्य प्रकार के दन्डों के विरुद्ध सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा (Through proper channel) अपील सरकार के पास भेजी है?

श्री रामस्वरूप यादव—आयुक्त, आगरा मन्डल, आगरा के कार्यालय में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं पड़ा है।

*२६—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस समय उसके पास ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र विचारार्थ हैं जो म्युनिसिपल बोर्ड, मथुरा के कतिपय अध्यापकों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा (Through proper channel) सरकार के पास अपने पद से पदच्युत किये जाने अथवा अन्य प्रकार के दन्डों के विरुद्ध अपील के रूप में भेजे गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार के पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र विराचार्थ नहीं पड़ा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १६–४–५९ को मथुरा के म्युनिसिपल बोर्ड के एक टीचर ने अपना एक आवेदन-पत्र थ्रू प्रापर चैनल, भेजा था और वह न आयुक्त के कार्यालय में है और न सरकार के यहां है? तो उस आवेदन-पत्र का क्या हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने उत्तर दिया कि पेंडिंग कोई नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे कोई ऐसा नाम देंगे तो मैं खासतौर से उसको ढुंढ़वा लूंगा।

रोडवेज की जीप गाड़ियों का कथित नीलाम

*२७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९६० में रोडवेज विभाग की कितनी जीप गाड़ियां नीलाम की गईं और जो नीलाम हो गईं वह किन-किन स्थानों पर कितने-कितने रुपयों में?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई नहीं।

*२८–२९—श्री रामस्वरूप वर्मा—[२४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज बस स्टेशन, छिबरामऊ की अधूरी इमारत

*३०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या रोडवेज बस स्टेशन, छिबरामऊ की इमारत अधूरी बनी है और अब उसका बनना बन्द है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। पुराने ठेकेदार का काम असन्तोषजनक होने के कारण कार्य बीच में रोक दिया गया था। अब निर्माण-कार्य एक दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया गया है।

रोडवेज के रनिंग स्टाफ के आवास व्यवस्था

*३१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय रोडवेज के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ठहरने के लिये मकान आदि का कोई प्रबन्ध सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन—(क) रोडवेज के रनिंग स्टाफ के लिये कुछ जगहों पर रनिंग रूम का प्रबन्ध हो चुका है। कुछ जगहों पर चालू वित्तीय वर्ष में रनिंग रूम बनाये जा रहे हैं व कुछ जगहों पर ऐसे रूम बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इसकी तफसील (ब्योरा) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) रोडवेज के अधिकारियों के ठहरने के लिये मकान आदि का प्रबन्ध करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचराधीन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३ पर)

*३२-३४—श्री गेंदासिंह—[२४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर क्षेत्र में मेलों को बस ले जाने वाले रोडवेज कर्मचारियों को आनरेरियम

*३५—श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन में प्रति वर्ष कहां-कहां मेले लगते हैं और उनसे कितनी आय रोडवेज को १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन में बस्ती, आजमगढ़, बहराइच, अयोध्या, दोहरीघाट, गाजीपुर, उजियारघाट, बलिया, देवरिया, बलरामपुर, बड़हलगंज, लोहरा, फैजाबाद, अकबरपुर, बखखारी ककरीघाट, सीताबन, सिकन्दरपुर, तरकुलहा नामक स्थानों पर प्रति वर्ष मेले लगते हैं। इन मेलों से रोडवेज को निम्नलिखित आय हुई—

				रु०
१९५७-५८	..	..	..	१,५६,३८९.६६
१९५८-५९	..	..	..	१,७२,३००.०७
१९५९-६०	..	..	..	५,०९,४८६.६९

*३६—श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर रीजन में मेले की आमदनी से रोडवेज के कर्मचारियों को भी कुछ इनाम दिया जाता है ? यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में कितना रुपया कर्मचारियों को इनाम के रूप में दिया जा चुका है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

मेले में अधिक परिश्रम करने वाले कर्मचारियों को सन् १९५८-५९ में १,५१० रु० २५ नये पैसे आनरेरियम दिया गया।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में मेले में १,७२,३००.०७ रु० की आमदनी हुई तो १,५१०.२५ रु० आनरेरियम दिया गया और १९५९-६० में ५,०९,४८६.६९ रु० की आमदनी हुई तब कितना आनरेरियम दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह अभी जेरे गौर है, दिया जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि १,५१० रु० २५ न० पै० जो आनरेरियम दिया गया है वह कितने कर्मचारियों को दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—९ कर्मचारियों को ।

श्री उग्रसेन—इस बात को देखते हुये कि समस्त रीजन में २,००० कर्मचारी हैं, कम से कम १५ मेले लगते हैं, क्या मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि केवल ९ ही कर्मचारियों को क्यों आनरेरियम दिया गया, क्या केवल उन्होंने ही मेहनत की, अन्य ने मेहनत नहीं की ?

श्री मुजफ्फर हसन—जितने कर्मचारी हैं सब मेले में नहीं होते हैं।

श्री गेंदासिंह—मन्त्री जी ने कहा कि अभी इधर का मामला जेरे गौर है तो इस बात को देखते हुये कि रोडवेज विभाग की नेकनामी उन्हीं मुलाजमीन पर होती है और अगर जल्दी फैसला हो सकता हो तो उनको अच्छा काम करने का इंसेंटिव मिल सकता है; इसलिये क्या मन्त्री जी इस बात पर गौर करेंगे कि इस मामले में जल्दी फैसला हो जाय और जल्दी पैसा मिल जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—जरूर जल्दी की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन ९ कर्मचारियों को आनरेरियम दिया गया है वह किन पदों पर हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—अलग-अलग पदों पर हैं ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सभी कर्मचारी मेले पर नहीं होते तो क्या यह बतलायेंगे कि उस मेले में कितनी बसें चल रही थीं और क्या केवल ९ कर्मचारी ही थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तफसील में नहीं दे सकता।

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज के कर्मचारियों के क्वार्टर्स

*३७—श्री उग्रसेन—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज के गोरखपुर रीजन में कितने कर्मचारियों के लिये पक्के क्वार्टर्स बने हैं और उनसे कितना किराया वसूल होता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—गोरखपुर रीजन में केवल ४ कर्मचारियों के लिये पक्के क्वार्टर्स बने हैं। उनसे फिलहाल ६३.५० रुपया मासिक किराया वसूल होता है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २ हजार कर्मचारियों में से जो केवल ४ कर्मचारियों के पक्के क्वार्टर बनाये हैं, वे कर्मचारी किन पदों पर हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ये कर्मचारी टैकनीकल साइड के हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये चार क्वार्टर जो बने हैं वे फोरमैनों के क्वार्टर हैं, लेकिन उनमें फोरमैन लोग नहीं रहते ?

श्री मुजफ्फर हसन—रहने के बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, माननीय सदस्य को होगा ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को देखते हुए कि रोडवेज के कर्मचारियों को विभिन्न सरकमस्टेन्सेज में काम करना पड़ता है और रात रात भर ड्यूटी देनी पड़ती है तथा क्वार्टर न होने से उनको मोटरों में सोना पड़ता है, निकट भविष्य में उनके लिये अधिक से अधिक क्वार्टर बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—क्वार्टर्स तो ज्यादा नहीं बन सकते हैं, कुछ रनिंग रूम्स जरूर बनाये जा रहे हैं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेन्दुवाई कलां के अध्यापकों का आवेदन-पत्र

*३८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेन्दुवाई कलां, पो० देवरिया, जिला फैजाबाद के कुछ अध्यापकों का १० सितम्बर, १९६० का कोई लिखित प्रार्थना-पत्र शिक्षा संचालक के पास आया है जिसमें अवैध रूप से अध्यापकों को रखने एवं निष्कासित करने की शिकायत की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—६ मास तक सूचना एकत्र न होने का कारण क्या है, क्या माननीय मंत्री जी इसको बतायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, १० सितम्बर, १९६० को तो यह शिकायत ही हुई थी फिर ६ माह कैसे हो गये ? सूचना एकत्र करने के बारे में तो समय उस वक्त से गिना जाता है जब प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न मार्च में पूछा गया था।

श्री अध्यक्ष—२३ फरवरी को यह भेजा गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जल्दी ही कर दी जायगी।

जे० टी० सी० अध्यापक को एल० टी० ग्रेड देने का सुझाव

*३९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि सी० टी० ट्रेन्ड अध्यापक को बी० ए० कर लेने व पांच वर्ष अध्यापन का अनुभव होने पर ट्रेन्ड ग्रेजुएट मान लिया जाता है परन्तु जे० टी० सी० अध्यापक को बी० ए० कर लेने पर भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो क्या वह उक्त भेद-भावों को दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

चूंकि जे० टी० सी०, अध्यापकों की प्रशिक्षण योग्यता सी० टी० ट्रेन्ड अध्यापकों से कम होती है इसलिये उन्हें बिना ट्रेनिंग के ट्रेन्ड ग्रेजुएट मानना सम्भव नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे जे० टी० सी० अध्यापक जिन्हें बी० ए० पास करने के अलावा ५ साल का अध्यापकी का अनुभव प्राप्त है, उनको ट्रेनिंग से मुस्तसना करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सवाल इसलिये नहीं उठता कि जो जे० टी० सी० ट्रेन्ड होते हैं उनको एल० टी० के बराबर मानना न तो ठीक ही होगा और न ऐसा सम्भव ही है। जे० टी० सी० जो होते हैं वे हाई स्कूल पास होते हैं इसलिये उनको ५ साल के बाद बी० ए० एल० टी० के बराबर मान लेना अनुचित है। जो सीधे एल० टी० पास करते हैं उनका स्तर ऊंचा होता है, इसलिये इन लोगों को एल० टी० का ग्रेड नहीं दिया जा सकता।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि हमारे प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं है, बहुत से गरीब लड़के जे० टी० सी० पास हैं, मेहनत करके एम० ए०, डी० लिट्० आदि कर लेते हैं, तो माननीय मंत्री जी एम० ए० जे० टी० सी० और बी० ए० बी० टी० की योग्यता में कैसे भेद कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, बहुत से लड़के बी० ए० बी० टी० कर लेते हैं तथा बहुत से जे० टी० सी० हाई स्कूल पास करके कर लेते हैं और छोटी तनख्वाह पर किसी स्कूल में लग कर इधर-उधर करके झटपट एम० ए०, बी० ए० या बी० टी०, एल० टी० कर लेते हैं, तो इसमें कोई योग्यता की बात नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो ग्रेजुएट ५ वर्ष तक अध्यापक का कार्य कर चुकते थे उनको सरकार तीन तीन महीने का दो यानी ६ महीने का रेफ्रेशर कोर्स करने के बाद एल० टी० की डिग्री से मुस्तसना कर देती थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले कुछ अनट्रेंड अध्यापक थे जिनके लिये इस तरह का नियम था कि इस तरह का रेफ्रेशर कोर्स वे पास करते थे, लेकिन आमतौर से उनको मुस्तसना नहीं किया जाता था। इस वक्त इस तरह का कोई नियम नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि रेफ्रेशर कोर्स आजकल भी जारी है तथा एक तरफ तो आप ऐसे ग्रेजुएट अध्यापकों को जो तीन-तीन महीने के दो रेफ्रेशर कोर्स कर लेते हैं बी० टी० से मुस्तसना करते हैं तो उन अध्यापकों को जिन्होंने एक वर्ष तक जे० टी० सी० की ट्रेनिंग ली है और जिन्हें अध्यापकी का ५ वर्ष का अनुभव भी प्राप्त है उन्हें भी इस ट्रेनिंग से मुस्तसना करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा विचार नहीं है और इसे ठीक भी नहीं समझता हूं।

जौनपुर बस स्टेशन का कैन्टीन तथा जौनपुर-शाहगंज-रामनगर बस सर्विस पर विचार

*४०—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर बस स्टेशन पर जो कैन्टीन खुली है उस पर खाद्य सामग्री निर्धारित मूल्य से ज्यादा दर पर दी जाती है तथा अखाद्य होती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

*४१—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जौनपुर-शाहगंज और जौनपुर-केराकत सड़क पर सरकारी बसें कब से चलने वाली हैं तथा जौनपुर जिले में और कौन-कौन सी सड़कों को राजकीय रोडवेज के लिये लिया जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जौनपुर-शाहगंज तथा जौनपुर-रामनगर वाया शाहगंज मार्गों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यक कार्यवाही हो रही है। आशा है कि चालू बित्तीय वर्ष में सरकारी बसें इन दोनों मार्गों पर चलने लगेंगी। चालू वित्तीय वर्ष में जौनपुर जिले के अन्य किसी मार्ग के राष्ट्रीयकरण का विचार नहीं है।

इंटरमीडियेट एजूकेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन योजना का परिवर्तन

*४२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत निर्मित प्रशासन योजना प्रदेश की समस्त शिक्षा संस्थाओं में लागू हो गयीं हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रशासन योजना समस्त शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं हो सकी है क्योंकि अनेक संस्थाओं से निश्चित अवधि के भीतर उनकी योजना प्राप्त नहीं हुई। संस्थाओं के द्वारा शिक्षा विभाग की स्वीकृति हेतु प्रशासन योजना प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् योजना की जांच करने में समय लग जाता है, और इस कारण स्वीकृति के लिये ६ माह का समय रक्खा गया है। यदि योजना में संशोधन आवश्यक होते हैं तो संस्था को प्रतिवेदन के लिये तीन माह का समय दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १२-४-६० को एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया कि १ नवम्बर, १९५९ को यह योजना तैयार की गयी और ३१ अक्तूबर, १९६० को इसकी अवधि समाप्त हो जायगी, तो उस उत्तर के अनुकूल यह उत्तर न होने का कारण क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव—वह उत्तर ठीक ही था। ३१ अक्तूबर, १९६० को वह अवधि समाप्त हो गयी। तब तक सब संस्थाओं को अपनी योजना को भेज देना चाहिये था, लेकिन इसी बीच में तीन जगह पर रिट दायर हो गया। रिट का उद्देश्य तो यही था कि उन संबन्धित पाठशालाओं के खिलाफ जिन्होंने इस विषय के रिट दायर किये हैं तब तक कोई कार्यवाही न हो जब तक कि कोई फैसला न हो जाय, लेकिन फिर भी इस योजना को हम ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं इसलिये इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के मातहत कोई कार्यवाही नहीं की गयी कि अब भी जो योजना भेज देंगे उन पर हम विचार कर लेंगे। क्योंकि लड़ाई करके तो कोई काम चलेगा नहीं। अब भी जो लोग भेज देते हैं और भेज भी रहे हैं उनको हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग इस इन्तजार में नहीं भेज रहे हैं कि जब रिट का फैसला हो जाय तभी भेजें। हम बार-बार उनको लिख रहे हैं कि वे लोग अपनी योजना भेज दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत इन संस्थाओं को अपनी योजना को ३१ अक्तूबर, १९६० तक भेज देना चाहिये था और सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इसके अनुसार कार्यवाही की जायगी और वह घोषणा भी कर चुकी है तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और पहले पास किये हुए संशोधन पर ही दृढ़ रहेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, विचार हमेशा तो होता ही रहता है, अध्यापक अपनी बात कहते हैं और मैनेजमेंट अपनी बात कहता है। वह विषय अदालत में गया है, कुछ मैनेजमेंट भेज भी रहे हैं, घोषणा भी सामने रखी है और जो और घोषणाएं होती रहेंगी वे भी सामने आयेंगी। कोशिश की जाती है कि इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के अनुसार ही काम किया जाय।

श्री गौरीशंकर राय—क्या शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत समय निश्चित है कि इतने समय के अन्दर यह जरूर दे देना चाहिये और इतने समय के बाद भी न देने पर ऐसी व्यवस्था है कि कार्यवाही की जायगी। तो उस अधिनियम में जो व्यवस्था है उसके अनुसार जिन्होंने समय से अपनी योजना नहीं भेजी उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि हम तो यही चाहते हैं कि इस योजना के अन्तर्गत पाठशालायें ठीक से काम करें बजाय इसके कि हम अनुदान बन्द करना शुरू कर दें, हम बन्द कर सकते हैं, लेकिन एक नया झगड़ा शुरू करने का हमारा मनशा नहीं है। हम चाहते हैं कि नियमित रूप से फैसला इतने से रिट से मिल सके अच्छा हो कि इस समय में संस्थायें अपनी प्रशासन योजनायें भेजती जायं और हम उन्हें स्वीकार करते जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश की कितनी प्रतिशत संस्थाओं की यह प्रशासन योजना स्वीकार हुई है?

†श्री रामस्वरूप यादव—प्रदेश में कुल १,४८५ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें प्रशासन योजना प्रस्तुत करनी थी। इनमें १,२९६ बालकों तथा १८९ बालिकाओं के हैं। इन विद्यालयों में से १४६ बालकों तथा २४ बालिकाओं के विद्यालयों ने प्रशासन योजना ग्रहण कर ली है। ३१ जनवरी, १९६१ तक ९५७ बालकों तथा १२२ बालिकाओं की संस्थाओं ने योजनायें प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार ७२.६६ प्रतिशत विद्यालयों ने अपनी प्रशासन योजनायें शिक्षा विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्होंने अब भी कोई अवधि मुकर्रर की है कि यह प्रशासन योजना पूरे सूबे में कब तक लागू हो जाय?

श्री रामस्वरूप यादव—वह अवधि ३१ अक्तूबर, सन् १९६० थी। हर पाठशाला के लिये आदेश था कि वह अपनी प्रशासन योजना भेज दे और हर पाठशाला भेजती थी और हम उस को देख कर स्वीकृति दे देते थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं पूछ रहा था उसकी अन्तिम अवधि कब तक है?

श्री रामस्वरूप यादव—वह अवधि तो पार हो गई, लेकिन जो अब भी भेज रहे हैं उनको हम लेटीट्यूड दे रहे हैं और प्रोत्साहन देते हैं कि अब भी संस्थायें भेजें।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, उन्होंने कहा कि अभी यह मामला रिट में गया हुआ है और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या इसका आशय हम यह समझें कि जब तक रिट का फैसला न होगा तब तक इस अधिनियम की मन्शा और व्यवस्था के अनुसार सरकार काम न करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा नहीं है, अभी तो हमने समय दे रखा है। अगर जल्द फैसला आ जायगा तब तो ठीक है वर्ना अगर समय लगेगा तो ज्यादा इन्तजार नहीं करेंगे और जो मुनासिब आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायगी।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में ए० टी० आई० का चुनाव

*४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री परिवहन १० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के साथ संलग्न विवरण-पत्र के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे जक १९५८ और १९६० के चुनावों में लिये गये उम्मीदवारों में से केवल २ ही हरिजन लिये गिने का क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन—क्योंकि दो ही उम्मीदवार उपयुक्त पाये गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५८ में ३ हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र दिये और वे तीनों इन्टरव्यू में शामिल हुए और १९५७–५८, १९५९–६० में ७७ शामिल हुए और इन्टरव्यू में गये तो क्या कारण है और क्या योग्यता उन में नहीं रही जिसके कारण ५८ में कोई नहीं और ६० में केवल एक हरिजन ही लिया गया?

श्री मुजफ्फर हसन—एक नहीं दो लिये गये हैं, पहले ३ कैन्डीडेट थे और तीनों फिट नहीं हुए और दोबारा जो बैठे उनमें से २ लिये गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पद के लिये क्या योग्यता निर्धारित है और हरिजन जो इन्टरव्यू में शामिल हुए उनकी योग्यता क्या थी?

श्री मुजफ्फर हसन—निर्धारित योग्यता तो हाई स्कूल है, जो शामिल हुए उनकी योग्यता की तफसील मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्व का है। माननीय मंत्री जी को यह भी ज्ञान नहीं है कि क्या ए० टी० आई० की योग्यता है। फाइल बिना पढ़े जवाब दे रहे हैं सदन में.....

श्री अध्यक्ष—तो जो आगे की कार्यवाही है उस विषय में मुझे लिखित भेज दीजिये।

---

†३१ मार्च, १९६१ को दिए गए वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

*४४—श्री प्रतापसिंह—[२४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—[२४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में प्राइवेट बस सर्विस

*४६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में प्राइवेट बसों के किस-किस रूट पर कितनी-कितनी बसें चलती हैं और उक्त रूट कितने-कितने मील कच्चे व पक्के हैं ?

*४७—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८–५९, १९५९–६० व १९६०–६१ में उपर्युक्त बसों की किस-किस रूट पर कितनी-कितनी संख्या किस आधार पर बढ़ाई गई ? क्या उसके पास उक्त रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के कोई आंकड़े हैं ? यदि हां, तो क्या वह उनको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*४८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने उक्त रूटों में से किन-किन रूटों पर बसों की संख्या में पुनः कितनी-कितनी और वृद्धि करने के लिये जुलाई, १९६० में प्रार्थना-पत्र मांगे थे और क्या वे प्रार्थना-पत्र गजट में प्रकाशित हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—इस बात का विचार करते हुए कि उक्त प्रश्न १० जनवरी को दिये गये थे, क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जल्द इकट्ठा करने की कोशिश की जायगी।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सूची

*४९—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सूची सरकार की ओर से बनाने की कोई योजना है ?

*५०—यदि हां, तो वह किस आधार पर बनायी जायेगी ?

*५१—क्या सरकार मैनपुरी, काकोरी, मेरठ तथा अन्य षडयंत्र केसों के आजादी के सिपाहियों को जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उपर्युक्त सूची में शामिल करेगी ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना एकत्र करने में कितना समय लगने का अनुमान है ?

डाक्टर सीताराम—समय बतलाना तो कठिन है, लेकिन आशा की जाती है कि शीघ्रातिशीघ्र होगी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय क्षेत्र में परीक्षकों का पारिश्रमिक मिलने में विलम्ब

*५२—श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या यह सच है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय क्षेत्र के उन परीक्षकों का पारिश्रमिक अब तक नहीं दिया गया है जिन्होंने गत वर्ष अन्य स्थानों पर जाकर कार्य किया था अथवा जिन्होंने कापियां देखी थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 'जी नहीं' का जवाब जो है वह किस आधार पर है ? क्या कभी बकाया ही नहीं था या सवाल करने के बाद उसकी अदायगी हो गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—भुगतान में देरी अवश्य हुई। कुल पारिश्रमिक १ लाख ५३ हजार ८२१ रुपये था। ६ जून, सन् १९६० से जनवरी, १९६१ तक दिया गया। देरी तो हुई और वह धन की कमी की वजह से हुई।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इस बात का पता लगाने की कृपा करेगी—अगर उसे पता न हो तो—कि उन अध्यापकों तक यह रकम पहुंची है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, पता चला लिया जायगा।

रोडवेज क्षेत्र गोरखपुर में क्लर्कों की नियुक्ति के लिये परीक्षा

*५३—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर में १९५९–६० तथा १९६०–६१ में जनरल क्लर्कों की नियुक्ति के लिये परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां किस-किस तिथि को हुईं और परीक्षाफल किस तिथि को घोषित हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीखें संलग्न सूची में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८४ पर)

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र के जनरल मैनेजर्स के भत्ते तथा पद

*५४—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र में जनरल मैनेजर के आदेशानुसार यात्रा भत्ते में कमी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

*५५—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय रोडवेज, उत्तर प्रदेश में जनरल मैनेजर्स को ट्राफिक तथा नान-ट्राफिक पदों की सूची जी० ओ० नं० ३०१४–डी०, दिनांक १६ सितम्बर तथा ३५०७–डी०, दिनांक २८ अक्तूबर, १९६० के अनुसार भेजी गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से पद ट्राफिक में तथा कौन-कौन से पद नान-ट्राफिक में घोषित किये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल के गार्डन कुलियों का मंहगाई भत्ता

*५६—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल के गार्डन कुलियों का मंहगाई भत्ता तुरन्त बन्द करने के आदेश दिसम्बर, १९६० में दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

हुसैनाबाद ट्रस्ट, लखनऊ का कुप्रबन्ध

*५७—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार को हाल ही में लखनऊ के हुसैनाबादट्रस्ट में कुप्रबन्ध की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त शिकायतें क्या हैं तथा उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। इस विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनका आशय निम्नप्रकार है:

(१) ट्रस्ट अधिकारी ट्रस्ट की दूकानों तथा क्वार्टरों की मरम्मत नहीं कराते हालांकि किराया लेते रहते हैं।

(२) किराये का ठीक हिसाब नहीं रक्खा जाता।

(३) किरायेदारों को तंग किया जाता है और उनके साथ बुरा बर्ताव होता है।

(४) ट्रस्ट के सेक्रेटरी की तनख्वाह ज्यादा होने से धार्मिक कामों के लिये धन की कमी रहती है।

(५) ट्रस्ट के सेक्रेटरी को न्याय व वसीका सम्बन्धी अधिकार भी दे देने से काम में रुकावट पड़ती है और सेक्रेटरी अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं।

(६) पिछली बाढ़ के समय जो मदद दी गयी उसका सेक्रेटरी ने दुरुपयोग किया।

शिकायतों के बारे में जिलाधीश से जांच करायी गयी और लगभग सभी शिकायतें निराधार पायी गयीं। भविष्य के अच्छे इन्तजाम के लिये सरकार ने एक योजना बनायी है जिसके अनुसार एक प्रबन्ध समिति द्वारा इन्तजाम होगा।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संस्था के सेक्रेटरी कौन हैं और उनको कितनी तनख्वाह मिलती है?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप सूचना मांग लेते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि उसकी सूचना कहीं न कहीं तो होगी ही।

श्री मदन पांडेय—उत्तर के अन्तिम भाग में यह बताया गया है कि प्रबन्ध समिति द्वारा इसका इन्तजाम कराने की योजना विचाराधीन है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मंत्री महोदय के विरुद्ध इतनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्या उस प्रबन्ध समिति में वह भी शरीक रहेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—वह इसके मेम्बर तो नहीं होंगे, लेकिन उस कमेटी को अख्तियार होगा कि उनके खिलाफ शिकायत हो तो सुन सके।

नियम ५२ के अन्तर्गत जिला नैनीताल की खाम इस्टेट में काश्तकारों की एलाट शुदा जमीन के छिन जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत जो प्रश्न उपस्थित किये गये उनमें से मैंने एक को स्वीकार किया है, जो इस प्रकार हैं:

"जिला नैनीताल में मुख्यतः खाम इस्टेट में वन विभाग के बन्दोबस्त से सैकड़ों काश्तकारों की एलाटशुदा जोती-बोयी जमीन, मकान, चरागाह रिजर्व फारेस्ट में परिणत किये जा रहे हैं, जिससे सैकड़ों काश्तकारों को अपनी जमीन, मकान व चरागाहों से हाथ धोना पड़ रहा है, साथ ही साथ कई को जेल यातना भी सहनी पड़ रही है।

[श्री अध्यक्ष]

इससे वहां की जनता में भारी असंतोष फैला हुआ है जिससे परिस्थिति अधिक गम्भीर होती जा रही है । इस विषम परिस्थिति की ओर माननीय वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

माननीय वन मंत्री जी, और अगर वह नहीं हैं तो दूसरे मंत्री, बता दें कि इसके सम्बन्ध में कब वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—४, ५ रोज में दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, १४ तारीख को वक्तव्य दिया जायगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत इलाहाबाद में श्री सीताराम तिवारी की गोली से हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय कल्याणचन्द मोहिले के प्रश्न पर गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि ८ मार्च, १९६१ को सुबह के समय, जब कि अंधेरा था, श्री सीताराम रोजाना की भांति टहलने के लिये अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में गये थे। उनके साथ श्री बृज बिहारी तथा उनके भतीजे श्री सत्य नारायण भी थे। रास्ते में टहलते हुए चंदोक साहब व श्री प्यारे लाल ओवरसियर भी मिल गये जब ये लोग सड़क पर लाइब्रेरी की ओर से दक्षिण की ओर जा रहे थे तो दो व्यक्ति सामने की तरफ से आये। एक व्यक्ति ने चंदोक साहब को धक्का दिया और आगे बढ़ा। दूसरे व्यक्ति ने श्री सीताराम पर गोली चलायी और वह वहीं मर गये। घटना की सूचना मृतक के भतीजे श्री सत्य नारायण ने सुबह साढ़े पांच बजे थाना कर्नलगंज पर दी और धारा ३०२ के अन्तर्गत केस दर्ज किया गया। पुलिस तत्परता से जांच कर रही है। श्री सीताराम पर घातक आक्रमण का सही कारण अभी ज्ञात नहीं हो सका है परन्तु ऐसा अनुमान है कि दुश्मनी की ही वजह से उनकी हत्या की गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, अभी नहीं हुई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस स्थान पर यह घटना हुई है, पार्क में, वहां पुलिस का गार्ड भी रहता था?

श्री चरणसिंह—मुझको इस बात का इल्म नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जैसा मंत्री जी ने कहा कि घातक आक्रमण का कारण दुश्मनी मालूम होता है, तो क्या इस आक्रमण से कुछ दिन पहले वहां के जिलाधीश और एस० पी० को कोई दरख्वास्त दी थी जिसमें श्री सीताराम जी ने ऐसा अंदेशा जाहिर किया था?

श्री चरणसिंह—इसका भी मुझे कोई इल्म नहीं है कि पहले दरख्वास्त दी थी कोई ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एफ० आई० आर० में कितने लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि पता नहीं लगा।

श्री उग्रसेन—पहली रिपोर्ट तो की गई होगी ?

श्री अध्यक्ष—मुकदमा कायम करने का, मैं समझता हूं, कोई सवाल नहीं है। गृह मंत्री जी को कुछ मालूम हो तो बता दें।

श्री चरणसिंह—मैंने जो बयान दिया है यह एफ० आई० आर० के आधार पर ही दिया है। उसमें लिखा है कि दो आदमी आये, एक ने श्री चन्दोक को धक्का दिया और दूसरे ने गोली चलाई।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—एफ० आई० आर० में किसी पर सन्देह प्रकट किया गया है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—जितनी जांच अभी तक हो चुकी है उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री चरणसिंह—एस० ओ० कर्नलगंज तहकीकात कर रहे हैं। सर्किल इन्सपेक्टर और डी० एस० पी० की निगरानी में वह तहकीकात कर रहे हैं। अभी जैसा मैंने बतलाया, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पुलिस को इस सिलसिले में क्या क्लूज मिले हैं और किन-किन की तहकीकात तथा तलाशी करना वह जरूरी समझती है, यह न तो सब मुझे मालूम है और न यहां बतलाने की जरूरत है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मारने वालों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट लिखाई गयी है उनमें किसी व्यक्ति का नाम भी लिखाया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बतलाया कि सन्देह के बारे में पहली रिपोर्ट में बतलाया नहीं गया।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—इस घटना के बाद उस पार्क में सुरक्षा के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री चरणसिंह—इस तरह के कत्लों के खिलाफ कोई सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं हो सकता। पंडित सीताराम जी बहुत अच्छे आदमी थे। हमारे देश में वैसे तो सभी बहुत अच्छे आदमी हैं। ५ बार उनको सजा हो चुकी थी और हिस्ट्री शीटर थे। उससे पुलिस को अन्दाजा लगता है कि पुरानी कोई दुश्मनी थी जिससे उनका कत्ल हो गया।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—किन धाराओं के अन्दर उनको सजा हुई क्या सरकार यह बतलायेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—जिन लोगों के खिलाफ कत्ल की रिपोर्ट लिखायी गई है उन लोगों के खिलाफ कोई गुंडागीरी की भी रिपोर्ट है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा ही नहीं कि किसी के खिलाफ रिपोर्ट है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पोस्ट मार्टम हुआ था और, यदि हां, तो कितने गोली के निशान हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां, पोस्ट मार्टम हुआ था और मेडिकल आफिसर की राय के अनुसार गोली लगी और पार कर गयी।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि कितनी गोली लगी ?

श्री चरणसिंह—मैं तो आपका प्रोटक्शन सीक करता हूं। यह किसी के लिये मुफीद नहीं है इतने डिटेल में जाना।

श्री अध्यक्ष—आप बतला रहे थे।

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मुझे इल्म नहीं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार की ओर से किन्हीं किन्हीं स्थानों पर ऐसे कुत्ते रखे गये हैं जो ऐसी दुर्घटना में सहायक होते हैं और उनके द्वारा पता लगाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह—अगर गृह मंत्री जी आपका प्रोटेक्शन मांगेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष—संरक्षण तो दोनों ओर के सदस्य मांगा करते हैं और दोनों को मैं देता ही रहता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री इसकी जांच करायेंगे कि जहां घटना हुई उसकी थोड़ी दूरी पर पुलिस वाले खड़े थे और मुलजिम पकड़ने में उन्होंने कोई चतुराई नहीं दिखाई ?

श्री अध्यक्ष—यह इस वक्तव्य से पैदा नहीं होता।

अब इसको समाप्त करता हूं।

शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों में भाषाओं के पठन के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष—अब असरकारी दिन का कार्य प्रारम्भ होगा। श्री रामस्वरूप वर्मा के संकल्प के बारे में अब भाषण जारी होगा। इसमें १२ सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—एक संशोधन राजेन्द्रकिशोरी जी का है। वह मूव हो जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—वह तो हो ही नहीं सकता। १२ भाषण हो चुके हैं; उसके बाद यह नया संशोधन नहीं लिया जा सकता।

चूंकि रामस्वरूप जी वर्मा नहीं हैं, इसलिये शिक्षा मंत्री जी, यदि आप कुछ कहना चाहें तो कहें।

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, श्री रामस्वरूप जी वर्मा द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के बीच में एक तरफ तो यह कहा गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा मातृ-भाषा में हो और दूसरी ओर यह भी है कि माध्यमिक शिक्षा में एक अन्य प्रचलित देशभाषा का पढ़ना अनिवार्य रहे तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं का पठन ऐच्छिक विषय के रूप में रहे।

जो पहला हिस्सा है उसके बारे में इस वक्त भी हमारे यहां यही नियम है कि प्रारम्भिक शिक्षा का पठन मातृभाषा में हो, वह होता भी है और यही नहीं कि केवल हिन्दी में होता हो मातृ-भाषा से आशय है वह भाषा जो उसके पिता या दूसरे संरक्षक द्वारा घोषित हुई हो। इसके

---

†१० फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से।

साथ ही जहां किसी पाठशाला में ४० ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी भाषा को अपनी मातृभाषा घोषित करते हैं तो उसके लिये भी प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में सरकार का आदेश है। जो सरकार की नीति है उसके अनुसार कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद मैं समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं हैं कि यह अनावश्यक है।

दूसरा हिस्सा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित है। जैसा हमारा पाठ्क्रम है, उसके अनुसार हाई स्कूल में तीन विषय अनिवार्य हैं। पहला हिन्दी, दूसरा हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा या एक आधुनिक विदेशी भाषा। इसमें विद्यार्थी को यह भी अधिकार है कि वह हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा ले ले। यही मैं समझता हूं कि आशय भी इस प्रस्ताव का है और करीब-करीब यह इस वजह से भी अनिवार्य कहा जा सकता है कि उसको यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा ले या एक आधुनिक विदेशी भाषा ले। यानी यदि वह विदेशी भाषा को न पढ़ना चाहे तो वह एक अन्य भारतीय भाषा ले सकता है जो कि मंशा प्रस्तावक महोदय की है। श्रीमन्, यदि यह स्थिति कर दी जायगी कि हिन्दी एक अनिवार्य विषय हो और हिन्दी के साथ-साथ दूसरा अनिवार्य विषय एक अन्य भारतीय भाषा भी और तीसरे या तो अनिवार्य किया जाय या बिल्कुल सोच लिया जाय कि अंग्रेजी को पढ़ाना ही नहीं है तब तो बात दूसरी है अन्यथा २ भाषायें अनिवार्य रूप से हिन्दी और हिन्दी के अतिरिक्त एक भारतीय भाषा पढ़नी पड़ेगी और इनके अतिरिक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि की उच्च शिक्षा पाने के लिये अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी। श्रीमन्, वैसे तो बहुत से विचारकों का कहना है कि तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जा सकता है बहुत से लोगों का अपनी जगह पर यह भी मत हो सकता है कि एक बालक को तीन भाषाओं में ज्ञान न दिया जाय।

श्रीमन्, आज की स्थिति में जैसी भी हमारी शिक्षा की प्रणाली है, या जैसे हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, जिस तरह से हमारे प्रदेश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं, क्या हम उन बालकों पर तीन-तीन भाषाओं का बोझ लाद दें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। श्रीमन्, इसका एक दूसरा असर भी हो सकता है। दुर्भाग्य है कि माननीय रामस्वरूप जी वर्मा, प्रस्तावक महोदय, मौजूद नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वे गांव के रहने वाले हैं और शायद यह भी कहते हैं कि वह पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं। क्या वह यह उचित समझते होंगे कि उनके गांव के लड़कों को, उन परिवारों के लड़कों को जिनके परिवार में शिक्षा का इतिहास नहीं रहा है, जिनके पूर्वज इतने शिक्षित नहीं थे और अगर मैं यह कह दूं कि बिल्कुल शिक्षित नहीं थे तो भी गलत न होगा---उनको एकदम तीन भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दें ? अनिवार्य मैं इस वजह से कहता हूं कि आज अंग्रेजी भाषा---यह मैं जानता हूं कि समाजवादी दल का एक अपना विचार है कि अंग्रेजी हटाओ, वह अपना समय इस पर बहुत देते हैं और मुझे सदन में भी अक्सर यह सुनने को मिलता है, लेकिन क्या प्रदेश अपनी नीति देश से अलग कर सकता है ? साथ ही साथ, क्या वे यह चाहते हैं कि इस प्रदेश के रहने वालों का दायरा उनके प्रदेश में ही सीमित रहे, वे विदेशों से कोई सम्बन्ध न रखें या विदेशी ज्ञान को हासिल न कर सकें ? अगर मैं अंग्रेजी की तरफ इस बात को ले गया तो शायद विवाद बहुत बढ़ जायगा,लेकिन मैं यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि सरकार की नीति क्या है। वैसे तो उसका ज्ञान सभी को है, लेकिन मेरी निजी राय भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बड़ी ज्यादती होगी अगर उनके बालकों को दो भाषाओं के अलावा एक विदेशी भाषा भी अनिवार्य कर दी जाय या उनको विदेशी भाषा पढ़ने से बिल्कुल वंचित कर दिया जाय। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले यह शिकायत किया करते हैं कि शहर के लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यह तो उनको और पीछे ले जाने वाला होगा अगर विदेशी भाषा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम से निकाल दी जाय।

माननीय वर्मा जी तो हैं नहीं, माननीय अवस्थी जी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वह जरा इस हिसाब से विचार करें कि गांव के लड़कों की प्रगति में यह बाधक न हो जाय कि एक हिन्दी भाषा, दूसरे एक अन्य भारतीय भाषा, और तीसरे अंग्रेजी भाषा हो ताकि वे समाज में आगे

[श्री रामस्वरूप यादव]

बढ़ सकें। मेरा विचार है कि अगर तीन भाषाओं के चक्कर में उनको डाल दिया गया तो उनकी तरक्की असम्भव हो जायगी, वे और पीछे हट जायेंगे और उनकी शिकायत बढ़ जायगी कि वे शहर वालों के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनका विचार है कि इस तरह से कर के हम अंग्रेजी भाषा को खत्म कर देंगे। अंग्रेजी से स्नेह मुझे भी नहीं है और न सरकार को है, लेकिन आज की जैसी स्थिति है उसमें मैं समझता हूं कि यह ज्यादा सही नहीं है कि अंग्रेजी को हटाने की बात की जाय। हमको हर तरह से देखना पड़ेगा कि केन्द्र के साथ चलें, जो विश्व के और देश हैं उनके साथ चलें। इस दृष्टि से हमको अंग्रेजी रखनी पड़ेगी और उतनी रखनी पड़ेगी जितनी आवश्यक है। आवश्यक मैंने इसलिये कहा कि यदि कोई विद्यार्थी समझता है कि वह अंग्रेजी भाषा का अध्ययन नहीं कर सकता है तो वह छोड़ दे, कोई आवश्यक नहीं है कि उसे पढ़े ही, लेकिन अगर वह समझता है कि अंग्रेजी भाषा से ही वह प्रगति कर सकता है तो उसे हमें मौका देना पड़ेगा। शासन बहुत बड़ा अन्याय करेगा यदि वह गांव वालों को विदेशी भाषा से वंचित कर दे।

अंग्रेजी से घृणा करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है। प्रश्न तो इस समय यह है कि किस तरह समाज का स्तर ऊंचा उठाया जाय। मेरी निजी राय यह है कि अगर राम-स्वरूप जी यहां होते तो शायद वह इस प्रस्ताव को और आगे चलने न देते और सोचते कि अगर हमें अंग्रेजी बन्द करनी है तो पहले केन्द्रीय सरकार में, दिल्ली और मद्रास में बन्द करनी पड़ेगी। प्रदेशीय स्तर पर अभी उसका जिक्र नहीं करना चाहिये। जितनी ऐसी चर्चा होती है उसका यह नतीजा होता है कि अंग्रेजी की शिक्षा का जो प्रबन्ध है, संस्थायें उस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। मुझे कभी-कभी उन अध्यापकों से बात करने का मौका मिला जो अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं और मैंने कहा कि जब तक आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं तब तक उसका प्रबन्ध अच्छा होना चाहिये। ऐसा न हो कि कोई सेन्टेन्स लिख रहे हों और उसमें कई त्रुटियां हो। ऐसे अध्यापकों के द्वारा अंग्रेजी की शिक्षा नहीं देनी चाहिये। उसका मन्शा यह होना चाहिये कि हमें अपने लड़के को आगे बढ़ाना है और उसे देश के अन्य प्रदेशों में काम करना है और बहुत से ऐसे विषयों में भी ज्ञान प्राप्त करना है जिनके लिये अंग्रेजी का जानना जरूरी है। इसलिए अंग्रेजी की शिक्षा अच्छी होनी चाहिये, लेकिन दरअसल मुझे तकलीफ होती है जब मैं यह देखता हूं कि जितनी अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा होनी चाहिये उतनी नहीं दी जा रही है। कारण इसका यह भी हो सकता है कि अपने यहां एक आन्दोलन चल रहा है कि अंग्रेजी हटाओ। इसका नतीजा यह होता है कि जो पिछड़ा हुआ है वह और पीछे हट जाता है और वह अंग्रेजीको समझने लगता है कि यदि यह जल्दी खत्म हो जाय तो अच्छा है क्योंकि उस समय उसे ज्ञान नहीं होता है कि अंग्रेजी न पढ़ने से उसका कितना नुकसान हो सकता है। अक्सर यह बात कही जाती है कि उनके लड़के सरकारी नौकरियों में कम लिये गये। तो उसका कारण यही है कि सरकारी काम में अभी अंग्रेजी चल रही है और जैसा काम चल रहा है उसके लिये अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक इस प्रस्ताव का मंशा है वह तो पूरी हो ही रही है और उसका इंतजाम भी है। अगर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता है और उसके बजाय दूसरी देशी भाषा पढ़ना चाहता है तो वह हाई स्कूल में और इंडरमीडिएट में पढ़ सकता है।

जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, उस दिन भी कहा गया था और आज भी मैं कहता हूं कि विश्वविद्यालय औटोनोमस संस्था है जो अपना प्रबंध स्वयं करती है। विश्व-विद्यालय में हर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये नहीं जाता है बल्कि चन्द थोड़े से लड़के जाते हैं जिन्हें सुविधायें प्राप्त हैं या होशियार हुआ करते हैं या योग्य लड़के होते हैं। चाहे वह साइंस में हों या इंजीनियरिंग में हों, चाहे विदेशों में जाना चाहते हों या आल-इन्डिया सर्विसेज में जाना चाहते हों या ऐसा व्यापार करना चाहते हों जो दूसरे देशों से संबंध रखता हो, ऐसे लड़के विश्व-विद्यालय में जाते हैं और वहां पर अगर अंग्रेजी अनिवार्य नहीं की जायगी तो बड़ी मुश्किल होगी।

लेकिन विश्वविद्यालयों को आदेश देना ठीक नहीं होगा क्योंकि उनको स्वयं अधिकार है और उनके पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना उचित नहीं होगा। जनरल इंगलिश बी० ए० के लिये अनिवार्य है, बी० एस० सी० के लिये भी अनिवार्य है और अंग्रेजी साहित्य का विषय ऐच्छिक है तो सुविधा मौजूद है। जहां तक आवश्यकता है उसके लिये जनरल इंगलिश अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन जहां तक लिटरेरी ग्रुप का संबंध है अंग्रेजी साहित्य का विषय ऐच्छिक है। जो न लेना चाहें न लें, लेकिन इतनी अंग्रेजी जानना जरूरी है जिस से वह अपना काम चला सकें। इसलिये इसमें विशेष परिवर्तन की सरकार आवश्यकता नहीं समझती है और विश्वविद्यालयों में जो सज्जन हैं वे स्वयं विशेषज्ञ हैं और वहां जो शिक्षा दी जा रहीं है उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है। प्रस्ताव में दो बातें कही गई थीं, उनके संबंध में मैंने अपना विषय रख दिया है और मैं निवेदन करूंगा कि इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा मातृ-भाषा में हो और माध्यमिक शिक्षा में एक अन्य प्रचलित देश भाषा का पढ़ना अनिवार्य रहे तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं का पठन ऐच्छिक विषय के रूप में रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

सहकारी खेती को प्रोत्साहन न देने के सम्बन्ध में संकल्प

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज सदन के सामने मुझे वह प्रस्ताव उपस्थित करने का अवसर मिला है जिसका असर ग्रामीण जनता पर पड़ने वाला है। कोआपरेटिव फार्मिंग का सीधा असर ग्रामीण जनता पर पड़ने वाला है इसलिये मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आज इस प्रस्ताव को सदन में उपस्थित करते हुए। मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि इस सदन का मत है कि शामिल सहकारी खेती किसानों तथा देश के लिए अहितकर सिद्ध होगी। अतः यह सदन निश्चय करता है कि सहकारी खेती को किसी रूप में सहायता या प्रोत्साहन न दिया जाय।

श्रीमन्, अगर देखा जाय तो खेती के दो तरीके हैं। एक तरीका है पारिवारिक कृषि का और दूसरा है सहकारी कृषि का। पारिवारिक कृषि का वह तरीका है जो कि हमारे यहां प्रचलित है जिसमें भूमि भी किसान की ही होती है, साधन जितने हैं वह सब किसान के ही होते हैं, उसमें नफा हो या नुकसान, जो कुछ भी होता है वह किसान का ही होता है। यह तो है, श्रीमन्, पारिवारिक खेती। सहकारी खेती जो है उसके तीन अंग हैं। यह सोचना कि सहकारी खेती के माने कुछ एक अजीब चीज है, ऐसा हमारी समझ से नहीं है। जहां तक मैंने देखा, सहकारी खेती तीन प्रकार की है। एक है उन्नत कृषि; दूसरी है संयुक्त सहकारी कृषि और तीसरी है सामूहिक कृषि। उन्नत कृषि समितियां जो होती हैं उसमें ऐसा है कि जितने साधन हैं कृषि के, खाद है, पानी है, बीज है, टैक्टर्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं या और भी जितने साधन हैं कृषि में काम आने वाले किसानों को कर्जे की जरूरत हो या और इस किस्म की चीजें हैं वह सहकारिता के आधार पर होती है। परन्तु भूमि अलग-अलग कृषकों की अपनी-अपनी अलग होती है। यह है, श्रीमन् उन्नत कृषि और यही कृषि जापान वगैरह में है जहां सबसे छोटी होल्डिंग्स है जापान में हैं, लेकिन प्रति एकड़ उपज वहीं सबसे ज्यादा है।

दूसरी है संयुक्त सहकारी कृषि। इसमें साधन तो सहकारी होते ही हैं भूमि भी सहकारी हो जाती है। केवल सरकारी अभिलेखों में पटवारी के कागजात में या जहां कहीं भी मालिकाना दर्ज होता है वहां केवल कृषकों का अलग अलग नाम होता है। यानी कागजी मालिकाना कायम रहता है, लेकिन भूमि संयुक्त हो जाती है। वह संयुक्त सहकारी कृषि है।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

सामूहिक कृषि में साधन भी सामूहिक हो जाते हैं भूमि भी सामूहिक हो जाती है और कागजात में मालिकाना भी किसानों का कटकर के उसके स्थान पर उस समिति का लिख जाता है। इस प्रकार सहकारी कृषि के भी तीन हिस्से हैं।

तो अगर उन्नत कृषि समितियां हमारे यहां कायम की जातीं अगर उन्नत कृषि समितियों के द्वारा ही उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता तो, श्रीमन् मुझे रंचमात्र भी उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वही एक तरीका है जिसके द्वारा उन्नति की जा सकती है वही एक तरीका है जिसके द्वारा उपज बढ़ायी जा सकती है। वही एक तरीका है जिसके द्वारा कृषि में जो बुराइयां हैं वह हटायी जा सकती हैं। मगर दुख इसी बात का है कि दिखाया जा रहा है उन्नत सहकारी कृषि मगर करने का विचार है संयुक्त सहकारी कृषि। विरोध जो है वह केवल इसी बात का है कि संयुक्त सहकारी कृषि जो है यह नहीं होनी चाहिये। श्रीमन्, जैसा कि संयुक्त सहकारी कृषि के पक्ष में बोलने वाले कहते हैं---वह यह कहते हैं कि संयुक्त सहकारी कृषि से ये लाभ होंगे--तीन लाभ वे बतलाते हैं। पहला लाभ होगा उत्पादन में वृद्धि, दूसरा लाभ होगा बेकारी का दूर होना, अनएम्प्लायमेंट का साल्व होना और तीसरा होगा प्रजातंत्र की भावनाओं की अभिवृद्धि या समाजवाद का प्रचार---ये तीन लक्ष्य उन्होंने बतलाये हैं। इनमें से, श्रीमन् मैं पहले उत्पादन की वृद्धिवाला जो इसका लक्ष्य है उसको लेता हूं।

जैसा मैंने अभी श्रीमान की सेवा में निवेदन किया संयुक्त सहकारी कृषि में और बकिया बात तो वही है जो उन्नति कृषि वाले में है केवल अन्तर इतना है कि संयुक्त सहकारी कृषि में भूमि की पूलिंग होती है। जमीन को इकटठा करना होता है। बड़े-बड़े खेत बना दिये जाते हैं। बस इतना अन्तर है। इसलिये संयुक्त सहकारी कृषि के द्वारा ही उत्पादन में वृद्धि हो सकती है ऐसा अगर माना जाय तो यह सिद्ध करना होगा कि क्या जमीन को इकठ्ठा कर देने से उपज बढ़ सकती है ? संयुक्त सहकारी कृषि के पक्षपाती लोग यह कहते हैं कि उससे उपज बढ़ेगी क्यों कि फल्टीवेटेड एरिया बढ़ जायगा, यानी खेती वाली जमीन का रकबा बढ़ जायगा। वह बढ़ जायगा इसके लिये, वह तर्क यह देते हैं कि मेड़ तोड़ दी जायगी, बड़े बड़े खेत बना दिये जांयगे और मेड़ के नीचे दबी हुई जमीन भी शरीक होकर रकबा बढ़ जायगा।

बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इन बातों के ऊपर विचार करनेवाले लोग जो हैं, जो इन बातों के सिद्धान्त का प्रचार और प्रतिपादन करने वाले लोग हैं वे न तो कृषक हैं और न उन्होंने खेती की है। उनके यहां पुश्त दरपुश्त से खेती नहीं हुई। वे लोग इस बात को कहते हैं कि खेती का रकबा बढ़ जायगा मेड़ तोड़कर, से मेड़के नीचे की जमीन खेती में मिला देने से रकबा बढ़ जायगा और उससे उपज बढ़ जायगी। श्रीमन्, जो खेतिहर हैं, जिन्होंने स्वयं खेती की है और जिन्होंने अपने खेतों के चारों कोने देखे हैं वे यह बतला सकते हैं कि मेड़ केवल मालिकाना अधिकार अलग करने के लिये नहीं बनाई जातीं। खेतों की मेड़ बनाई जाती हैं ढाल की ओर बहते पानी को रोकने के लिये। अगर वह मेड़ नहीं बनाई जायगी तो पानी बह जायगा और वह बहकर एक गड्ढे नाले या नदी में चला जायगा और अपने साथ खेत की उर्वरा मिट्टी को भी बहा ले जावेगा। तो उस पानी को रोकने के लिये मेड़ बनाई जाती है। उन मेड़ों के बनाने से खेत चौरस हो जाते हैं तथा उनकी उर्वरा शक्ति भी नहीं छीजती। फिर भी मान लीजिये कि ये लोग खेतों की मेड़ तोड़कर खेत बड़े बड़े कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेड़ कहीं पड़े ही नहीं। कहीं न कहीं मेड़ की जरूरत पड़ेगी। अगर अब ३ बीघे पर या ४ बीघे पर मेड़ पड़ी हुई है तो संयुक्त सहकारी कृषि में ८ बीघे पर या १० बीघे पर मेड़ डालनी पड़ेगी। तो यह तय है कि जितनी दूरी मेड़ बनेगी। उतनी ही चौड़ी उसे बनाना पड़ेगा तभी उन खेतों का पानी रूक सकता है क्यों कि दूरी पर ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। उस मेड़ को चौड़ी, मोटी और ऊंची बनाना पड़ेगा। तो उस मेड़ के नीचे जो जमीन पड़ेगी वह बड़ी मेड़ होने से ज्यादा जमीन दबायेगी इस प्रकार बीच की पतली मेड़ों को तोड़कर जो भूमि अर्जित की गई वह इस बड़ी मेड़ में दब गई। इसलिये यह कहना कि मेड़ तोड़ने से रकबा बढ़ जायगा यह नितान्त भ्रम है।

RA 3026
132562

दूसरी चीज वह कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल तभी हो सकेगा जब संयुक्त सहकारी कृषि हो। संयुक्त सहकारी कृषि के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया उतना ही फर्क है कि लैंड की पूलिंग हो जाय। बड़े बड़े खेतों में ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो सकता है। यह कहना कहां तक सही है, यह कोई भी सोच सकता है कि वैज्ञानिक प्रसाधन हैं क्या? खाद है, पानी है और हैं उन्नत प्रकार के बीज और मशीनों का इस्तेमाल। मैं उन लोगों से यह बात जानना चाहूंगा कि जो संयुक्त सहकारी खेती के पक्ष में हैं कि क्या खाद का इस्तेमाल छोटे खेतों में नहीं हो सकता? क्या पानी का इस्तेमाल छोटे खेतों में नहीं हो सकता? क्या एक ट्रैक्टर को छोड़कर मशीनों का इस्तेमाल छोटे खेतों में नहीं किया जा सकता? तो कहना यह होगा कि भले ही वे अपनी बात रखने के लिये घुमा फिरा कर कुछ कह लें, लेकिन यह बात मजबूरन उनको कबूल करनी पड़ेगी कि वास्तव में इन चीजों का इस्तेमाल छोटे और बड़े, हर प्रकार के खेत में किया जा सकता है और उपज बढ़ाने के लिये यह तीनों चीजें ही आवश्यक हैं—खाद, पानी और उन्नत प्रकार के बीज। ट्रैक्टर की जुताई से खेतों में उपज बढ़ जायगी, खेत बड़ाकर देने से उपज बढ़ जायगी, मेड़ों को तोड़ देने से उपज बढ़ जायगी, यह सब भ्रम मात्र है। इसमें रंचमात्र भी सत्यता नहीं है और इसके प्रमाण के लिये श्रीमन् मैं आपके सामने थोड़े से आंकड़े पेश करूंगा।

श्रीमन्, मैं आपके सामने इस प्रकार से आंकड़े पेश कर रहा हूं कि कौन कौन से देश हैं जिनमें प्रति इकाई कितनी भूमि है, वहां कितने ट्रैक्टर हैं, कितने वैज्ञानिक प्रसाधन उनके पास हैं और उनकी उपज क्या है। सबसे पहले मैं श्रीमन् जापान को ले रहा हूं। वहां संसार में सबसे छोटी जोतें हैं और सबसे अधिक उपज जापान की है। अगर इसको देखा जाय तो जापान में ०.८ एकड़ भूमि प्रति व्यक्ति पड़ती है और वहां की औसत जोत जो है वह है ३.२ एकड़। जापान में कुल १.८ हजार ट्रैक्टर हैं और वहां, श्रीमन्, प्रति ट्रैक्टर ५०,२६५ एकड़ भूमि पड़ती है। वहां की उपज ७.१ मैट्रिक क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं की है और धान १६.२ मैट्रिक क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो इन आंकड़ों से यह साफ सिद्ध हो जाता है कि वहां पूरी खेती ट्रैक्टरों से नहीं हो रही है, बल्कि नाममात्र के लिये ट्रैक्टर हैं। एक ट्रैक्टर पर ५०,२६५ एकड़ जमीन होने की बात ही सिद्ध करती है कि वहां अधिकतर खेती बैलों, घोड़ों अथवा अन्य पशुओं से की जाती है।

अब इस के मुकाबले में आप देखें समाजवादी स्वर्ग रूस को जिसकी तरफ हम आंख मूंद कर भागे चले जा रहे हैं। श्रीमन्, अगर कोई ऐसा आदमी उसकी तरफ भागता कि जिसके पीछे कुछ न होता, जिसका भूत अंधकारमय होता, भविष्य तो हर एक का अंधकारमय होता है और वर्तमान कुछ है नहीं, केवल भूत और भविष्य का संक्रमण ही वर्तमान है, तो कोई बात नहीं थी। अगर कोई ऐसा राज्य आंख मूंद कर भागता कि जिस के पीछे इसके इतिहास की सर्चलाइट न जलती होती, तो मैं मान लेता कि सही हो सकता है, लेकिन भारतवर्ष जैसा देश जिसकी अरबों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, जिसमें अनेक, बार ये वाद विवाद, परीक्षित हो चुके हैं वह अगर उन के पीछे जा रहा है तो उसमें मुझे अवश्य आश्चर्य होता है। तो मैं उस रूस के आंकड़े आप की सेवा में निवेदन कर रहा हूं। रूस में, श्रीमन्, प्रति व्यक्ति भूमि है ५.७३ एकड़। श्रीमन् वहां कुल ५६४.० हजार ट्रैक्टर हैं और एक ट्रैक्टर पर ९८८ एकड़ भूमि पड़ती है। वहां पर श्रीमन्, गेहूं की उपज है २.८ मैट्रीक्विंटल धान की उपज है ८.७ मैट्रीकक्विंटल प्रति एकड़। इन आंकड़ों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि वहां पर करीब ९८८ एकड़ पर एक ट्रैक्टर है और इसके मानी यह होते हैं कि वहां पर पूरी खेती ही ट्रैक्टर के द्वारा होती है। वैज्ञानिक प्रसाधन भी वहां पर, जितने कि हमारे मस्तिष्क में भी इस समय नहीं हैं, मौजूद हैं और उनका वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से आप देखें कि वहां पर सामूहिक खेती है पर समाजवाद का पूरा झंडा खड़ा कर दिया है उन्होंने। वहां की हालत क्या है इसको भी तो हमें देखना चाहिये।

श्रीमन्, अब वहां की उपज क्या है इसके आंकड़े भी देखना चाहिये। मैं इतना ही कहूंगा ज्यादा कहने लग जाऊंगा तो हमारे ऊपर यह लाच्छन लगाया जायेगा कि यह समाजवाद के विरोधी होने के नाते रूस को कोट कर रहे हैं। मगर ऐसी बात नहीं है।

एक सदस्य—आप समाजवाद के विरोधी तो नहीं हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह—यह मालूम हो जायेगा कि हम क्या हैं। सुनिये ।

अब श्रीमन्, जो पूंजीवादी देश है अमेरिका में उसके आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, वहां पर जहां कि बहुत बड़े-बड़े खेत हैं, वहां पर ३,८२५·० हजार टैक्टर्स हैं। वहां पर प्रति ट्रैक्टर ११९ एकड़ भूमि पड़ती है। जहां पर औसत जोत १३९.६ एकड़ की है। जहां पर प्रति व्यक्ति भूमि १८.० एकड़ है। अब वहां की उपज देखिये। गेहूं की उपज ४.५ मैट्रीकक्विंटल प्रति एकड़ है। धान की उपज १०·७ मैट्रिकक्विंटल प्रति एकड़ है।

इस तरह से श्रीमन्, आप देखेंगे कि जापान में जहां कि बहुत सी छोटी-छोटी जोतें हैं जहां पर कि नाम मात्र के लिये ही टैक्टर हैं जहां पर लोग अपनी मेहनत से ही कृषि करते हैं जहां पर कि उन्नत प्रकार की ही सहकारी खेती होती है वहां की प्रति एकड़ उपज उन जगहों से जहां पर कि टैक्टरों से खेती होती है, जहां पर हर प्रकार के वैज्ञानिक प्रसाधन भी हैं जोतें भी बड़ी-बड़ी हैं ज्यादा है। तो इसका कारण है। मैं एक मोटी सी मिसाल आपके सामने देता हूं। श्रीमन् एक रूमाल को ले लीजिये। उसमें अगर छोटा सा छिद्र भी कहीं है तो वह आपको दिखाई दे जायेगा और आप उसकी मरम्मत आसानी से कर लेंगे। मगर उसकी जगह एक पंचायती जाजम को ले लीजिये जो कि १०–२० गज लम्बी है। उसमें अगर एक इंच स्क्वायर का भी सूराख है तो वह नजर भी नहीं आयेगा और उसका ठीक होना कठिन होगा। ठीक यही हालत खेतों की है। कोई भी खेत ले लीजिये उसमें छोटे छोटे पैचेज इतने खराब होते हैं कि उसमें उपज बहुत ही कम होती है और उसी के कारण प्रति एकड़ पैदावार पर उसका प्रभाव पड़ता है। जो काश्तकार होगा वह इस चीज को अच्छी तरह से समझेगा। तो अगर उन छोटे-छोटे पैचेज को ठीक कर लिया जाय जो कि बड़े-बड़े खेतों में सम्भव नहीं है तो प्रति एकड़ पैदावार बढ़ जायेगी।

बड़े खेतों में एक-एक बिस्वे में यदि भूमि की खराबी के कारण कई स्थानों पर पांच-पांच फुट के स्थान पर दो-दो फुट के पौधे हैं तो उन पर दृष्टिपात भी नहीं हो पावेगा जब कि छोटे खेतों में इन स्थानों पर अधिक खाद देकर सम्भाला जा सकता है। तथा एक-एक बालिश्त जमीन को भी बो सकता है। उस खेत के चप्पे-चप्पे में उतनी खाद दे सकता है जितनी जरूरत है उपज बढ़ाने के लिए। इसी अपनी बात के समर्थन में मैं जापान की ही एक चीज को श्रीमान के सामने निवेदन करना चाहता हूं—वह यह है कि जापान में कितनी खाद वह लोग इस्तेमाल करते हैं। जापान में प्रति एकड़ ८०० पौंड खाद इस्तेमाल की जाती है। उस बित्ते भर के मुल्क में ५ मिलियन यानी ५० लाख टन खाद सालाना इस्तेमाल की जाती है, जब कि भारतवर्ष में जिसमें जापान ऐसे मेरा अन्दाज है बीसियों यों मुल्क शरीक हो जायं, फिर भी थोड़ा-सा पहाड़ी हिस्सा बाकी रह जायगा वहां कुल ८० हजार टन खाद इस्तेमाल की जाती है।

जमीनें बड़ी कर देने से ही उपज नहीं बढ़ जायगी। इसके लिए शायद मंत्री जी और हमारे संयुक्त सहकारी खेती के पक्षपाती यह सोचें कि ये आंकड़े तो दूर के हैं जापान, रूस और अमेरिका के हैं इनसे हमें क्या मतलब ? मैं यहीं का प्रमाण दूंगा, अपने प्रदेश की सरकार द्वारा संचालित खेती का प्रमाण दूंगा, श्रीमन्, बाराबंकी जिले मे निबलेट फार्म नाम का एक गवर्नमेंट फार्म है। वहां ४५ एकड़ गेहूं बोया गया। उसकी उपज हुई साढ़े सत्ताईस मन प्रति एकड़, मेरठ में जो बाराबंकी से कई गुना बड़ा फार्म है और वहां की जमीन आप जानते हैं कि सब से उमदा किस्म की जमीन कही जाती है वहां २४० एकड़ गेहूं बोया गया और केवल २६ मन प्रति एकड़ पैदावार हुई। डेढ़ मन प्रति एकड़ के करीब उपज घट गयी। किस वजह से? क्योंकि रकबा बढ़ गया। मथुरा में ५०० एकड़ का फार्म है और उसकी उपज १६ मन प्रति एकड़ ही है। जैसे जैसे रकबा बढ़ता गया है इसको आप गौर करें तैसे-तैसे उपज घटती गयी है

इस अपनी बात की सपोर्ट में, श्रीमन्, मैं एक प्रमाण इंगलैंड का भी देना चाहता हूं। श्रीमन्, इंगलैंड में भी यह चीज सिद्ध हुई है कि जैसे जैसे जमीन का साइज बढ़ता गया है प्रति एकड़ उपज घटती गयी है। ५० एकड़ के फार्म पर उपज ११–१९–९ और ५० एकड़ से ज्यादा के फार्म पर ९–१९–२ और जो १५० एकड़ का फार्म है उसकी उपज प्रति एकड़ ७–१९–१ है.....

श्री अध्यक्ष—इस ७–१९–१ से क्या मतलब है ?

कुंवर श्रीपालसिंह—यह वहां की तौल है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। खैर, जो भी हो, वह क्विंटल हो, डेकाग्राम हो, जो भी हो, मैं वजन में नहीं जाना चाहता। मैं तो गिनतियों में जाता हूं और वह मेरी बात को सिद्ध करती है कि जैसे–जैसे एकरेज बढ़ता गया है, प्रति एकड़ ईल्ड घटती गई है—मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्रीमन्, एक चीज और निवेदन कर दूं हिन्दुस्तान की ही। एक ऐग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ शुगरकेन प्रिजरवेशन का प्रतिवेदन है। उन्होंने कहा है कि जिस खेत में बैलों के द्वारा जुताई और बुवाई होकर गन्ने की पैदावार हुई है ४१० मन प्रति एकड़, उसी फार्म के अन्दर उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अन्दर जो ट्रैक्टरों से ६ इंच जुताई के बाद गन्ना बोया गया है उसमें उपज हुई है ३६१.५ मन प्रति एकड़। यह इस चीज को सिद्ध करता है कि ट्रैक्टरों की खेती से ही उपज नहीं बढ़ सकेगी। इनके दो प्वाइन्ट थे कि जमीन बड़ी हो जायगी तब उपज बढ़ जायगी और ट्रैक्टरों से खेत जोत दिया जायगा तब उपज बढ़ जायगी, इन दोनों को मैंने इन आंकड़ों से आपके समक्ष सिद्ध कर दिया कि न तो जमीन बड़ी होने से उपज बढ़ेगी और न ट्रैक्टरों की जुताई से उपज बढ़ेगी। उपज के बढ़ाने वाले साधन वही तीन हैं खाद, पानी और उन्नत प्रकार के बीज। यदि इन साधनों को आप बड़े खेत में देंगे तो भी उपज बढ़ेगी और छोटे में देंगे तो भी बढ़ेगी, लेकिन इसके बगैर उपज नहीं बढ़ सकती है चाहे एक नहीं हजार खेत इकट्ठे कर दिये जायें।

श्रीमन्, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। कारण यह कि समाजवाद के प्रवर्तक और समाजवाद के मानने वाले ऊंचे टाप के नेता नीचे वालों की मैं बात नहीं करता—जो हैं उनका दुर्भाग्य से जन्म हुआ शहर में। दुर्भाग्य से वह थे मिल के मजदूर। उन्होंने जो कुछ लिखा वह उसी प्रकार के वातावरण में सोचकर लिखा। उन्होंने खेती को भी उसी आधार पर रख दिया। श्रीमन्, रेवोल्यूशन शब्द जो है जिसे हम क्रांति कहते हैं उस शब्द रेवोल्यूशन का अर्थ ही चक्कर है। मैं यह जानता हूं कि हाथ से चलने वाले चर्खे के मुकाबले में मशीनी चर्खे मिल में ज्यादा चक्कर लगायेंगे। मशीन से ज्यादा चक्कर लगेंगे। रेवोल्यूशन या चक्कर से यहां पर तो जरूर उत्पादन बढ़ जायगा, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा गेहूं के मामले में समाजवाद के प्रवर्तकों ने यह नहीं सोचा कि खेती एक सजीव व्यापार है, यह निर्जीव व्यापार नहीं है, यह कोई चर्खे का चक्कर नहीं है। गेहूं अपने पकने में पूरे पांच महीने का समय ले ही लेगा, चाहे वह बित्ता जमीन में बोइये या एक मील में बोइये, उसको चाहे एक आदमी बोये या एक हजार आदमी बोयें, वह अपना पूरा समय लेगा और उसमें चक्कर-बाजी काम नहीं आयेगी। श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि हमारे यादव जी जैसे खेतिहर लोग भी इस चक्कर में आ गये हैं। यह भी सोचते हैं कि चक्कर बढ़ जायगा।

श्रीमन्, मैं ही यह बात कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी स्वर्ग के एक हिस्से के ठेकेदार अधिनायक पोलैन्ड के गोमुल्का साहब ने भी कहा है। मुझे तो राणा जी कहेंगे कि तुम पूंजीपति हो, लेकिन गोमुल्का जी को न तो कोई मिल मालिक कहेगा और न फार्म वाला कहेगा, वह तो उसी प्रकार से हैं जैसे रूस में स्टैलिन थे, पोलैन्ड में वह उसी प्रकार से हैं। उन्होंने १९५६ में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत खेती ने सहकारी खेती से १६.७ प्रतिशत अधिक उपज दी और उसी व्यक्तिगत खेती ने सामूहिक कलेक्टिव फार्म जो सरकार के नियन्त्रण में थे उनसे ३७.२ प्रतिशत अधिक उपज दी। उनके लिये मैं यह जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपने मस्तिष्क को एक परिधि के अन्दर नहीं

[कुंवर श्रीपालसिंह]

बंधने दिया, उन्होंने एक संकुचित धारा में विचार नहीं किया बल्कि उन्होंने उस परिधि को बढ़ाया और खेती में हर प्रकार के अनुभव और तजुर्बे किये और उसी तजुर्बे में उनके यह बात आई कि व्यक्तिगत खेती जो है उसमें उपज अधिक हुई। इस कारण आज वहां ८० प्रतिशत सहकारी खेती और सामूहिक खेती तोड़ दी गई। हम असलियत पर तब पहुंचते हैं जब कार्ड के दोनों रुखों को देखें।

श्रीमन्, खेती का, जैसा कि मैंने निवेदन किया, एक सजीव व्यापार है। किसी भी सजीव व्यापार पर मानव भावनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसान जिस वक्त अपने खेत के किनारे खड़ा होता है और उसमें से निकलती हुई हरी-हरी डाभियों को देखता है और उसे उस समय जो प्रसन्नता होती है उससे उसपर असर पड़ता है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। जबलपुर के एक डाक्टर गोरे ने यह रिसर्च की है कि पौधों पर गाने का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गेहूं पर मालकौस गाने का प्रभाव पड़ता है और धान पर मल्हार राग का प्रभाव पड़ता है। समाजवादी तो मेरी इस बात पर हंसेंगे ही क्योंकि समाजवाद का आधार ही जड़वाद है। वे बुद्धिवाद और आध्यात्मवाद को समझ ही नहीं सकते। यह कोई छिपी बात नहीं है। जिसे देखना हो वह देख सकता है, अपने घरों में उसको कर के देख सकता है। तो खेती जो सजीव व्यापार है। जिस प्रकार मधुर स्वर लहरी आपकी कर्ण कुहरों में प्रवेश कर प्रभाव पैदा करती हैं ठीक उसी प्रकार से पौधों पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिये चक्करबाजी वाली बात यहां नहीं घटती है। यहां भावनाओं का असर होता है। संयुक्त सहकारी खेती में और व्यक्तिगत खेती में अन्तर इसी जगह है। मैं यह बता रहा था कि व्यक्तिगत खेती में उसी प्रकार की कोमल भावनाओं का समावेश होता है जिस प्रकार का अपने बच्चे, अपने स्त्री और अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ होता है। मगर इस सामूहिक सहकारी खेती में, जो समाजवादी ढंग से की जाती है उसमें वही होता है जैसी कि हमारे यहां एक कहावत है—

"संधिया की सुई संगरे उठायी जाती है।"

इतनी छोटी सी सुई के लिये भी जब चार आदमी लगते हैं तब उठती है। श्रीमन्, जहां सहकारी खेती थी वहां बोई नहीं गई, जहां व्यक्तिगत खेती थी वहां बोयी गई, यह मैं अपने यहां की बात कह रहा हूं। विधूना क्षेत्र में सहकारी फार्म के किनारे-किनारे तो गेहूं लहरा रहा था और बीच में १०० एकड़ का फार्म खाली पड़ा था। उसमें तो समाजवाद बोया गया था न। वहीं-वहां पनपेगा, वही फलेगा।

सरकार की ओर से कहा गया कि सहकारी खेती को जबरदस्ती किसी पर नहीं लादा जायगा। बड़े मजे की बात कही जाती है, लेकिन गांव के किसान इस सब बात को समझते हैं। यह हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। आज से ३० साल पहले रूस में यही चीज स्टैलिन ने भी कही थी कि रूस में सहकारी खेती जबरदस्ती लादी नहीं जायगी। चीन ने भी समाजवाद के अधिनायक माउत्सेतुंग ने भी चीन में जबरदस्ती सहकारी खेती को न लादने की घोषणा की थी, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वह आपसे छिपा नहीं है।

श्रीमन्, इसके अलावा इनके सबसे बड़े नेता अब आज यह कहने लगे कि हम जबरदस्ती सहकारी खेती नहीं होने देंगे, ज्यों-ज्यों एलेक्शन नजदीक आता जा रहा है। श्रीमन, १९४७ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री जे० सी० कुमारप्पा के सभापतित्व में एक कमेटी मुकर्रर की गई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेन्डेशन की है, मैं उन्हीं के शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा—"आवश्यकता होने पर सहकारी कृषि जबरन भी लागू की जायगी" यह क्या है श्रीमन्? क्या इसके माने यह हैं कि जबरदस्ती नहीं की जायगी? जरूर करनी पड़ेगी आपको जबरदस्ती। श्रीमन्, इसके सपोर्ट में उन्हीं के एक नेता गोमुल्क का एक कथन मैं और निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा—"लक्ष्य सिद्ध तथा स्वेच्छा सहकारी,

ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं।" उत्पादन के पारिमाणिक उत्थान के हेतु सहयोग की भावना की योजना असम्भव है। क्योंकि स्वेच्छा सहकारी भावना होने के कारण मानव ने चेतना की उपज का नियोजन किया जो किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है। क्या किसी मनुष्य के मस्तिष्क की चेतना की उपज को नियोजित किया जा सकता है? क्या समाजवादी नियोजन के अन्तर्गत मानव मस्तिष्क में क्या है और मानव की भावना क्या है, इसको कोई कह सकता है? यदि नहीं कह सकता तो यह कहना कि स्वेच्छा सहकारिता को लाये, नितान्त असत्य है।

श्री अध्यक्ष--माननीय अवस्थी जी, आप अपने सब संशोधन एक साथ ही उपस्थित कर दें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पंक्ति दो में शब्द "होगी" के पश्चात् तथा शब्द, "अतः" से पहिले निम्नलिखित वाक्यांश बढ़ा दिये जावें:--

> "यदि यह खेती स्वेच्छा पर आधारित नहीं होगी और साथ ही यदि ऐसी खेती करने वालों को सरकार द्वारा सिंचन के सुलभ साधन, सस्ती खाद, कृषि-कार्य के लिये न्यूनतम ब्याज पर तकावी व मूलदान तथा अन्य सहायतायें प्रदान नहीं की जावेंगी"।
>
> संकल्प की पंक्ति दो में शब्द "अतः" के स्थान पर शब्द "अन्यथा" रख दिया जावे। संकल्प की अन्तिम पंक्ति के शब्द "न दिया जावे" के स्थान पर शब्द "देना निरर्थक हो जावेगा" रख दिये जायं।

श्रीमन, प्रस्तावक महोदय का वक्तव्य मैंने बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने जहां तक मैं ने समझा अपने उस स्वतन्त्र दल की ओर से अपने सिद्धान्त पर आधारित एक प्रस्ताव सा रखा, और उनके द्वारा भी इसका प्रतिपादन हुआ। जहां तक इस प्रस्ताव के मंशा की बात है, मैंने वहां कुछ शाब्दिक हेर-फेर रखा है और उसे सुधारने की कोशिश की है। मेरी मंशा उन शाब्दिक संशोधनों से प्रकट हो जायगी।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

मैं उन सारे विभेदों में नहीं जाना चाहता जिन्हें हमारे कुंवर साहब ने बड़ी योग्यता के साथ रखा और उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि सहकारी खेती और उन्नतिशील सहकारी खेती दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अब ऐसी हालत में मैं विश्वास पर चलता हूं कि चाहे वह स्वतंत्र सहकारी खेती हो या उन्नतशील खेती हो इन दोनों में कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होगी जिन के बिना किसी प्रकार से खेती उन्नतपूर्ण नहीं हो पायेगी और उन सभी आवश्यक साधनों का होना बहुत उचित होगा। यह हम सब मानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। छोटी-छोटी काश्तों में हम बंटे हैं और साधनों से हम विहीन हैं। अब प्रश्न यह है कि छोटे-छोटे किसानों की जोतों का किस प्रकार से एकीकरण किया जाय, उन्हें सामूहिक रूप में किया जाय या किस तरह से किया जाय यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है। फिर भी इस सारे विवाद को इस प्रस्ताव में न लाकर मैं कुछ सैद्धान्तिक बातों पर ही अपने को केन्द्रित करूंगा। अव्वल तो यह है की इन खेती करने वालों को साधारण खेती करने के साधन मिल जायें जो कि खेती के लिये आवश्यक हैं। खेती चाहे सामूहिक रूप से हो या किसी तरह से हो, इन साधनों का मिलना आवश्यक है। इन साधनों की आवश्यकता उन्होंने ही बताई है। वह साधन यही

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

होने चाहिये कि खेती करने वाले लोगों को सिंचाई के साधन मिलें, सस्ती खाद मिले, खेती के कामों के लिये न्यूनतम ब्याज पर ऋण मिले, तकावी की सुविधा हो और हर प्रकार की सहायता दी जाय ताकि वह आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकें।

अब मैं थोड़ा सा सदन का ध्यान सरकार की नीति की तरफ दिलाना चाहूंगा। जब जब हमारे सामने खेती के विषय में सरकार की नीति निर्धारित करने की बात आई है तब-तब हमने इस सरकार की उदासीनता पर ध्यान दिलाया है और हमने यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार हमारा निर्धन किसान आज साधनों से हीन है और जबतक सरकार अपनी तमाम सरकारी नीतियों को नहीं बदलेगी जिनके आधार पर कि सरकार आज किसानों को सहायता नहीं दे रही है, तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। मैं सरकार की और बातों पर ध्यान न दिला कर केवल उसकी इस विषय में जो पालिसी या नीति है उसकी ओर ही ध्यान दिलाऊंगा।

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, यह सहकारी विभाग ऐसा है कि जिसके मन्त्री अभी तक माननीय मोहन लाल जी गौतम रहे और अब उनके बाद अगर हम इसको खेती में लेते हैं तो यह अब चौधरी चरणसिंह जी के हाथ में है और इसलिये हमारे यादव जी यहां बैठे भी हैं या अगर मैं कल की बात दुहरा दूं कि वह तो हर जगह मौजूद रहते हैं। कल भूमि कानून की बात थी, तो वह माननीय राजस्व मन्त्री की सहायता कर रहे थे, पुलिस की बात थी तो पुलिस मन्त्री की सहायता कर रहे थे, आज शिक्षा की बात थी तो वह शिक्षा मन्त्री की सहायता कर रहे थे और अब अगर आज सहकारिता की बात आ गई तो वह बैठे हैं, यानी हर मर्ज का वह एक नुस्खा हैं, रामबाण भी कह सकते हैं। आज चौधरी साहब की जगह वह हैं, लेकिन चौधरी साहब की और गौतम जी की नीतियों में जमीन आसमान का अन्तर है। गौतम जी ने रूस में जाकर सहकारिता को समझने की कोशिश की और लौट कर सदन को बतलाने की कोशिश की और एक करोड़ रुपया उन्होंने इस बात में व्यय किया कि अनेक सेमीनार उन्होंने किये और उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के विशेषज्ञ बुलाये और अपना ज्ञानवर्द्धन करते करते वह स्वयं ही हट गये अब उनकी जगह चौधरी साहब हैं। उन्होंने कानपुर में एग्री-कल्चरल कालेज में भाषण देते हुये कहा कि अगर देश में खेती ट्रैक्टर से होने लगे तो ५० वर्ष में यह देश रेगिस्तान हो जायगा। यदि इस विषय पर हम सोचें तो उनका भी खयाल यही है जो प्रस्तावक महोदय कुंवर साहब का है। उन्होंने आंकड़ों से बताया कि खेती जो हल के द्वारा हुई उसमें ४१० मन प्रति एकड़ पैदावार हुई जबकि ट्रैक्टर के द्वारा खेती करने पर केवल ३६१ मन प्रति एकड़ पैदावार हुई। उनके आंकड़े मन्त्री जी की बात की पुष्टि करते हैं।

मैं दोनों बातों के विषय में कहूंगा कि खेती आज हमारे देश में चाहे ट्रैक्टर से हो, चाहे बैलों से हो मुख्य चीज यह है कि इन छोटे-छोटे किसानों के लिये कौन सी चीज जरूरी है। कौन सी चीज उपलब्ध है, कौन सी चीज ग्राह्य है और कौन सी चीज सम्भव है। इन बातों को देखते हुये ट्रैक्टर की बात करना केवल स्वप्न सा है। आज बड़ी चर्चा है कि सहकारी खेती हो और देश उसके द्वारा उन्नति की ओर जाय। यह एक पुकार सी कांग्रेस के किसी अधिवेशन से उठी है और जो वह आंधी उठी और प्रधान मन्त्री के मुंह से जो बात निकली वही सबके मुंह से दोहराई जाती है। आज कांग्रेस में यह तरीका है कि हिज मास्टर्स वाइस की तरह अगर प्रधान मन्त्री जी कुछ बात कह दें तो बाकी पिछलगुये वही कहते फिरते हैं। वह मास्टर से यह नहीं पूछना चाहते हैं कि आपने जो कुछ कहा उसका क्या मतलब है। सरकार का विभाग भी उसी को दोहराने लगता है।

जो उद्घाटन १० हजार समितियों का जवाहरलाल जी के हाथों से हुआ था उनको नये विभागीय मन्त्री ने कायम रखा या क्या किया या उनमें क्या उन्नति हुई? उद्घाटन में

करीब २५ हजार रुपया खर्च हुआ था और गौतम जी ने बड़ी कारगुजारी दिखाई थी। वह चले भी गये। इस सहकारी खेती से क्या परिणाम होगा, उसकी अगर हम जांच करना चाहें तो यह सही है कि हमें गवर्नमेंट फार्मों की तरफ देखना पड़ेगा। प्रस्तावक महोदय ने इन फार्मों की उपज का औसत ठीक रूप से दिखलाया और यह भी बताया कि फार्मों की औसत उपज में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है। बल्कि पीछे हटने की बात आई है। तो ऐसी सहकारी खेती जैसे कि सरकार चाह रही है उसको करने के लिये हम कैसे प्रयत्न करें, कहां से हम सबक सीखें और कैसे उसको प्रतिपादित करें? इस प्रकार की खेती जैसी कि हम देख रहे हैं, जैसी कि फार्मों में हो रही है, हम समझते हैं कि इस प्रकार की खेती से किसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारे प्रस्तावक महोदय ने इस सुन्दर चीज में जो कड़वाहट पैदा कर दी वह उचित नहीं है। उन्होंने संकल्प में कुछ समाजवाद असमाजवाद का जो पुट लगा दिया उससे सारा का सारा मामला खराब हो गया, जैसे किसी भोजन में बड़े-बड़े व्यन्जन हों और जो मांसाहारी न हो उसके लिये उसमें कोई एक मास का टुकड़ा रख दिया जाय तो सारा भोजन उसके लिये बेकार हो जायगा। ठीक उसी तरह से एक गन्ध उन्होंने पैदा कर दी। मानता हूं कि वह समाजवाद के विरोधी हैं, मानता हूं कि उन्होंने जो पार्टी बनाई है---कागज में है, लेकिन देश में नहीं है---इसके ध्येय के मुताबिक वह असमाजवादी हैं। अपनी पार्टी का प्रोपेगन्डा तो वह वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव के द्वारा उसका प्रचार करना ठीक नहीं है। वह प्रवाह में आ गये और उन्होंने कह दिया कि समाजवाद जड़वाद है, भौतिकवाद है। तो वह वादों के चक्कर में न पड़ें। वाद सीखना हो तो अभी कुछ दिन और उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसा उनका प्रस्ताव है उसमें अगर हम कहना चाहें तो हमारे प्रस्तावक महोदय चले भी गये---शामिल सहकारी खेती ऐसी दवा है जो अन्नोपान गलत तरीके से होने पर जहर भी हो जाय और सही तरीके से होने पर अमृत भी हो जाय। अगर सहकारी खेती में साधन सुलभ हो जायं, कुछ छोटे-छोटे सहयोगों के रूप में हो, या साधन युक्त होते हुये स्वेच्छा से किये हुये लोगों में हो तो कोई वजह नहीं है कि लाभ न हो।

किसान पटेला जब चलाता है तो दुगुइयां पटेला चलाने की बात करता है, निकौनी और कटौनी भी किसान हमेशा साझे में करता है, इसलिए सहकारिता जैसी कि सोची जाती है वह तो कभी भी अनुचित नहीं हो सकती, बशर्ते कि सरकार अपना पार्ट अदा करे। जब खाद के लिए रुपया मांगते हैं, तो कहते हैं कि बजट में रुपया नहीं है। फर्टिलाइजर पर भी बिक्री कर लेंगे। किसान को तो बिक्री कर से छूट नहीं दी जाती, लेकिन मिल मालिकों पर जो ३० लाख रुपया बाकी था, उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सरकार ने नहीं की। इसलिए यह सरकार सहकारिता नहीं चला सकती। यह मेरी चेतावनी है। अगर सहकारी खेती कामियाब बनानी है, तो सरकार अपना कर्त्तव्य अदा करे। माननीय मुख्य मन्त्री जी पिछले आये थे, पीछे की सीट पर बैठे और चले गये, अगर आगे आते तो उनसे कहता कि उन्होंने ही कहा था कि खेती नहीं सुधरेगी, यदि हम इसको नहर की आबपाशी पर ही आधारित रखें। खेती तब सुधरेगी, जब पुराने कुओं को सुधारें जिसके लिए एक करोड़ रुपया खर्च करने वाले थे। माननीय चरणसिंह जी ने भी कहा था खेती तब अच्छी होगी जब प्रत्येक किसान के पास कुआं रहट और एक ऊंट हो। आज वह कृषि मन्त्री हैं, कर सकते हैं कृषि के बारे में जो चाहें, मैं उनसे पूछता हूं कि कितने किसानों को रहट, पक्के कुयें, और ऊंट देने को तैयार हैं? मन्त्री जी मेरठ के रहने वाले हैं इसलिये बैल की जगह ऊंट देना चाहते हैं, इस लिए जो संशोधन मैंने संकल्प में रखा है, वह सरकार के लिये एक चेतना है। आप इस को स्वीकार कर लें तो हम को भी प्रस्ताव स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव में समाजवाद और असमाजवाद की बात नहीं है यदि इसको स्वीकार किया जाय, जो मैंने संशोधन रक्खा है उसके साथ।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत है, मैं जितना इसे देखता हूं---आर्थिक दृष्टि इस की जो भी हो, लेकिन यह हद दर्जे का प्रतिक्रियावादी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामजी सहाय]

और अराष्ट्रीय दृष्टिकोण का पोषक है। प्रस्तावक महोदय के दल ने सीलिंग के समय इस चीज का समर्थन किया था बड़ी जोतों की सीलिंग के विरोध में। आज उस सिद्धान्त का वह विरोध कर रहे है कि बड़ी जोतें बिलकुल अनुपयुक्त हैं। उसके अन्दर उन्होंने चौड़ी गातों का हवाला दिया, लेकिन खेतों की निगरानी, उनकी आबपाशी और अन्य सहूलियतें खेतों के बढ़ने से होती हैं, उसका क्या उन्हें खयाल हुआ? उन्होंने कहा कि जब बड़ी गातें हो जायेंगी तो चौड़ी मेड़ें हो जायेगी, शायद ऊंची भी हो जायेंगी, चौड़ाई कोई दो फर्लांग नहीं हो जायगी।

वह अमेरिका का हवाला दे रहे थे। हम जानते हैं कि योरप के अधिकांश देशों में प्रति एकड़ पैदावार एक टन से कम नहीं है, लेकिन आज हमारे यहां पैदावार प्रति एकड़ ९ मन से अधिक नहीं है। आज हम किस तरह से पैदावार बढ़ायें? लोक वही परिपाटी कायम रखना चाहते हैं जो देश को अलग किये हुए थी और कोई भी साधारण से साधारण आदमी इसको पराजित करता रहता था। आज नेशनलाईजेशन की बात, सोशलाइजेशन की बात करते हैं---फैक्टरीज के बारे में जो उत्पादन के स्रोत हैं, लेकिन यह कृषि उत्पादन भी सामाजिक व्यवस्था की मांग है। बुद्धकाल में भी इसकी चलन थी। मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन वहां सामूहिक खेती हुआ करती थी। लोगों के स्वार्थ सामूहिक थे।

आज तो शोषण करने तथा अगल-अलग रहने की परम्परा पड़ गयी है। हम इस तरह के पाप करने के आदी हो गये हैं। विनोबा जी ने कहा है कि इस देश में क्रान्ति अवश्यम्भावी होकर रहेगी अगर हमने जमीन का कोई हल नहीं निकाला तो। उन्होंने जमीन दान में लेने के बाद कहा ग्राम स्वराज्य, ग्राम परिवार या समाज जो भी कहिये। जो हमारी सहकारी खेती है वह उस चीज की पोषक है। उस तथ्य का कृषक वर्ग में, रूरल एरिया में पोषण हो और उस भावना का प्रचार हो। मैं नेशनलाइजेशन को समाजीकरण नहीं मानता। जैसे और लोग कहते हैं उसमें श्रमिकों का हक हो, उसमें उनका हिस्सा हो, यदि इस तरह की चेतना नहीं लाते हैं तो आपका देश केवल जमीन का एक टुकड़ा ही हो कर रह जायगा। हमारे अन्दर वे भावनायें हों, हम आगे बढ़ें उत्साह के साथ तब तो ठीक है वर्ना जैसा कि अभी कहा जा रहा था जो हमारे समाज की मान्यतायें रही हैं, प्रदेशीय राज्य की देन या हमारी स्वयं की कमजोरियां रही हैं उनकी वजह से हो सकता कि सहकारी खेती के आज के वायु मंडल में उपयुक्त न हो, लेकिन यह कहना कहां तक उचित होगा कि हमें उस तरफ प्रगति नहीं करना है, हम सर्वदा के लिये आज इसे बन्द कर दें और यह कह दें कि यह देश के लिये अनुचित है और रहेगा। मैं नहीं समझता कि देश की परिभाषा क्या है। आज हमें देश में सामूहिक मनोवृत्ति की आवश्यकता है अथवा नहीं और तमाम संसार में जो उथल-पुथल हो रही है उस ओर गौर करना है। हमारा कायाकल्प हो रहा है। हजारों वर्षों से हम गये गुजरे थे। देश के इतिहास में कभी राष्ट्रीयता की चेतना नहीं रही थी। मौर्य काल में राज्य का विस्तार था, लेकिन शासन के नीचे दबे हुए आदमियों पर कुछ लोगों का शासन था, इस तरह की चीज नहीं थी, लेकिन आज हम में और आप में इस तरह की भावना आ रही है कि हम मिल कर किस तरह से आगे बढ़ें। एक तंत्र या राजतंत्र की बात नहीं है। तो आज हमें इस भावना को जागरुक करना है और इस मसले को लेकर आगे चलना है: यह किसी प्रजातांत्रिक सरकार के बस की बात नहीं है। हम टोटेलेटेरियन स्टेट लावें, कोई मिलिटरी ढंग का रूल लावें, बुलेट्स से कोई चीज चलावें--वह दूसरी बात हुई--स्वेच्छा की बात नहीं हुई।

आज जब कि हमको और आपको आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहियें? हमने जमींदारी अबालिशन किया, लेकिन किसी को तलवार के घाट तो नहीं उतारा, आपका फ्रेन्चाइज तो नहीं छीन लिया जैसे रशा ने लोगों को तलवार क घाट उतार कर उनकी

फ्रेन्चाईज की ताकत छीन ली। आपको आजादी दी गयी है। आप उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी। आपके हाथ बंधे हुये हैं। तो न तो आप किसी की चोरी कर सकते हैं और न आप पानी पिला सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ खोल दिये गये हैं तो आप तलवार भी चला सकते हैं, लूट भी सकते हैं, बीमार को पानी भी पिला सकते हैं। आज जो संविधान में हमें आजादी मिली हुई है हम उसका क्या उपयोग करना चाहते हैं और किस उमंग में करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि राष्ट्र में हमें बड़े-बड़े उभरे हुये फोड़े दिखलाई दें या हम चाहते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र की नाड़ियों में रक्त का प्रवेश स्वस्थ रूप से संचारित हो? क्या हम चाहते हैं कि अलग-अलग उनको रखना? क्या छोटे-छोटे खेतों में खेती करना उपयोगी होता है? आज भी ऐसे खेत हैं जिनमें हल नहीं चल पाते। कुदाली और फावड़े से उनमें खेती करना पड़ता है। ऐसी भी जगहें हैं जहां १०० आदमी फी वर्गमील रहते हैं पूर्वी इलाकों में और जहां पर केवल खेत की मेंड़ लगाने में सारी फसल खत्म हो जाती है। तो आज हमें इस बात को मिलजुल कर के देखना है, सामूहिक दृष्टिकोण से या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, पूरे देश को एक इकाई समझकर इस बात को सामने रखना है या केवल व्यक्तिगत हितों की दृष्टि से ही कार्यों को करना है।

मैं जानता हूं कि अमेरिका और इंग्लैंड में क्या होता है। इंग्लैंड के बारे में तो नहीं, लेकिन अमेरिका से तो जो हमारे यहां ५ अरब का गल्ला आ रहा है वह कोई व्यक्तिगत छोटे-छोटे हलों से की हुई खेती के कारण नहीं आ रहा है।

कुछ लोगों ने यह कारण बताया कि अगर हिन्दुस्तान में ट्रैक्टर चलेंगे तो खेत गहरे हो जायेंगे और सारा उजाड़ हो जायगा, लेकिन यह केवल कल्पना की बात है। एक ओर तो हम ऐटामिक एनर्जी का अवाहन करते हैं और दूसरी ओर ट्रैक्टरों से खेती हो इसका विरोध करते हैं। मैं पूछता हूं कि आज किसान गांवों में क्या करता है? आज गन्ने की बोवाई हो रही है सारे पूर्वी इलाके में वह सहकारी सिद्धान्त पर होती है। हमारे किसान गन्ने की खेती करते हैं, एक-एक बैल के किसान हैं। दूसरा बैल किसी से लेते हैं और मिला कर खेती करते हैं। जब बैलों की बात हो तो वह मिलाना चाहते हैं और दूसरी बातों में मिलकर खेती करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब २० गज, १० गज के जिनके खेत हैं उनको जब मिलाने की बात हो तो वह भावना आप पैदा नहीं करना चाहते कि वह लोग मिल जुल करके करें।

आप ने एक तरफ तो यह भी कहा कि जो अलाभकर जोते हैं उनकी मालगुजारी माफ करो और उसकी सीमा आपने बतायी साढ़े ६ १/२ एकड़, लेकिन मेरे जिले में पर कैपिटा आध एकड़ है और बहुत से मजदूर तो लेंडलेस लेबरर्स हैं। ऐसी जगह पर जरूरी सहकारी खेती सम्पादित हो सकती है और यह नहीं है कि एक आदमी की सनक है और अगर उसकी सनक भी हो तो भी उसने अपनी जान को, अपने शरीर को और अपना सब कुछ देश के लिये बरबाद कर रखा है। उसने किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि देश को, सब की सद्भावना को सामने रखकर कि किस तरह से देश उन्नति करेगा, इस दृष्टिकोण से यह चीज हमारे सामने रखी कि किस तरह से देश उन्नति करेगा। हो सकता है, जैसा मैंने निवेदन किया कि आज ही हम उस पर सारी ताकत न लगा सकें, लेकिन हमेशा के लिये उसे खत्म कर देना चाहते हैं, अपनी आंखें उस ओर से बन्द कर लेनी चाहिये यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। हम किधर जाना चाहते हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, हमें किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिये इस पर हमें सदा विचार करना होगा। योरप के लोग किन परिस्थितियों में थे और आज भी हैं, उनके यहां पहले प्रजातंत्र आया और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारे यहां भी आज प्रजातंत्र आया है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसको हम अलग-अलग करके नहीं देख सकते, हम जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनसे दूर हो कर हमेशा के लिये अपने को सील्ड नहीं कर सकते।

[श्री रामजी सहाय]

जिस तरह कार्ल मार्क्स और ऐंजिल्स ने एक थीसिस दी थी, लेकिन व्यावहारिक रूप से वह अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह से काम में आ रही है। उनका खयाल था कि इन्डस्ट्रियल कंट्रीज में ये रेवोल्यूशन्स होंगे और जर्मनी में होना चाहिये था, लेकिन वह रूस में हो गया। इसी तरह से चीन दूसरी तरह से लागू किया। हम अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार काम कर रहे हैं। हम कोई नकल नहीं कर रहे हैं। नकल करने वाला गड्ढे में गिरता है। हमारी परिस्थितियां अलग हैं। मैंने बताया कि रूस में प्रति वर्ग मील २० की डेन्सिटी है। हम उस मुगालते में नहीं हैं कि हम अमरीका और रूस की अन्धाधुन्ध नकल करें। हमारी जो परिस्थिति है उसके अनुकूल हम काम करेंगे। तो आपका यह कहना कि यह देश के लिये सर्वथा हानिप्रद है इसको कोई भी देश भक्त आदमी स्वीकार नहीं करेगा। आज जो हमारे कृषक और दूसरे लोग हैं जो बेकारी में मारे-मारे फिरते हैं उनके हित और अहित का हमें विचार करना होगा।

आज जो हमारा सबसे बर्निंग सवाल है वह प्रतिवर्ष ५० लाख आदमियों के बढ़ने का है यह सवाल अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और अस्ट्रेलिया के सामने नहीं है, रूस के सामने नहीं है, चीन के सामने हो सकता है। आज आस्ट्रेलिया वगैरह के सामने तो सवाल यह है कि किस तरह से आबादी बढ़ाई जाय। हमारे सामने सवाल यह है कि हम इस बढ़ती हुई मैन पावर को किस तरह से यूटिलाइज करें। जबकि आप जानते हैं कि भारतवर्ष के करीब ८५ प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं तो आज जब हम उसमें थोड़ा सा उलट फेर करके उन्हें कार्य में लगाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि यह नहीं हो सकता। यह मैं इसलिये कहता हूं कि आप इन तमाम परिस्थितियों को न देख कर केवल उन पुरानी बातों को देख कर एक अराष्ट्रीय दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं क्योंकि यह आज के भारतवर्ष के प्रत्येक मानव के हित के सर्वथा विपरीत है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, यह प्रस्ताव एक ऐसे सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता है जिसमें मैं समझता हूं कि हम लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिये। यह प्रस्ताव विरोध करने योग्य है और इसके एक-एक शब्द का विरोध होना चाहिये। इसमें तो उस सिद्धान्त से ही इन्कार किया गया है और कहा गया है कि मिलजुल कर कोई कार्य नहीं करना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी बात किसी समझदार आदमी के लिये कहना भी वाजिब नहीं है। आज सारे संसार में मिलजुल कर काम करने की प्रथा जारी है और जहां कहीं मिलजुल कर काम करने की प्रवृति है और उसको विकसित करने की कोशिश करते हैं वहां हमको आध्यात्मिक और भौतिक सफलतायें मिलती हैं। अगर एक आदमी बहुत तरक्की कर जाय और दूसरे उसके इर्द-गिर्द के लोग उस तरक्की से वंचित रह जायं तो मैं समझता हूं कि वह उस आदमी के लिये भी बहुत गौरव की बात नहीं है। तो जहां खेती में भी मिलजुल कर काम करने की प्रथा जारी करने की चर्चा हो उसका हमें स्वागत करना चाहिये। माननीया, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी प्रथा और यह स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है और हम लोग इसमें बहुत साफ हैं। कभी भी हमारे कहने का यह मतलब नहीं हो सकता है कि आज देश के जो लाखों किसान हैं, उनकी जमीन को एक में जबरिया करके हम कोआपरेटिव फार्मिंग का कोई स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग का हम अक्षरशः मतलब यह समझते हैं कि स्वतः हमारा किसान इस बात से सबक ले कि वह एक में मिलकर के अपनी से ज्यादा उपज ले सकता है और ज्यादा आसानी से काम ले सकता है और और छोटी खेती में भी ज्यादा उपज लेने के लिये वह इस तरह की बात कर सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब सवाल यह है कि शुरू कहां से हो ? मैं अपने दोस्तों से यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी बात को इत्मीनान से सुन लें । सरकार के ऊपर हम यह दोषारोपण करते हैं कि सरकार की अकर्मण्यता, इनऐफीशियेन्सी और एक लफ्ज और जिसको मैं कहना नहीं चाहता हूं उसकी वजह से कोआपरेटिव फार्मिग सफल नहीं हो रही है । कोआपरेटिव फार्मिग में भी भ्रष्टाचार है और इसने इस कदर इसको बदनाम कर रखा है कि जब कभी सहयोगी खेती की चर्चा होती है तो किसान समझने लगता है कि हमारे ऊपर मुसीबत आ गई । मुझे याद है कि वर्मा जी जवाब दे रहे थे, एक कोआपरेटिव इंस्पेक्टर की चर्चा हो रही थी, शिवप्रसाद नागर जी ने सवाल किया था । एग्रीकल्चर से उसका ताल्लुक है । मुझे जाती तौर पर इसके बारे में जानकारी है और बहुत से लोग देवरिया के तथा अन्य जगह के वहां रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि वह इंस्पेक्टर वहां लोगों को बहुत तंग कर रहा है और मुकदमा लड़वाने तथा आपस में भिड़न्त कराने में वह एक्सपर्ट है और ५ वर्ष उसे हो गये हैं लेकिन वह वहां से हटता नहीं है ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—वह कांग्रेस को पैदा करवा रहा है ।

श्री गेंदासिंह—जी नहीं, वह कांग्रेस के लोगों को गहरे गढ़े में डाल रहा है । कांग्रेस वाले इतने अहमक हों और वे यह समझें तो इसका कोई इलाज नहीं है । किच्छा तथा अन्य जगह इसके ऐक्सपेरीमेंट्स हुये । इसका सिद्धान्त उल्टा नहीं है बल्कि हमारी करनी और धरनी उल्टी है, इसीलिये वह फेल होता है और जब उसका नतीजा किसान के सामने आता है तो किसान घबराता है और मैं भी घबराता हूं और जो स्वरूप सहकारी खेती का इस समय है और मुझसे कहा जाय तो मैं भी कहूंगा कि मेरी खेती को दूसरे के साथ न जोड़ें । आपका प्रस्ताव ऐसा है जो पास नहीं होना चाहिये और मैं चाहता हूं कि मिल जुल कर काम करने की लोगों की आदत पड़े और यह स्थिति उत्पन्न हो सके ।

अब एक बात मैं स्पष्ट करूं कि सरकार के शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, डंडे के बल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार के उस बल की आवश्यकता है जिससे कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ लोगों का रुझान हो सके । वह कौन सा बल होगा ? वह बल यह होगा कि कोआपरेटिव फार्म्स बनाये जायं और किच्छा में ही न बनाये जायं बल्कि प्रत्येक जिले में बनाये जायं ।

अब प्रत्येक जिले में वह जमीन कहां से आवे ? उसके लिये भी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सीलिंग से कुछ जमीन आखिर निकलती है कि नहीं । निकलेगी, निश्चित निकलेगी । (व्यवधान) मैं कहता हूं कि सिर्फ फर्क कुछ डिग्रीज का है लेकिन इतनी बात जरूर है कि उससे जमीन निकलेगी । तो जो जमीन निकलेगी इस तरह से सीलिंग से, जो सीलिंग कि हमारे देश की विधान सभायें तय कर रही हैं और मैं समझता हूं कि जिसमें काफी उदारतापूर्वक लोगों के पास जमीन छोड़ी जा रही है (व्यवधान) अगर उससे ज्यादा हम लोगों के पास हो, तो उससे पहले हमारी ले ली जाय । मैं यह सजेस्ट कर रहा था कि इस जमीन को प्रापर्टी बनाया जाय उस गांव के भूमिहीनों की और यह जरूर शर्त कर दी जाय कि उन्हीं भूमिहीनों को वह जायदाद दी जायगी जो भूमिहीन कि मिलकर के कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे । तो इस तरह से उनको वह जमीन दी जाय और दो जगह, चार जगह, दस जगह जितने भी स्थानों पर हो सके ऐसे फार्म हो जांय ।

गैर मजरुआ जमीन जहां तोड़ी जाय वहां भी इसका ध्यान रखा जाय कि भमिहीनों को वह जमीन मिले । उनको जब यह जमीन मिलें तो भूमिहीनों के पास न तो रुपया है, न तकावी उनको मिल सकती है, न कर्जा मिल सकता है और जब उनके पास बैल नहीं होंगे तो जमीन जुतेगी कैसे ? इसलियें उनके लिये इस कोआपरेटिव फार्मिंग की नितान्त आवश्यकता है । इसके बिना वह उस जमीन से उपज नहीं कर सकते । तो सीलिंग से जमीन लेकर के उसको परती डालने का इरादा नहीं है, गैरमजरुआ जमीन को तोड़कर के परती डालने का इरादा नहीं है ।

[श्री गेंदासिंह]

भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं तो उनकी मदद करने के लिये सरकार को आना पड़ेगा मैदान में। उनकी मदद सरकार को करनी पड़ेगी। और फिर उस जगह यह एक्सपेरिमेंट होने की जरूरत है। यह एक्सपैरिमेंट वहां हो और खूबी के साथ हो। पानी की व्यवस्था की जाय, अच्छे बीज की व्यवस्था की जाय, उस जमीन की अच्छी जुताई की व्यवस्था की जाय, अच्छे बैल रखवाइए, अच्छी खाद दीजिये। इस तरह से जब वह अच्छी उपज करने में कामयाब होंगे और उससे उनकी माली हालत दुरुस्त होगी तो उस कोआपरेटिव फार्मिंग को देखकर के दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होंगे। अगर इस प्रकार के फार्म्स हमारे प्रदेश में सौ, दो सौ, चार सौ भी हो सकें और उससे सरकार की एफिशियेंसी साबित हो, सरकार की सिंसियारिटी भी साबित हो कि सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये सिंसियर है, अगर ये दोनों बातें साबित हों तो, माननीया, झगड़े की जरूरत, दबाव की जरूरत, कोआपरेटिव फार्मिंग में कमी नहीं पड़ेगी और मैं समझता हूं कि जो लोग इस वक्त उससे घबड़ाते हैं, उनमें भी ईमानदारी है, यह बात नहीं है कि बिलकुल उनकी नीयत कोई ऐसी है कि वह इस देश की तरक्की नहीं चाहते हैं। घबराते हैं इसलिये कि हमारे पास तो ५ कट्ठे का एक टुकड़ा जमीन है। वह ५ कट्ठे का टुकड़ा ५० बीघे के टुकड़े में चला गया और उस ५ कटठे में जो उत्पादन करके हम किसी तरह अपनी गुजर कर लिया करते थे, वह भी वहां जाकर न हो पाये, वहां जाकर उत्पादन गिर जाय तो यह घबराहट होना स्वाभाविक है, सभी को होती है। तो इसको दूर करने का एकमात्र तरीका यही है।

आखिर देश में हर आदमी तो इस बात के लिये तैयार नहीं है कि सरकार जो कुछ भी करे उसका वह विरोध ही करें। इस हाउस में ही मैं देखता हूं कि जिस दिन रोडवेज का बजट आता है हर आदमी करीब-करीब उठकर के उसकी तारीफ करता है। किसलिये तारीफ होती है? इसलिये होती है कि उसकी कार्य-शैली, उसके मुलाजिमान का बिहेबियर, उसके काम आदि को देखने से लोगों को काफी सन्तोष होता है। यह बात नहीं है कि उसमें खामियां नहीं हैं, यह मैं नहीं कहता कि कतई शिकायत उसमें नहीं है। आखिर, कहीं कोई काम चलता है तो उसमें कुछ न कुछ शिकायत तो होगी ही। लेकिन इस सदन में जब कभी भी रोडवेज की चर्चा हुई है तो उस रोडवेज की कुल मिलाकर प्रशंसा ही हुई है।

माननीया, यह उदाहरण के तौर पर मैंने इसलिये कहा कि अगर यह कोआपरेटिव फार्मिंग का काम, जैसा मैंने कहा, यदि सम्बन्धित क्षेत्रों में चलाकर, सचमुच सहकारिता की मदद करना है तो वह इस तरह से कीजिये। वह मदद दो प्रकार से होती है। एक तो उससे भूमिहीनों की आप मदद करते हैं और दूसरे सहकारिता के सिद्धान्त की मदद करते हैं। इन दोनों चीजों की मदद करके आप इसके विरोध को कम कर सकते हैं।

सन् १९१७ में रूस में जब रेवोलयूशन हुआ था तो उसके बाद लेनिन साहब ने यह समझा कि सारी जमीन को एक जगह कर दिया जाय, इससे उत्पादन बढ़ जायगा। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वहां पर अकाल पड़ गया और रूस जैसे मुल्क को दूसरे मुल्कों से अनाज लेकर खाना पड़ा। तो हम उस खतरे को जानते हैं। आज हम किसानों की जमीन को जबरदस्ती एक जगह करें वह स्थिति पैदा करना नहीं चाहते हैं जो कि लेनिन साहब को बदलना पड़ा। लेनिन साहब को भी उस नीति से हटना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि अब हम कलेक्टिव फार्मिग की तरफ नहीं जायेंगे। हम कोआपरेटिव फार्मिग की तरफ जायेंगे और यह लोगों की इच्छा पर रहेगा कि अगर वह उससे अलग रहना चाहें तो वह अलग रह सकते हैं। उस कलेक्टिव फार्मिग का उन्होंने विरोध किया था। अपनी जरूरत के लिये कुछ जमीन रखने की उनको इजाजत दी, जैसे कि बागवानी या चरने आदि के लिये लोग अपने पास जमीन रखें। तो यह अजीब धन्धा है।

सरकार का सही तरीका नहीं है। जिस किसी मिनिस्टर से पूछा जाय, चाहे वह सहकारी मिनिस्टर ही क्यों न हो जैसे कि पहले सहकारिता के मंत्री थे, उनसे जब पूछा गया तो

उन्होंने भी इधर-उधर की बात बतलाकर यह कह दिया कि यही सहकारिता है। मैं कहता हूं कि यह स्पष्ट हो जाय कि सरकार का मन्शा इससे क्या है। मैं सहकारिता को बदनाम नहीं करता लेकिन सरकार उस सहकारिता को सही माने में सामने ले आये। मुझे इसका बहुत अफसोस होता है कि जिस वक्त मुझे अपने मित्र माननीय राजा साहब जगम्मनपुर और श्रीपाल-सिंह जी का विरोध करना पड़ता है। मैं बहुत बार सोचता हूं तब जाकर उनका विरोध करता हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि वे ऐसे लोग हैं जो धरती से ज्यादा से ज्यादा पैदा करके देश की अच्छी सेवा कर सकते हैं। यह एक बड़ा सवाल है। वह भी जोतने वाले हैं और किसान हैं और मैं भी किसान हूं। इसलिये हम जानते हैं कि इस सवाल का उससे क्या सम्बन्ध है। इस सवाल पर सरकार को पूरी तरह से विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपनी सफाई के लिये इतना निवेदन और करूंगा कि इस मामले पर किसी तरह से हमारे स्टैंड को मिसअन्डरस्टैंड न किया जाय। हमने अपनी बात को कह दिया है। हम कोआपरेटिव सिद्धान्त के समर्थक हैं और जमीन पर उसका किस प्रकार से अमल किया जाय वह अमल का तरीका हमने बतला दिया। यह अमल का तरीका उसी तरह से शुरू करना चाहिये जिससे यह सफल हो सके ताकि किसानों के अन्दर से भय उठ सके। किसी के ऊपर भय डालने का इस कोआपरेटिव फार्मिंग का मकसद हरगिज नहीं है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—मैं आपका, अधिष्ठात्री महोदया, बहुत आभारी हूं कि जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मैं बूढ़ा आदमी तीन बार खड़ा हुआ मगर मुझे मौका नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता—अभी बहुत समय है। आपको समय मिलेगा।

श्री हरीसिंह—मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो अभी सहकारी खेती के विरोध में पेश किया गया है।

जहां तक सहकारिता की बात है, असल में सही तरीके से हम सहकारी खेती को समझ नहीं पाये हैं और इसका विरोध करते हैं। हमने कई बार इस सदन में यह आवाज उठाई है कि बजाय इसके कि आप बड़े किसानों की जमीन लेकर सहकारी खेती आरम्भ करें, आप-जितनी भूमि पंचायतों के पास पड़ी हुई है, कल्लर या बंजरभूमि पड़ी हुई है उसका सर्वे करा कर इसका प्रबन्ध करें। वह खेतिहर मजदूरों को दें। उस भूमि के लिये खाद, पानी और बैल का प्रबन्ध करें उनकी सहकारी सोसाइटी बना कर उन्हें वह भूमि दें कि जो व्यर्थ और बेकार पड़ी हुई है। वह कामयाब हों, वे अन्नोत्पादन बढ़ायें और तब आप देखें कि सहकारी खेती अच्छी होती है या नहीं। यदि उसमें हमें सफलता मिलती है तब तो हमें सहकारिता की बात करनी चाहिये, लेकिन यदि हम उसमें सफल नहीं होते तो उसे छोड़ देना चाहिये क्योंकि यदि हम उसमें ही जुटे रहे तो जो जमींदारी खत्म होने से हुआ वही इसमें होगा। जमींदार तो मिट गये लेकिन गरीब मजदूरों का जमींदारी विनाश से कोई लाभ न हुआ।

इसलिये मेरी आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि चाहे राजा हों या महाराजा, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग हों अथवा सोशलिस्ट पार्टी के, चाहे वे कांग्रेसी हों, जनसंघी हों अथवा कम्युनिस्ट हों, उन सबका उद्देश्य और अभिप्राय एक ही है कि हमारे देश का कल्याण हो, हमारी जनता सुखी हो, हमारा देश समृद्धशाली बने और सर्वप्रिय हो। चाहे हमारे रास्ते अलग-अलग हों, लेकिन अभिप्राय सब का एक ही है। गरीब हो या अमीर, हर एक देश का कल्याण चाहता है, जनता का कल्याण चाहता है। परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

की दुहाई तो हर एक देता है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि काम कोई करता नहीं। इसी सदन में भूमि सीमा निर्धारण विधेयक पारित किया गया, लेकिन क्या ईमानदारी के साथ मुझे कोई बतला सकता है कि कितने खेतिहर मजदूरों को उस विधेयक के जरिये से जमीन मिली है। वह सारी जमीन आपस में ही बंट गई, गरीब बेचारा यूं ही रह गया।....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उस समय उसके लिये आपका भाषण क्या था ?

श्री हरीसिंह—श्रीमन्, मेरा भाषण यह था कि मैं चाहता था कि हम और आप ईमानदारी के साथ बात करें। (व्यवधान) आप बाज नहीं आते, इसलिये आप अब सुनिये। अगर आपको इसी में आनन्द आता है, तो आप सुनिये। जो काफी जमीन रखते हैं, जिन के पास एक-एक हजार एकड़ जमीन है, वे उन खेतिहर मजदूरों की बात करते हैं जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है। यह उनके पैर घसीट रहें हैं, और नाम हमारा ले रहें हैं। श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था कि हम सब चाहते हैं कि देश का, जनता का कल्याण हो, लेकिन आप लोग जनता को धोखा देना चाहते हैं। वास्तव में हमारी पार्टी जनता को धोखा नहीं देती। आप अन्दर कुछ और कहते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं। आप....

श्री उग्रसेन—हम जो करते हैं वह सब को बता देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप अपने भाषण पर ही ध्यान दें और दूसरों की बातों का उत्तर न दें।

श्री हरीसिंह—चूंकि बीच में वे कुछ बोल गये थे इसलिये मैंने इतना निवेदन किया।

जहां तक सहकारी खेती का सवाल है, मैं चाहता हूं कि वह हो, लेकिन उसका तौर तरीका क्या हो, इसे देखना पड़ेगा। जब हम आज की सहकारी खेती देखते हैं तो पाते हैं कि दुनिया भर के मुकदमें इस सिलसिले में चल रहें हैं। मेरा अपना विचार है कि जब तक यह सहकारी खेती सरकारी अफसरों के हाथ में रहेगी तब तक इस देश में यह सहकारी खेती सफल नहीं हो सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आप सहकारी खेती को सफल बनाना चाहते हैं तो जो आप के प्रदेश में परती, बंजर जमीन पड़ी हुई है, उस सब का सर्वे करायें और १९५२ से जिन लोगों ने ऐसी जमीनों पर अपना कब्जा कर रखा है उनसे वह जमीन लेकर उन खेतिहर मजदूरों को दी जाय जिनके पास कोई जमीन नहीं है और जो खेती करना चाहते हैं और उनको खाद, पानी, बैल और हल का प्रबंध करायें, उनको सहकारी समितियां बना कर यह सब मदद दी जाय तभी इससे फायदा हो सकता है और यह सहकारी खेती सफल हो सकती है। यदि इस प्रकार खेती सफल हो तभी आप दूसरों की जमीन लेने के मुस्तहक हो सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा न हुआ तो यह सहकारी खेती फेल होगी और फेल होती रहेगी। यदि इसको आपने सरकारी अफसरों के हाथों में रखा तो यह सहकारी खेती कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि सहकारी खेती होनी चाहिये। उस तरफ से जो यह प्रस्ताव रखा गया है कि सहकारी कृषि नहीं होनी चाहिये, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। किन्तु आज जरूरत इस बात की है कि सहकारी खेती के तरीकों को बदला जाय।

इस देश में सहकारिता पहले भी थी और इस देश के लोग सहकारिता को मानने वाले लोग रहें हैं। उन्होंने सहकारिता और सहकारी खेती के बल पर ही राज्य किया है। आज हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहां अधिकारी इस सहकारी कृषि को सफल होने में रुकावट डाल रहें हैं, वह उसको चलने नहीं देते। मैं बताता हूं कि एक सोसाइटी थी, उसका ४ वर्ष तक इन अधिकारियों ने चुनाव ही नहीं होने दिया। उसमें गबन हुआ। पुलिस इन्क्वायरी कर रही है। मुकदमा चल रहा है। काफी पैसा उसमें बरबाद हो रहा है। इस तरह की सहकारिता से तो भगवान बचाये। हम इस तरह की सहकारिता नहीं चाहते जिसमें जनता का

पैसा भी व्यय हो और उसको कुछ लाभ भी न पहुंचे। अगर आप ऐसी सहकारिता लाना चाहते हैं, तो इससे तो अच्छा यही होगा कि आप इसे दूर ही रखें। अगर वास्तव में आप सहकारिता को लाना चाहते हैं, इस देश में सहकारी खेती को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उसे जनता द्वारा कामयाब बनायें। सरकारी अधिकारियों को उससे दूर रखें। अगर जनता द्वारा आपने इसको चलाया, तभी इससे कुछ लाभ होगा, वरना इससे नुकसान ही होगा और गरीब बेचारा मारा जायेगा।

श्रीमन्, हमने जनता की सेवा और उसके उत्थान को ही सामने रख कर राज्य किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमने कभी देश के प्रति ऐसी बातें नहीं सोचीं जिससे इस देश का कोई अपमान हो या बदनाम हो। हम गरीब को निर्बल होते कभी नहीं देख सकते। यह राजा लोग महलों में रहते हैं और मजा करते हैं। यह क्या गरीबों का भला चाहेंगे। हम सहकारिता के विरोधी नहीं हैं, सोशलिस्ट वाले विरोधी नहीं हैं, कम्युनिस्ट वाले भी विरोधी नहीं हैं, विरोधी कौन हैं, विरोधी हैं यह राजा, महाराजा लोग। ये इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे इनकी जमीन छिन जायेगी।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं श्रीमन्, और वह यह कि आज जरूरत इस बात की है कि सरकार, जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उन पर सहकारिता को चलाये। आज हमारी पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं उन सब में सरमायादार लोग हैं। आज क्या होता है—टैक्स बढ़ता है तो वह गरीब पर और कोई आफत आती है, तो वह गरीब पर, इन बड़े-बड़े मिल-मालिकों पर कोई असर नहीं होता। कानपुर के मिल-मालिक आनन्द कर रहे हैं। गरीब मर रहा है। सारी मेहनत करने के लिये तो बेचारा गरीब है और विदेशों की सैर करने के लिये यह सरमायादार लोग हैं। इसका कारण आज यह है कि इन बड़े-बड़े लोगों पर सहकारिता नहीं है, किसानों के लिये सहकारिता है।

मैंने इसी हाउस में बराबर कहा है कि पहले हमारे प्रान्त में जितनी भी बन्जर भूमि है, उसका सर्वे कराया जाय और उसके सही आंकड़े हमारे सामने रखे जायं। किन्तु आज तक इस सरकार ने उसका सर्वे नहीं कराया। जमींदारों से जमीन ले लो, किसानों से जमीन ले लो, कम्युनिस्ट भी यही चिल्लाते हैं, सोशलिस्ट भी यही चिल्लाते हैं, और सभी लोग यही कहते हैं। मैं कहता हूं कि पहले सहकारी खेती बन्जर भूमि पर करो। अच्छे बैल, पानी और खाद देकर उस भूमि पर सहकारी खेती को सफल बनाओ और जब वहां आपको सफलता मिले तब दूसरी जगह सहकारी खेती को चलाओ। अगर सरकार ने यह नहीं किया तो सहकारी खेती कभी सफल नहीं होगी और यह सब दिखावा ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे न किसान का भला होगा, न देश का भला होगा, न प्रान्त का ही भला होगा। क्योंकि अभी मुझे मालूम हुआ है कि यादव जी जो कम्युनिस्ट हैं और मजदूरों का, किसानों का भला चाहने वाले हैं वह भी १ हजार बीघे के जमींदार हैं और कम्युनिस्टों में ही नहीं, ये तो रूप बदल-बदल कर हर एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं—चाहें सोशलिस्ट हों, प्रजा सोशलिस्ट हो, कोई हो। मैं तो राजाओं से खुश हूं कि सीना तान कर एक जगह तो हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य, भावना और भाषा पर संयम रखें।

श्री हरीसिंह—ठीक है, मैं आपके आदेश को हृदय से मानता हूं लेकिन, अगर हम असली चीज को और अपने हृदय के उद्गारों को यहां ही स्पष्ट नहीं कर सकते तो कहां करें? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हाउस में कोई भी माननीय सदस्य किसी के सम्बन्ध में बिना जाने, तथ्य पर बिना पहुंचे किसी प्रकार का आक्षेप कर सकते हैं, जैसा कि अभी उन्होंने चन्द्रजीत जी यादव पर किया कि वह एक हजार एकड़ खेत जोतते हैं?

श्री अधिष्ठाता—वह तो मैंने खुद ही टोक दिया, आप स्वंय विचार करें। मैंने कहा कि माननीय सदस्य अपनी भावना और भाषा पर संयम रखें।

श्री हरीसिंह—अधिष्ठात्री महोदया, मेरा मतलब वास्तव में यादव जी से नहीं था, अगर मुझे समझने में भूल हो गयी तो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा मतलब राजा महाराजाओं से था। मुझे केवल यह कहना है कि जो प्रस्ताव है मैं उसका विरोध करता हूं। सहकारी खेती अवश्य होनी चाहिये, लेकिन उसका रूप दूसरा हो। अगर अफसरान के द्वारा खेती होगी तो उसमें असफलता मिलेगी। हमारा कोआपरेशन होना चाहिये, सरकार उसमें मदद करे और जो बंजर भूमि पड़ी है, उसको लेकर खेतिहर मजदूरों को दिया जाय और सहकारिता के आधार पर खेती कराई जाय।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, काफी देर हो गई सहकारिता की बातचीत होते हुये, लेकिन हमारी सरकार जब किसी काम की शुरूआत करती है तो सारा काम उल्टा होता है—जनता के हित में नहीं होता है, अहित में होता है। एक मोटी सी बात है कि जब चुनाव आता है तो स्वतंत्र जो होते हैं उनके लिये चिन्ह बना दिया जाता है हाथी का, मोटर का, इंजिन का, साइकिल का, तराजू का और सरकार का चिन्ह बैलों का। यह दिमाग की चीज है। न बैलों के जरिये से जोतना जानें, न चराना जानें, न चरी बोना जानें, न काटना जानें, तो उनको तो बैल और पुजारी को इंजिन ! न तो मेरे बाप ने देखा, न दादा ने देखा। वह तो उनका होना चाहिये जो कि हवाई जहाज में बैठते हैं। श्रीमन्, एक चीज बताऊं, यह जब रिश्वतखोरी बन्द करते हैं तो वह दूनी बढ़ती है। जब चकबन्दी लाते हैं तो जनता से कहते हैं कि तुम्हें एक चक दिया जायगा, लेकिन श्रीमन्, एक चक वाले को दो चक, दो वाले को चार चक, चार चक वाले को ६ चक यह इनकी चकबन्दी है। सरकार कहती है कि यह तो किसान की मर्जी पर है, अगर किसान चाहेगा तो सहकारिता होगी। श्रीमन्, किसान की मर्जी पर तो चकबन्दी भी थी, वह मर्जी के साथ क्यों नहीं हुई ? यह सहकारिता का जो प्रस्ताव पास हुआ है यह बिलकुल ठीक है, इस पर न बैरिस्टर न वकील और न किसी पार्टी का नेता पहुंचेगा। यह बड़ी गहरी चीज है। जब सहकारिता शुरू होगी, किसान उसमें शामिल होगा और जब किसान उसमें शामिल हो जायगा तब उसको अयोग्य साबित कर दिया जायगा कि तुम सहकारिता के काबिल नहीं हो। तब जो किसान होगा वह खेतिहर मजदूर हो जायगा और सरकार उसकी मालिक हो जायगी और जो खेतिहर मजदूर होंगे वह बिला मौत मर जायेंगे। इस तरह से देश की आबादी का छठवां हिस्सा खत्म हो जायगा जो कि दिन प्रति दिन जन-संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस पर कोई नहीं पहुंचा। यही सरकार की नीयत है कि लोग कम कैसे हों, मरें कैसे।

दूकानदारों से यह कहा जायगा कि सहकारिता होगी, २५ दूकानों की एक यूनियन या ५० दूकानों की एक यूनियन, उसमें चपरासी रहेगा। उसमें सरकार दूकानदारों को मजदूरी दे देगी और दूकानदार मजदूर हो जायेंगे और जो कुछ बेचेगा वह खुद ले लेगी। तो, श्रीमन्, आप देखें कि जो दूकानदार होंगे वह मजदूर हो जायेंगे और दूकानदार के मजदूर बिला मौत मारे जायेंगे तब देश की आबादी का छठवां हिस्सा खत्म होगा। इस पर कोई नहीं पहुंचा है।

श्रीमन्, सरकार रूस, अमरीका और जापान की नकल कर रही है। यहां पर तो दूध की नहर बहा करती थी और गरीबों के घर में भी सोने के कलश होते थे। रूस में ढाई एकड़ जमीन जेब खर्च के लिये दी गई तब भी लोग विरोध कर रहे हैं। यहां पर ट्रैक्टर से खेती कराई जायेगी जिससे गाय, भैंस, बैल, दूध सब खत्म हो जायगा। सरकार हर चीज पर कब्जा करना चाहती है। जो लोग गेहूं के पेड़ को जानते नहीं, खेती को समझते नहीं लेकिन किसान के पीछे पड़े हैं। श्रीमन्, विरोधी भी इसमें शामिल हैं। सरकार की जब डिक्टेटरशिप हो जायगी तब कोई चूं नहीं कर सकेगा। किसान मर जायगा, वह मजदूर बनेगा और मजदूर बेकार

होकर खत्म हो जायगा और इस प्रकार से देश के छठवें हिस्से की आबादी खत्म हो जायगी । श्रीमन्, आपके द्वारा एक चीज बताऊंगा—

क्या हालत हो गई भारत की, गुण थे वहां अवगुण जारी हुये,
जो सत्य अहिंसाधारी थे, वे हिंसक भ्रष्टाचारी हुये ।
जनता का मुख्य खजाना था, वहां डाकू चोर रखवारी हुये,
मतलब को पैर चूमते थे, निकले पर बाघ सिकारी हुये ।
जहां जिन्दा प्रजातंत्र न हो, जहा नेहरू डिक्टेटरधारी हुये,
सपने में न माना राम खुदा, वे नास्तिक लोग पुजारी हुये ।
छल कपटी कालनेमि बन कर, आज शासन के अधिकारी हुये,
क्या आशा देश सुधारन की, जहां बिरला खद्दरधारी हुये ।

क्या इससे देश का उद्धार हो सकता है ? इससे देश का भला नहीं होगा । देश का भला करने वाली पुरानी सहकारिता कहां है ? आज स्त्री-पुरुष में सहकारिता नहीं है, बाप-बेटे में सहकारिता नहीं है, खानदान और मुहल्ले में सहकारिता नहीं है, मोहल्ले, पड़ोस में सहकारिता नहीं है और कांग्रेस में सहकारिता नहीं है । तब यह नयी सहकारिता कहां से आ गई ? हम में और आप में तो सहकारिता नहीं है । अगर सहकारिता चाहते हो तो इधर के कुछ नेताओं को लो । एक सोशलिस्टों में से, एक प्रजा सोलशलिस्ट में से, एक जन-संघ में से भी ले लो और हम तो ठहरे स्वतंत्र जिन्हें आप पूंजीपति कहते हैं । कम्युनिस्टों को तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि वही तो असली सहकारिता चाहते हैं । लेकिन यहां तो मुख्य मंत्री आपके, सिंचाई मंत्री आपके, सहकारिता मंत्री आपके दो चार इधर के भी तो लो या केवल कहने की सहकारिता है ।

एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि पुरानी सहकारिता ठीक थी जिसमें चार-चार आदमी साथ काम करते थे । चार-चार परिवार उससे पलते थे । उस सहकारिता को तो आपने छीन लिया । अगर आज किसी काम के बदले में १० बीघा जमीन दे दी जाय और लेखपाल उसको लिख दे तो जमीन ही हाथ से निकल गई । हमारे पास चार चीजें थी—धन, धरती, धर्म, और धंधा । सरकार ने धंधा तो छीन ही लिया । धरती है जिसके लेने की तैयारी है, धंधा कोई है नहीं, और धर्म को तो आपने खतम ही कर दिया । अब तो हमारे पास चार चीजें रह गई हैं—झाड़ू, झंडा, झोला और झगड़ा । इनके कारनामों को मैं दिखा रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं । एक कहावत है—"विनाश काले विपरीत बुद्धिः", जब दिन बुरे आते हैं तो बुद्धि बेकार हो जाती है, तो सन् ६२ में इनको मालूम पड़ जायगा कि वास्तव में सहकारिता है क्या चीज । उस वक्त इनको खयाल होगा कि पुजारी क्या कहता था, जनता के हाथ में जो चीज उन्होंने दी है उसी से अपनी मौत बुला रखी है और मैं समझता हूं कि सन् ६२ में जनता इनको खत्म कर देगी । मैं आज सही बात करता हूं कि अगर कांग्रेस वादा करे और सहकारिता को वापस ले ले तो मैं कांग्रेस में आने को तैयार हूं ।

दूसरी चीज यह कि दसगुना लगान लिया गया है, उसके आधार पर किसानों का लगान आधा करे और जो किसानों को आश्वासन दिया गया था उसे वह पूरा करे तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो कहूंगा कि कांग्रेस को वोट दो । लेकिन अगर कांग्रेस ने नेहरू की डिक्टेटर शाही रखी तो न कांग्रेस रहेगी और न ये रहेंगे, ये सब ६२ में खत्म हो जायेंगे । इसलिये मैं कहता हूं कि कांग्रेस अपनी आदत से बाज आवे । मैं कांग्रेसी हूं, कौन कहता है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं ? कांग्रेस को चाहिये कि वह गांधी जी के सिद्धान्त पर चले । गांधी जी क्या कहा करते थे ? उनका कहना था कि हमारे यहां कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, बिना शिक्षा के कोई नहीं रहेगा, बिना मकान के कोई नहीं रहेगा, सब के खाने का इन्तजाम होगा, सबकी मुफ्त पढ़ाई होगी, किसानों का लगान आधा किया जायगा, किसान गंगा जमुना से पानी प्राप्त कर सकेंगे लेकिन आज हालत यह है कि गंगा नहर से पानी लेने पर भी टैक्स है । गांधी जी के मार्ग से आप हट गये । आप आइये गांधी जी वाले पुराने मार्ग पर ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, उधर से जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका में विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीया, अपने प्रस्ताव को उपस्थित करते हुये माननीय कुंवर साहब ने यह कहा कि सहकारी खेती तीन तरह की होती है। एक तो साधन सहकारी खेती, दूसरी संयुक्त सहकारी खेती, और तीसरी कलेक्टिव सहकारी खेती। इनमें से उन्होंने साधन सहकारी खेती का समर्थन किया और इसके समर्थन में उन्होंने जापान का उदाहरण दिया कि जापान में इस साधन सहकारी खेती के आधार पर खेती करने से वहां की उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो माननीया, इस तरह से उन्होंने इस साधन सहकारी खेती का समर्थन करके अपने प्रस्ताव का विरोध स्वयं ही कर दिया।

एक चीज जो आजकल कही जाती है कि सहकारी खेती न की जाय और इसका विरोध किया जाय, हमारे यहां ज्यादातर किसान बहुत छोटे-छोटे हैं और बड़े किसान जितने भी हैं चाहे वे राजा महाराजा के रूप में हों या भूतपूर्व जमींदारों के रूप में हों, अधिकांश में वे ही लोग सहकारिता के विरुद्ध हैं। हमारे भारतवर्ष में ५ एकड़ भूमि वाले ५९ फीसदी किसान हैं, ५—१० एकड़ वाले १९ फीसदी हैं, १०—२५ एकड़ वाले १७ फीसदी हैं और २५—५० एकड़ वाले ५ फीसदी हैं तथा ५० एकड़ से ऊपर वाले एक फीसदी हैं। इस तरह से ९९ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास ५० एकड़ से कम जमीन है और ७८ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास ११ एकड़ से भी कम जमीन है। तो इस तरह से ज्यादातर किसान इस तरह के हैं जो छोटी जोत वाले हैं। यहां एक चीज और भी है कि आज सभी लोग अपने को किसान कहने में एक तरह का आदर अनुभव करते हैं लेकिन वास्तव में किसान वही हैं जो सचमुच अपने हाथ से हल जोतता है, बीज बोता है और खेती के तमाम काम करता है लेकिन आज वह लोग भी जो एक-एक हजार और ५०० एकड़ भूमि अपने नाम लिखाये हैं और कभी खेत में कोई काम नहीं करते वह भी किसान इस आधार पर बने हैं कि उनके नाम खेती लिखी है। वास्तव में किसान वही है जो स्वयं खेती करता है, अगर इन वास्तविक किसानों से राय ली जाय तो वे अवश्य ही सहकारी खेती के लिये तैयार होंगे।

अभी उधर के एक वक्ता महोदय ने महात्मा गांधी का नाम लिया और कहा कि उनके सिद्धान्तों की हत्या यह सरकार कर रही है। उन्होंने सहकारी खेती का विरोध किया। जो स्वतन्त्र और जनसंघ दल के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम ही महात्मा गांधी के विचारों का आदर करते हैं। महात्मा गांधी ने सहकारी खेती के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं उनको मैं आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं, वह पूरी तौर से सहकारी खेती के पक्ष में थे। उन्होंने १५ फरवरी, सन् ४२ के "हरिजन" में लिखा था कि "जमीन पर किसानों को सहकारिता के आधार पर सामूहिक हक होना चाहिये और उन्हें जुताई बोआई आदि सब कम आपसी सहयोग से करने चाहिये। खेती में लगने वाली पूंजी, हल, बीज जानवर आदि भी सहकारिता के आधार पर ही लगाने चाहिये। इससे हमारी गरीबी दूर होगी। यह तभी हो सकता है जब सभी लोग एक परिवार की तरह रहना सीखें।" इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये थे। अतः यह कहना कि यह सरकार गांधी जी के विचारों की हत्या कर रही है बिलकुल गलत है और उधर से जैसा कि श्री गेंदासिंह जी ने कहा कि वास्तव में यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे दिमाग में सहकारी खेती की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है और कोई चीज निर्धारित नहीं हो सकी है कि सहकारी खेती किस तरह से होगी।

दूसरी चीज यह है कि आजकल किसानों में सहकारिता के विरुद्ध प्रचार होता है और किसानों से कहा जाता है कि सहकारिता के आधार पर खेती करने में सब खेत सरकार ले लेगी और किसान केवल मजदूर की तरह काम करने वाले रह जायेंगे और उनकी हालत और खराब हो जायगी—इस तरह से किसानों को आज बरगलाया जाता है कि सब बेकार हो जायेंगे और जमीन पर उनका कोई हक न रहेगा। इस तरह से झूठे प्रचार से किसान सहकारिता के विरुद्ध हो जाता है

लेकिन अगर वास्तव में किसान को सही बात बताई जाय तो वह कभी सहकारिता का विरोध न करेगा और उसको स्वीकार करेगा।

मान लीजिये एक गांव में जितने किसान हैं वे सभी मिलकर अगर निश्चय कर लेते हैं कि हम सहकारिता के आधार पर खेती करेंगे और उस गांव के तमाम काश्तकारों का नाम लिख लिया जाय कि किसके नाम कितने खेत हैं और उसके बाद सब मिलकर यह तय करें कि कितनी जमीन में गेहूं, कितनी में मटर या कितनी में चना आदि बोवेंगे। मतलब यह है कि वह इस हिसाब से चीजें बोवें कि उन को कोई चीज बाहर से न मंगाना पड़े और न इतनी अधिक पैदा करें कि उनको बाहर बेचना पड़े। उनकी जरूरत भर की चीजें उन खेतों में पैदा की जायं। उस के बाद जिस की जितनी खेती है उसके आधार पर और परिश्रम के आधार पर सबको लाभ मिले। मान लीजिये कि एक हजार मन अन्न कहीं पैदा हुआ और जो वहां के काम करने वाले किसान लोग हैं या मजदूर हैं तो किसानों को उनके श्रम के अनुसार, औसत के हिसाब से मजदूरी और लाभ दिया जायगा। वह सब मजदूरी काटने के बाद जो उपज बचे—एक हजार मन मान लीजिये हुआ, उसमें जिसका जितना खेत हो उतना बांट दिया गया, ५० एकड़ वाले को ५० के अनुपात से, १० वाले को १० के अनुपात से और २ एकड़ वाले को २ के अनुपात से, तो मान लीजिये ९०० मन बांट दिया जाता है और फिर १०० मन बचा, तो जिन लोगों ने जितान ज्यादा परिश्रम किया है उनको उसी आधार पर बांटा जाना चाहिये।

कम पैदावार होने का आज मूल कारण यह है कि एक तरफ जो मजदूर चालाकी करता है और दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं जो खुद खेती नहीं करते, वह चालाकी करते हैं। मालिक चालाकी यह करता है कि कम से कम मजदूरी देता है। हमारी तरफ जो मजदूर दो बजे तक खेती करता है तो उसे तीन पाव अन्न मजदूरी में दिया जाता है और ऐसा अन्न दिया जाता है जो खराब हो जाता है और मालिक चाहता है कि कम से कम तौल कर दें। उसी तरह मजदूर भी चालाकी करता है कि एकाध घंटा तम्बाकू पिया, इधर गया, उधर गया, अच्छी तरह से काम नहीं करता इस तरह से दोनों ही चालाकी करते हैं। अगर एक तरह का बोनस दिया जाय मजदूरों को जिसने जितना ज्यादा काम किया उसके आधार पर तो जिसने कुछ भी काम नहीं किया खेत में उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिये—उससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। जो खेत के किनारे नहीं जाते हैं वह इसलिये विरोध करते हैं कि हमसे तो खेती होगी नहीं, हम काम करने जायेंगे नहीं तो जो लोग काम करने जायेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा और उनको ज्यादा फायदा होगा, हमको नहीं होगा। बोनस या पुरस्कार मजदूरों को इसलिये देना जरूरी है कि अगर उनको यह दिया गया जिस मजदूर ने जितना ज्यादा काम किया है उसके आधार पर, तो उसमें जो काम करने वाले मजदूर होंगे वह ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा काम करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी।

आजकल चालाकी यह भी होती है कि जबसे शिकमी के अधिकार मिले हैं हमने देखा है कि बड़े-बड़े काश्तकार कुल खेती नहीं कर पाते, दस-दस बीघा इधर-उधर परती छोड़ देते हैं या किसी तरह से अपना कब्जा जमाये रहते हैं क्योंकि डर है कि किसी को दे दें तो वह सीरदार हो जायगा और जमीन निकल जायगी। तो न वह खुद खेती करता है और न किसी को देता है। उसका नतीजा यह होता है कि लाखों मन गल्ले की उपज जो कि उस पर हो सकती है वह नहीं हो पाती है। इसलिये अगर सहकारी खेती के आधार पर बोनस का तरीका अपनाया गया तो उससे पैदावार बढ़ेगी।

जो लोग खेतों में काम करते हैं वह कभी भी सहकारी खेती का विरोध नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग विरोध करेंगे जिनके पास इतना ज्यादा खेत है कि वह खुद खेती नहीं करते हैं और वहां जाते भी नहीं हैं, सिर्फ मजदूरों के आधार पर खेती कराते हैं और थोड़ी-सी मजदूरी देकर उन पर अपना स्वामित्व बनाये रखना चाहते हैं और उनका शोषण करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा जैसा कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निश्चय किया है और जैसा कि आज विचारकों का मत है कि देश का उत्पादन बढ़ाना है और जो लाखों रुपया विदेशों को भेजना पड़ता है उसको रोकना

[श्री माताप्रसाद]

है तो सहकारिता को अपनाना होगा, कुछ कठिनाइयां उसमें आयेंगी, थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन सरकार को उसे करना चाहिये और जरूर करना चाहिये ।

और भी बहुत-सी बातें उधर से कही गईं कि इसमें मेड़ तोड़ दी जायंगी, उससे कुछ नहीं होगा मेड़ तो कुछ रहेंगी ही । जहां से प्रस्तावक महोदय आये हैं वहीं से मैं भी आया हूं । वहां ऐसे-ऐसे खेत हैं कि १,२ बिस्वा उनका क्षेत्रफल है । इस तरह से वहां बहुत छोटे-छोटे खेत हैं । ऐसा अनुमान है कि ५ लाख एकड़ जमीन निकल सकती है । अगर इस तरह से छोटी-छोटी मेड़ों को खत्म कर दिया जाय तो ५ लाख एकड़ जमीन निकल सकती है और खेती अच्छी तरह से की जा सकती है । और भी कई उदाहरण प्रस्तावक महोदय ने दिये, जापान का उदाहरण दिया और बताया कि वहां पर ५० लाख टन खाद दी जाती है और हमारे यहां ८० हजार टन ही दी जाती है । यह भी बताया कि व्यक्तिगत खेती की जाती है इसी वजह से ज्यादा पैदावार होती है । हमारे यहां कम उपज का कारण यह है कि हम खाद नहीं देते और जमीन ऐसे लोगों के पास बहुत रुक गई है जो मजदूरों से खेती कराते हैं, स्वयं नहीं करते । इसलिये पैदावार नहीं होती है । इन शब्दों के साथ मैं उधर के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अधिष्ठात्री महोदया, इस प्रस्ताव का जितना विरोध हो वह बहुत कम है । मैं इस प्रस्ताव को राष्ट्र के विरुद्ध समझता हूं और ऐसे लोग तथा संगठन देश में और दुनियां के इतिहास में रहे हैं जिन्होंने सदा अप्रगतिशील शक्तियों का संगठन किया और प्रतिक्रियावादी जो शक्तियां हैं ऐसे मौके पर देश को उभाड़ कर गलत रास्ता बताती हैं जिससे देश में भुखमरी और बेकारी उत्पन्न हो । यह प्रस्ताव अपने देश में बेकारी और भुखमरी को उत्पन्न करने वाला होगा । मैं समझता हूं कि जिसकी ओर से यह प्रस्ताव लाया गया है वह संगठन यही चाहता है कि देश में बेकारी और भुखमरी की समस्या सदा बनी रहे ।

माननीया, ऐसे प्रस्तावों को लाने की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है ? मैं ज्यादा दोषी प्रस्तावक महोदय से इस सरकार को मानता हूं । अगर सरकार इधर के सदस्यों और पार्टियों के सुझावों से देश को सहकारिता की ओर ले गई होती तो इस तरह के प्रस्तावों को सदन में लाने की हिम्मत किसी सदस्य अथवा पार्टी की नहीं होती । माननीय गेंदासिंह जी ने इशारा किया है कि देश और प्रदेश में सहकारिता के जो भी काम हैं इतने बदनाम हो गये हैं कि उनके नाम को सुन कर के जनता घबड़ाती है । और यह सत्य बात है कि सरकार उधर सहकारिता से खेती कराना चाहती है, सारे काम उसी आधार पर करना चाहती है, और सही बात है कि समाज का निर्माण उसी आधार पर हो सकता है । जहां सरकार यह बात सोचती है, वहां यह भी सोचना चाहिये कि हमने जो सहकारिता के आधार पर देश में किया है उसकी हालत क्या है ? और उसकी हालत दिन पर दिन गिरती चली जा रही है । १,२ जिले नहीं....

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीया, केवल एक ही नहीं, प्रदेश का कोई जिला बाकी नहीं होगा जहां जो सहकारी समितियां हैं, संघ हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप न हो । अपने जिले आजमगढ़ की बात मैं कहता हूं ।

(इस समय २ बज कर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये ।)

इस गवर्नमेन्ट के ऊपर कलंक है और पुराने जो सहकारी मंत्री थे उनके ऊपर कलंक है और इस गवर्नमेन्ट ने सहकारिता को बदनाम करने का काम किया है । आजमगढ़ जिले के

फेडरेशन की बात कहता हूं, इस हाउस में एक बार नहीं बीसियों बार हमने सवाल किये कि ऐसे सेक्रेटरी, ऐसे इंस्पेक्टर्स, जिन्होंने लाखों रुपये का गबन किया, भ्रष्टाचार फैलाया, जिनका ट्रांसफर १०,१०-८,८ और ६,६, बार हुआ, रखे गये। ऐसे लोगों ने एक मद में १ लाख ३३ हजार का गबन किया। गोरखपुर में आप जानते हैं कि फेडरेशन में लाखों रुपये का गबन हुआ। सारे प्रदेश में फेडरेशनों में गबन हुये और सरकार उन्हीं लोगों की वकालत करती है जो गबन करते तथा कराते हैं। फिर कैसे जनता को विश्वास होगा कि पुश्त-दरपुश्त की भूमि जिनके जीवन का एक-मात्र सहारा है ऐसे लोगों के हाथ में दे दें ?

मेरे कहने का मतलब है कि जो कलंक है इस कोआपरेटिव सोसाइटी पर पहले उसे धोया जाय और जब तक उसे धोया नहीं जायगा तब तक इस प्रस्ताव को सुनने वाला कोई नहीं है।

अपने प्रदेश में स्वराज्य आन्दोलन चला, क्या अपने देश में कुछ संगठन ऐसे नहीं थे जिन्होंने स्वराज्य का भी विरोध किया ? जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव जिस समय आया क्या उधर के बैठने वालों की ओर से ही उसका विरोध नहीं किया गया कि जमींदारी टूटनी नहीं चाहिये ? जमीन के बटवारे का प्रस्ताव इस हाउस में बीसियों बार आया है इस पार्टी की ओर से। माननीया, आपको याद होगा सन् १९५२ में जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया तो हमारी ओर से कहा गया कि २० एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास हो, उनसे छीन कर भूमिहीनों में बाट दो तभी अपने देश तथा प्रदेश की बेकारी, खेती तथा गल्ले की समस्या हल हो सकती है लेकिन अफसोस है कि उधर के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उसका विरोध किया और कहा कि क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वाले जमीन को रबड़ समझते हैं। जमीन रबड़ नहीं है कि रबड़ की तरह उसे बढ़ा कर बांट दो। अगर सन् ५२ का हमारी पार्टी का प्रस्ताव मान लिया गया होता, जमीन का बटवारा हो गया होता तो अपने प्रदेश तथा देश की आज हालत दूसरी होती और अरबों रुपयों का गल्ला जो विदेशों से आता है वह न आता।

माननीया, अपने प्रदेश में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास खेत नहीं हैं और सही मानी में खेत उनके पास हैं जिनको खेत से मोहब्बत नहीं है, जिनको खेत की भूख नहीं है। खेत आज उनके पास हैं जो हल नहीं चलाते हैं, फावड़ा नहीं चलाते हैं, खेत में क्या पैदावार होनी चाहिये इसको वे पहचानते तक नहीं। अब सवाल इस देश और प्रदेश का है, उसको सामने रखकर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय। अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाय, इसके सिद्धांत को स्वीकार कर लें तो क्या अपने प्रदेश की हालत होगी ? प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं कि जिनके पास हजारों एकड़ खेत हैं, परती पड़ी हुई हैं वह खेत उनके पास पड़े रहें। प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं कि खेत उनके पास पड़ा रहे, वे खेती बारी करेंगे नहीं और बाहर से अरबों रुपयों का गल्ला देश में प्रति वर्ष आया करे। विकास के नाम पर, देश की बेकारी हटाने के नाम पर अपने देश में जो समस्यायें हैं उनको मिटाया जाय उनको वह नहीं चाहते।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—४० एकड़ की सीलिंग है, हजार एकड़ की नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय बलदेवसिंह जी कहते हैं कि ४० एकड़ की सीलिंग है। मैं पूछता हूं कि उससे कितनी जमीन मिलने वाली है। अधिष्ठाता महोदय, आपको जानकारी होगी कि जब पहले सीलिंग का बिल लाया गया था गवर्नमेन्ट की ओर से, बाकायदा बुलेटिन निकली कि २६ लाख एकड़ जमीन मिलेगी लेकिन वही बिल जब सेलेक्ट कमेटी में गया और वहां से लौटा तो मालूम हुआ कि सिर्फ तीन लाख एकड़ खेत मिलने वाला है। माननीय बलदेवसिंह जी ऐसे आदमी की एक एकड़ जमीन उस ऐक्ट के मुताबिक निकलनेवाली नहीं है।

बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती इतने भुखड़ जिले हैं जहां आबादी ज्यादा है, जमीन पर बोझ ज्यादा है, खेती बारी के अलावा रोजी का कोई साधन नहीं है, जहां पर २३ प्रतिशत खेतिहर मजदूर बसते हैं। पूरे प्रदेश में डेढ़ करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके पास कम जमीन है या जो बिना जमीन के हैं। अब इन जिलों में बड़े-बड़े लोगों के पास जमीन रहे और

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

छीनी न जाय और सहकारिता के आधार पर खेती न हो तो क्या हालत होगी। जो डेढ़ करोड़ या २ करोड़ आदमी बिना खेत के हैं उनकी हालत ऐसी ही बनी रहेगी जो आज है। आप उसी हालत को बरकरार रखना चाहते हैं, हमारे प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं और करनी से नहीं केवल बातों से कांग्रेस की सरकार भी इसका विरोध करती है। अगर करनी से कांग्रेस की सरकार विरोध करती तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर जमींदारी खत्म होगी तो खून की नदियां बहेंगी। जमींदारी टूटी लेकिन खून की नदी नहीं बहीं। हम कहते हैं कि जमीन बंटे, ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जिसके पास हो छिने और छीन कर भूमिहीनों को दी जाय। आज भी यह धमकी दी जा रही है कि एलेक्शन आयेगा और हम तुमको हरायेंगे लेकिन मैं साफ कहता हूं कि हमारा भूमिहीन किसान ऐसा नहीं है, गरीब लोगों में ऐसी अक्ल नहीं है कि जो सहकारिता के नाम पर, सहकारी खेती के नाम पर, या देश को नुकसान पहुंचाने के लिये ऐसे लोगों को वोट देकर इस हाउस में इस प्रदेश की हुकूमत सुपुर्द कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अपने देश में ऐसे लोगों के हाथ में जो अपना घर, अपनी खेती, अपनी सम्पत्ति, अपने बच्चे को ही सामने रखते हैं और समाज और देश को सामने रखना नहीं चाहते उनके लिये मैं समझता हूं कि सरकार को बड़ी बेहरहमी के साथ किन्तु ईमानदारी के साथ लोगों के हाथों से जमीन छीन करके, उसको खेतिहर मजदूरों में बांट करके सहकारिता के आधार पर लोगों की इच्छा के अनुसार मन से खेती शुरू करवानी चाहिये।

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने इशारा किया था रूस की ओर, हमारी भी जानकारी है कि रूस में बड़े-बड़े किसानों ने जो प्रस्तावक महोदय से भी बढ़कर थे, विरोध किया, लेनिन को पीछे हटना पड़ा लेकिन फिर सहकारिता के आधार पर खेती आरम्भ हुई और नतीजा यह हुआ कि जो लोग विरोधी थे वे अपने आपको सहकारिता में डालकर खेती करने के लिये आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय भी ऐसे ही अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो मैं पूछूंगा कि ऐसे किसान जिनके पास न बैल है, न हल है, न खेती का इंतजाम है, न रुपया है, न पैसा है, क्या वे नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग जो छोटे-छोटे किसान हैं वे आपस में मिल कर खेती बारी करें और सरकार उनकी सहायता करे। उनके खेतों में उन खेतों के मुकाबिले में जो अलग-अलग खेत जोतते हैं, गल्ला ज्यादा पैदा हो तो मैं नहीं समझता कि देश का कोई ऐसा बेवकूफ किसान होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारे खेत में ज्यादा गल्ला पैदा हो, हमको ज्यादा आमदनी हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्रस्तावक महोदय को अपना विचार बदलना चाहिये और उसे देश और समाज के अनुरूप लाना चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं कर सके तो बड़ी बदकिस्मती होगी। अगर कांग्रेसी सरकार सहकारिता के कलंक को मिटा कर देश के लोगों में यह आस्था पैदा कर सके कि हम सहकारिता के आधार पर बेइमानी करना नहीं चाहते हैं तो जिस दिन जनता में यह भावना आयेगी उस दिन ऐसे प्रस्तावों को और ऐसे संगठनों को हवा में खत्म कर देगी। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का घोर विरोध कर रहा हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव कुंवर श्रीपाल जी ने पेश किया है मैं इसका विरोध करता हूं। यों तो जिस तरफ से यह प्रस्ताव आया, उससे मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि उस दल की नीति इस सम्बन्ध में सारे देश में स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि शामिल सहकारी खेती देश और किसान दोनों के हित में नहीं है, उनके लिये अहितकर है।

मान्यवर, हमारे जनतंत्र में हर व्यक्ति को और हर पार्टी को अपनी राय, अपना मत रखने का पूर्ण स्वातंत्र्य है लेकिन जो वाकयात हैं इस देश और इस प्रदेश के वे ऐसे हैं जो इस कथन के बिल्कुल विपरीत जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है और उसमें हम और हमारे वे साथी जिनकी तरफ से यह प्रस्ताव आया है एक बात पर सहमत हैं और वह यह कि हमारे प्रदेश के अन्न का उत्पादन बढ़ना चाहिये। केवल प्रश्न यह है कि उसके क्या तरीके

अख्तियार किये जायें। मैं थोड़ी देर को यह बात माने लेता हूं कि एक व्यक्ति जिसकी अपनी भूमि है, उस पर ज्यादा तवज्जह दे सकता है और यदि वह प्रगतिशील है तो यह भी सम्भव है कि वह उसके अन्दर उत्पादन ज्यादा कर दे लेकिन एक व्यक्ति के लिये या उसके परिवार के लिये जितनी जमीन पर्याप्त है उतनी भी तो उसके पास हो। आज स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश में जो अधिकांश खाते हैं वे, यदि मैं वह शब्द इस्तेमाल करूं तो, अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं, इतने काफी नहीं हैं जिन पर ४–६ व्यक्तियों का एक परिवार मेहनत करके उसका पूरा फायदा उठा सके। यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास १०-२० एकड़ जमीन है तो मैं इस बात को माने लेता हूं कि उसमें एक परिवार अच्छी तरह से मेहनत करके हो सकता है अच्छा अन्न पैदा कर ले। दूसरी तरफ यह भी है कि एक व्यक्ति की खेती करने की भी एक सीमा है। उसके आगे वह स्वयं खेती कर नहीं सकेगा बल्कि दूसरों से मजदूरी करायेगा और उनका जो श्रम होगा उसका शोषण होगा। तो दो चीजें हमारे सामने हैं। एक तरफ तो वह तबका है जिसके पास जमीन उसकी आवश्यकता से बहुत अधिक है और दूसरी तरफ वह तबका है जिसके पास होल्डिंग्स उसकी आवश्यकता के अनुसार नहीं है। इन दोनों के बीच में हमको एक समन्वय करना है और उस ढांचे पर इस समाज को लाना है। इसीलिये यह देखा गया कि जो छोटा किसान है जिसके पास जमीन कम है न तो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह उससे अपने तमाम अच्छे औजार, टूल्स और जो विज्ञान ने खेती के नये-नये तरीके बताये हैं, उन सबका प्रयोग कर सके। उसके पास न तो इतना धन है कि अच्छी खाद डाल सके और यदि आप सरकार की तरफ से उसका इंतजाम कर भी दें तो भी उसके पास इतनी भूमि नहीं है कि पैसा खर्च करके पर्याप्त मात्रा में धन कमा सकें। मैं समझता हूं कि वह तबका जो हमारे यहां अधिकांश में है, यह ८० या ८५ फीसदी है। इसी तबके के लिये सरकार ने केन्द्र में और प्रदेश में इस नीति को अपनाया है कि छोटे-छोटे किसान हैं अगर वह स्वेच्छा से एक जगह इकट्ठे हो जायं तो अपनी भूमि को उसका एक बड़ा हिस्सा बनाकर, मिल-जुल कर सहयोगी खेती कर सकते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है कि मनुष्य को एक साथ मिलकर सहकारिता के ढंग पर काम करने की आदत पड़ती है।

एक चीज यह भी है कि अभी हमारे इस सदन ने उच्चतम सीमा आरोपण विधेयक पास किया है और उसके अन्तर्गत कई लाख एकड़ जमीन हमारे देश में और प्रदेश में सरप्लस तौर पर मिलने वाली है। अब दो ही तरीके हमारे पास हैं। एक तो यह कि जो जमीन हमको सरप्लस मिलने वाली है उसको व्यक्तियों के अन्दर बांट दिया जाय या दूसरा यह कि एक जगह सहकारी फार्म बना दिया जाय। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जब हम इस देश और प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो मुनासिब यह है कि जो सरप्लस जमीन सीलिंग के बाद हमको मिलेगी उसमें कोआपरेटिव फार्म्स बना दिये जायं और लोगों को सहकारिता के आधार पर खेती करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय।

जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां छोटे-छोटे होल्डिंग्स हैं और इसके बाद भी हमारा दुर्भाग्य यह है कि एक गांव के अन्दर जमीन कई जगह पर बिखरी होती है। उन सबको इकट्ठा करने के लिये चकबंदी की योजना अपनी जगह पर सरकार की तरफ से चल रही है। आज हमारे सामने बुनियादी चीज जो है वह यह है कि अगर हम इस बात को मान लें कि जिनके पास इकोनामिक होल्डिंग्स हैं और इतनी हैं कि एक परिवार मेहनत के साथ काम कर सकता है तो उनके ऊपर हम कोई पाबन्दी नहीं लगाते हैं कि वह जबर्दस्ती कोआपरेटिव फार्म बनाये। जो सहकारिता के आधार पर खेती की बात है,जहां तक कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है उसकी नीति स्पष्ट है कि हम सहकारिता के आधार पर खेती को सही मानते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ प्रथायें हैं और कुछ अज्ञानता है और कोआपरेटिव फार्मिंग अभी ऐक्सपेरीमेन्टल स्टेज पर है। लेकिन दसरे देशों का हमें अनुभव बताता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग कामयाब और अच्छी चीज है। केवल इतना अन्तर है कि जनतंत्र के अन्दर इस सहकारिता के आधार पर खेती के लिये फिट इन करना है। इसलिये बुनियादी चीज यह है कि किसी के ऊपर कोई दबाव डालने की बात नहीं है। जो खुशी-खुशी आना चाहे वह आये और मैं समझता हूं कि राजा साहब भी

[श्री नवलकिशोर]

इससे इत्तफाक करेंगे । जब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना तो उसके अन्दर जो कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटीज का टारगेट था, वह १०० था । वह पूरा हो गया । इसके बाद जो दूसरी प्लान बनी और जो योजना चल रही है और ३१ मार्च को खत्म होने वाली है, उसके अन्दर भी १०० का ही टारजेट था । लेकिन मेरी सूचना यह है कि सन् ६० के आखिर तक बजाय १०० के २५३ कोआपरेटिव सोसाइटीज हमारे प्रदेश के अन्दर बन गई । (व्यवधान) आप इसको काटें (व्यवधान) हर चीज फर्जी होती है । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि २५३ बनीं सन् १९६० के आखीर तक । तो यह आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि अगर कोई जबर्दस्ती नहीं की गई और कोई ज्यादती नहीं की गई और लोगों ने खुशी से इसको बनाया है तो मैं समझता हूं कि यह इस बात का जरूर द्योतक है कि कोआपरेटिव फार्मिग की स्कीम सफल हो सकती है ।

एक बात और भी कही गई, प्रोडक्शन की । यह बात सही है कि--मेरे पास इस समय वह आंकड़े नहीं हैं जिनसे कि मैं यह बात साबित कर सकूं लेकिन यह मैंने मान लिया कि जहां एकोनामिक होल्डिंग्स हैं वहां अगर एक व्यक्ति उसमें मेहनत करता है तो यह हो सकता है कि वहां पैदावार ज्यादा हो । पर एक बात यह है कि हमारे देश की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है जिसका अन्जाम यह है कि जो अनएकोनामिक होल्डिंग्स आलरेडी हैं या जो एकोनामिक भी आज हैं वह आगे चलकर तेजी से अनएकोनामिक होल्डिंग होती चली जा रही हैं । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है उसको बदलें और उसके बदलने के लिये यह एक एक्सपेरीमेंट शुरू किया गया है कि हम कोआपरेटिव फार्मिग के लिये शुरूआत करें । हम समझते हैं कि सीलिंग बिल के लागू होने के बाद हमारे प्रदेश के अन्दर जिन भाइयों के पास हजारों एकड़ जमीन है उनसे जब हमको जमीन मिल जायगी तब हम तेजी के साथ अपने प्रदेश के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिग को आगे बढ़ा सकेंगे ।

एक ताज्जुब मुझे और हुआ कि जब एक बात स्पष्ट आ गई कि कोआपरेटिव फार्मिग हम कराना जरूर चाहते हैं मगर उसमें भी यह है कि अपनी इच्छा से यह होगी, स्वेच्छा से होगी, वालंटरी होगी, तब फिर मैं यह नहीं समझ पाया कि उसके लिये इतनी ज्यादा परेशानी की बात क्या है ? कहा गया कि उसको प्रोत्साहन मत दीजिये । क्यों ? प्रोत्साहन न देने की उसमें क्या बात है ? एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है । आप समझते हैं कि हम कामयाब नहीं होंगे । हम समझते हैं कि हम कामयाब होंगे । हो सकता है कि दोनों अपनी-अपनी जगह पर सही हों, अपनी बात सच्चाई से कहते हों ।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो मैं समझता हूं कि दस मिनट भी नहीं हुये ।

श्री अधिष्ठाता—बोलते हुये पता नहीं चलता ।

श्री नवलकिशोर—तो मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा । मैं केवल यह कह रहा था कि जो भी कोआपरेटिव की बात हम कर रहे हैं वह बिलकुल वालेंटरी बेसिस पर कर रहे हैं और इसलीए कांग्रेस की सरकारों ने सबसे पहले एम्फैसिस दिया है सर्विस कोआपरेटिव्स पर ताकि किसान आहिस्ता-आहिस्ता स्वीकार करे इस बात को और उनकी दिलचस्पी हो उस तरफ ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र दल जिसकी तरफ से यह प्रस्ताव आया हुआ है उसके जो सबसे बड़े नेता हैं हमारे राजा जी,उनको गान्धी जी की बात बहुत पसन्द आती है और आम-तौर से उनको एक ही शिकायत रहती है कि आप गान्धी जी की यह बात नहीं मानते हैं, वह बात नहीं मानते हैं । तो मैं राजा साहब से यह कहना चाहूंगा कि इसको आपरेटिव फार्मिग के बारे में गान्धी जी का मत बहुत ही निश्चित था और केवल दो, ढाई लाइन आपकी आज्ञा से मैं पढ़ना चाहूंगा । गान्धी जी ने कहा है---

"I firmly believe that we shall not derive the full benefits of agriculture until we take up the co-operative farming."

यानी हम खेती का पूरा फायदा तब तक नहीं उठा पायेंगे जब तक कि हम सहकारी खेती न करें । और मान्यवर, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपना एक वर्किंग ग्रुप भी इसी चीज को स्टडी करने के लिए बनाया तथा उसे जगह-जगह भेजा । उन्होंने उसका अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है । उनका यह कहना है कि बावजूद इसके कि इनीशियल स्टेज में कुछ दिक्कतें भी हमारे सामने हों लेकिन लोकल लीडरशिप, लोकल इनीशियेटिव और लोकल एन्थुजियाज्म यह इतने काफी हैं कि सहकारिता की खेती का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वह अवश्य कामयाब होगा ।

मैं राजा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यह बात जरूर है कि इसमें कुछ वैस्टेड इन्टरेस्ट की बात है किन्तु वह थोड़ा इससे ऊपर उठें । यह प्रस्ताव जो उन्होंने पेश किया है न तो यह किसानों के हित में है, न देश के हित में है और आखिर में जाकर शायद उनके हित में भी यह साबित नहीं होगा, अतः कृपया इसको वे वापस ले लें ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । सहकारी फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने देश की उपज बढ़ायें । मैं अभी लाइब्रेरी से "उत्तर प्रदेश आंकड़ों में" इस पुस्तक को लाया हूं और उसको मैं पढ़ रहा था इस विचार से कि यह देखूं कि प्लानिंग कमीशन ने जब से इस सहकारी खेती का नारा लगाया है तबसे वास्तव में देश में उपज घटी है या बढ़ी है । जनता की भावना क्या है ? कोई भी सरकार उस भावनाओं पर नहीं चलती और न वक्तव्यों पर चलती है । वह आंकड़ों पर चलती है, वे आंकड़े हमने इकट्ठा नहीं किये हैं बल्कि स्वयं सरकार के विभागों ने ही इकट्ठा किये हैं । मैं जब उसको देखता हूं तो उसके पृष्ठ ४ पर यह लिखा हुआ है कि १९५५–५६ में खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ११५ करोड़ टन हुआ । १९५६–५७ में ११७ करोड़ टन हुआ और १९५७–५८ में १०७ करोड़ टन हुआ है । अब आप यह देखें कि उसके बाद से यहां पर उत्पादन घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है ।

इसी तरीके से इन योजनाओं को पूर्ण करने में आपने करोड़ों रुपया जनता से ले लिया है और लेकर बरबाद कर दिया । और आपने खेती के व्यापार को नष्ट कर दिया है । वहां पर पर-कैपिटा आमदनी घट रही है । उसी पुस्तक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी १९५५–५६ में १८९.३ थी । सन् १९५६–५७ में वह १९५.४ हुई और १९५७–५८ में आकर वह १८३.६ ही रह गई । इस प्रकार से यह सिद्ध हो रहा है कि आपका जो सहकारी खेती का नारा है उस नारे का प्रभाव क्या है और उसका जो वास्तविक प्रभाव होगा तो वह बड़ा भयंकर होगा । यदि आपने खेती को नष्ट कर दिया और जो कुछ आपके कारनामे हैं उसका प्रभाव भी जरूर पड़ेगा यानी जो कर्जा आप देश के ऊपर लाद रहे हैं उसका प्रभाव भी जरूर पड़ेगा । सरकार दूसरे देशों से कर्जा नहीं ले रही है बल्कि कांग्रेस सरकार दूसरे देशों से कर्जा ले कर नवीन नवीन योजनाओं में लगा रही है । उसका एक भी परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है । पब्लिक सेक्टर में जो कुछ भी कार्य किया गया है वह इसी विश्वास के आधार पर किया गया है कि उसमें सहकारिता की भावना होगी और उससे उत्पादन बढ़ेगा और इन कार्यों के बाद हम उन कर्जों को अच्छी तरह से अदा कर सकेंगे और साथ ही हम देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकेंगे लेकिन हम यह देखते हैं कि उसका परिणाम उलटा हो रहा है ।

आप रेलवे को लीजिये । जब वह कम्पनी के हाथ में थी तो एक करोड़ उससे टैक्स मिलता था और अब रेलवे में घाटा हो रहा है । आज ही अखबारों में हमने पढ़ा है कि रेलवे के पास वैगन्स नहीं हैं जिसके कारण खाद्यान्न एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाये जा सकते और जनता में भुखमरी की हालत को दूर नहीं कर पाते । इसलिये मैं सरकार से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सद्बुद्धि से काम ले, भावनाओं की जरूरत

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

नहीं है। हम को आप जो बार-बार उलाहना देते हैं कि हम विरोध करते हैं, हम बड़े खेतिहर उसका विरोध करते हैं, तो वह विरोध इसलिये करते हैं कि हम उसकी तकलीफ को जानते हैं। रामायण में कहा है कि "बांझ कि जाने प्रसव की पीड़ा।" खेती कैसे की जाती है, हम इसे जानते हैं। आप उसका दर्द और मर्म नहीं समझ सकते। आप केवल वोट पाने के लिये नारा लगा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं अपना निजी अनुभव बतलाता हूं। मैं अपने एक मित्र, कम्युनिस्ट मित्र के क्षेत्र में गया। वे कम्युनिस्ट नेता हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैंने उनके रिश्तेदारों से और घरवालों से पूछा कि क्या तुम लोग सहकारी खेती के लिये तैयार हो? क्या आप इसके लिये तैयार हैं कि आप के पास जो दो चार बीघा जमीन है उसे पहले दे दें? लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। हमारी बात तो आप छोड़ दीजिये। हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हमें तो जहां पहले १ लाख सालाना की आमदनी थी वहां अब १० हजार की आमदनी भी नहीं है। लेकिन हमारी खेती में जितना उत्पादन होता है उतना आप नहीं कर सकते, माफ कीजियेगा मुझे यह कहना ही पड़ता है। (व्यवधान) मैं जबानी बात नहीं करता। आपने ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि बिना जानकारी के बात नहीं करनी चाहिये और अब आप स्वयं उसके विपरीत जा रहे हैं। जिस समय मैंने अजमतगढ़ में खेती की, उस समय वह उस जिले का सबसे वेस्ट फार्म था और आज जब मैं गोरखपुर में फार्मिंग कर रहा हूं, अगर किसी भी काश्तकार की प्रति एकड़ उससे ज्यादा आमदनी हो तो मैं खेती छोड़ने के लिये तैयार हूं। आप इस तरह से व्यर्थ ही सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। इसलिये मैं आप के द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि कोआपरेटिव फार्मिंग स्वेच्छा से की जाय और लोग स्वेच्छा से उसे बढ़ा रहे हैं।

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि सहकारी समितियों की संख्या २५३ या कुछ हो गयी। तो उनकी संख्या भले ही बढ़ी हो लेकिन खाद्योत्पादन घट गया। मैंने रूस के गवर्नमेंट का एक पेंफ्लेट लाइब्रेरी में देखा था जिसमें पढ़ा था कि रूस में जब सब से पहले कोआपरेटिव फार्मिंग का एक्सपेरीमेंट हुआ तो वहां एक परिवार के भरण-पोषण के लिये भी उस फार्मिंग से इंतजाम नहीं हो पाया। हर जगह कोआपरेटिव फार्मिंग फेल्योर हुई। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि सब देशों में यह सफल हुई है। जब मैंने पूछा कि आप किसी देश का नाम बतला दीजिये तो कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिये आप के द्वारा मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि आप खेती, जो देश की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है उसे नष्ट-भ्रष्ट न होने दें। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको आपरेटिव फार्मिंग पर एक्सपेरीमेंट करना ही चाहते हैं तो किसी एक जिले को ले लीजिये, किसी एक तहसील को ले लीजिये, और अपने पूरे साधनों से वहां आप तीन वर्ष तक खेती कराइये। देख लीजिये अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप उसे पूरे प्रदेश में लागू कीजिये वरना सब को इस प्रकार की खेती करने के लिये मजबूर करके भूखों मरने के लिये मजबूर न कीजिये।

मान्यवर, मैंने एक लेख लिखा था "खाद्य समस्या और उसका हल।" मैंने उसे माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजा था और मैंने उनसे प्रार्थना थी कि मैंने जो आंकड़े और तथ्य उसमें दिये हैं यदि वे गलत हों तो आप कृपा करके मुझे उसके खिलाफ प्रमाण दें। मैं उनको मान लूंगा और उसे सुधार दूंगा। मैंने उन आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि आप एक ओर तो यह कहते हैं कि देश में खाद्यान्न बढ़ते जा रहे हैं और जब खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है तो देश में जितने भोजन की जरूरत है उसके लिये वह कम नहीं है, किन्तु वास्तविकता कुछ दूसरी ही है। आपके इन आंकड़ों में कहीं डिफेक्ट है?

इसके अतिरिक्त एक चीज और है। मान्यवर, मैंने १९५९ में द्वितीय सत्र में एक सवाल किया था कि क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कोई राजकीय फार्म ऐसा है कि जो पेइंग हो? सरकार ने उत्तर दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मगर, श्रीमन्, आज सवा वर्ष के करीब हो गया, मुझे कोई सूचना नहीं मिली। इसी प्रकार मैंने एक यह प्रश्न किया था कि सरकार ने जितनी भूमि भूदान में प्राप्त की है उसमें कोआपरेटिव फार्मिंग करके क्या लाभ हुआ है? मालूम हुआ कि उस जमीन का लगान तक सरकार को नहीं मिल रहा है। तो आज इस तरह से यह भयंकर भूल कर रहे हैं।

सीलिंग से भी जो भूमि मिलेगी उसका लेने वाला तक, मैं कहता हूं, कोई नहीं मिलेगा। आज हम अपनी भूमि को बेचना चाहते हैं, मगर कोई खरीदार नहीं मिलता। किसान के पास पैसा ही नहीं है, उसके पास साधन ही नहीं है, वह कैसे खरीदे? जो सरकारी सीड स्टोर हैं, जो सरकार के ऋण या तकावी देने के जरिये हैं, उन सब में पहले सरकार को सिक्योरिटी देनी होती है और फिर उन से कुछ सहायता मिलती है। उस गरीब के पास कोई सम्पत्ति होती नहीं, वह सिक्योरिटी कहां से देगा? इसलिये इनके इन साधनों का वह कोई लाभ नहीं उठा पाता। इसलिये यह जो आप कर रहे हैं इससे उनका बड़ा नुक्सान होगा, लोग भूखों सड़कों पर मरने लगेंगे, खाद्यान्न भी घटेगा और आबादी भी कम नहीं होगी। तो मैं इस सरकार से आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों पर विचार करे और जो तथ्य हैं उन पर अमल करे। जो आंकड़े मैंने दिये हैं, वे हमारे नहीं हैं। वे इसी सरकार द्वारा एकत्रित किये हुये आंकड़े हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार जो सहकारी खेती का नारा लगा रही है इससे बहुत नुकसान उठाती जा रही है। आज जनता को इन पर विश्वास नहीं रह गया है। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है, गर्व है, कि आज जनता को हमारी स्वतंत्र पार्टी पर गर्व है, विश्वास है। इस पार्टी ने जो भी सिद्धान्त रखे हैं वे सत्य हैं, और ईमानदारी के साथ रखे हैं, और हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। हम देहातों में जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमको अपनी सम्पत्ति प्यारी है तो हमारी पार्टी में आओ। आज आप देखें कि डेढ़ वर्ष के अन्दर ही हमारी पार्टी किस तेजी के साथ बढ़ रही है और जनता का किस तरह सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। आज नेहरू जी को खतरा है किसी पार्टी से, तो वह हमारी स्वतंत्र पार्टी से ही है। आज हर प्रकार से हमारे कामों में अड़ंगा डाला जा रहा है। किन्तु फिर भी यह पार्टी क्यों बढ़ती जा रही है? इसका कारण यही है कि हमारी नीतियों पर जनता को विश्वास है। जनता सहकारी खेती को नहीं चाहती है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह सहकारी खेती को चाहती है तो जैसा मैं कह चुका हूं पहले किसी एक गांव में सहकारी खेती को करके देख ले और अगर वहां पर वह सफल हो, तो उसे सारे प्रदेश में लागू करे। अगर वह सफल नहीं होती है, तो उसको सारे प्रदेश में लागू करके प्रदेश को बरबाद न करे। इसलिये मैं बार-बार यह अपील करता हूं कि वह जो भी कार्य करे वह तथ्यों और आंकड़ों को विचार कर, उन्हें देख कर, अच्छी तरह समझ कर करे। केवल भावनाओं पर ही किसी कार्य को न करे।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—मान्यवर, इस समय जो संकल्प चल रहा है यहां सदन के अन्दर वह सहकारी खेती के बारे में है और मैं इसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, इसके बारे में जो भी विचार उस तरफ से आये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग यह चाहते हैं कि सहकारी कृषि यहां पर न हो। यह लोग यह चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग राजा महाराजा बने रहे, उसी प्रकार से अब भी बने रहें। वे यही चाहते हैं कि कभी गरीब जनता का उत्थान न हो सके। वे यही चाहते हैं कि वे गरीब जनता का शोषण करते रहें। आज जो सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसका मतलब यह है कि जो गरीब मजदूर हैं, जो खेतिहर लोग हैं, जिनके पास खेत नहीं हैं, उनको कुछ लाभ

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

हो। आज जो सीलिंग हो रही है उसके जरिये से गरीबों को भी सहायता मिल सकेगी कि वह फार्मिंग करें और अपने जीवन का निर्वाह कर सकें।

दूसरी बात यह है कि यही भावना नहीं है कि हम उत्पादन को बढ़ायें, बल्कि जो वातावरण बन गया है कि हर एक आदमी पृथक रहने की भावना रखता है, जातिवाद फैला हुआ है और तीसरे हर एक आदमी दसरे पर यह निगाह रखता है कि अमुक आदमी धनाढ्य है और हम गरीब हैं, हमारा शोषण हो रहा है, ये सारी चीजें छिपी हुई हैं। अगर सहकारिता के आधार पर खेती चलती है तो जहां गांव-गांव में पंचायतें बनी हुई हैं वहां जो यह भावना पैदा हो गयी हैं कि लोग शामिल नहीं रह सकते, तो सहकारिता के कारण आपसी वैमनस्यता खत्म होगी, हर एक का दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। आप जानते हैं कि जिस घर में क्लश होगा वहां कभी उत्पादन नहीं बढ़ सकता और जितनी हमारी स्कीमें चल रही हैं वे असफल होंगीं।

यह देश खेती के ऊपर निर्भर है। अगर खेती का उत्पादन अच्छी तरह से होता है तो हर हालत में देश उन्नति करता है। हमारी जितनी नव-निर्माण योजनाएं चल रही हैं वे सब हमारे संगठन पर आधारित हैं और कोई भी योजना जबरन किसी से नहीं मनवाई जा सकती। गवर्नमेंट कोई भी चीज जबरन किसी के ऊपर लादना नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि आपस में कोआपरेशन बढ़े और नान-कोआपरेशन खत्म हो।

प्रस्तावक महोदय ने बताया कि हम खेती को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। तो उन्नतिशील बनाने के लिए कौन-सा साधन होगा ? हम तो वैज्ञानिक रूप से खेती करने वाले साधन जुटाना चाहते हैं, यह हो सकता है कि मजदूर न मिले। आप देखते हैं कि किसान चाहता है कि मेरे खेत में नुक्सान न हो। आज मेंड़ लग जाती हैं जिससे किसानों को पानी भी हम अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं। कोई पानी के लिए कहता है कि मेरा बार है। अब सहकारिता से मेंड़ हट जायंगी, जो पानी जायगा तो किसान समझेंगे कि मेरे ही खेत में पानी जा रहा है। जहां तक अच्छे साधनों का प्रश्न है, हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे साधन खेतिहर लोग अपनाएं। हम मशीनों को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा बीज और खाद देना चाहते हैं, लेकिन किसान के पास थोड़ी सी जमीन है। कुटुम्ब बड़ा है, जमीन कम है और उसे डर है कि कहीं सहकारिता के नाम से उसकी जमीन भी हाथ से न निकल जाय। लेकिन जब सब जुट कर काम करेंगे, कुछ साइड बिजनेस भी होगा—पशुपालन, डरी वगैरह या मुर्गी पालन करेगा—तो सबके सहयोग से देश का कल्याण होगा यह प्रस्ताव जो रखा गया उसस कल्याण नहीं होगा।

हम किसानों में संगठन लाना चाहते हैं लेकिन जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके पीछे भावना यह है कि कहीं हमारी भूमि न निकल जाय, किसानों के ऊपर जो उनकी बहुत दिनों से हुकूमत चली आ रही है वह न समाप्त हो जाय। आज जो किसान है उसके पास कोई साधन नहीं है, वह मेहनत करता है, ये पहले से ही उसके ऊपर छाये हुये थे लेकिन हम सीलिंग करके उस किसान के अन्दर नयी भावनाओं को पैदा करना चाहते हैं जिससे वह आगे आये और खेती को बढ़ाये। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। आजकल जब चोर भी चोरी करने जाते हैं तो मन में "जय काली माई" कहकर अपना काम शुरू करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर ही आज देश में अघोर पंथ वाले और घोर प्रतिक्रियावादी लोग भी अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को इस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा सकता।

सबसे पहले मैं महात्मा गांधी के उस विचार को आपने सम्मुख रखूंगा जो उन्होंने कोआपरेटिव के बारे में आज से १९ साल पहले, १९४२ में कहा था। वह बहुत साफ है, कोई दविधा नहीं है, तोड़ने मरोड़ने की कोई गुंजायश नहीं है। उसकी एक लाइन अभी नवलकिशोर जी ने पढ़ दी:

"I firmly believe that we shall not derive the benefits of agriculture until we take up the co-operative farming."

जब तक हम सहकारी खेती नहीं अपनायेंगे तब तक हम कृषि के सर्वोत्तम लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके आगे लिखा है :

"Does it not stand to reason that it is far better for a hundred families in a village to cultivate their lands collectively and to divide the income therefrom than to divide the land anyhow into a hundred portions."

क्या यह तर्क संगत नहीं है कि अगर एक ग्राम में १०० परिवार रहते हों, वह साथ खेती करें और उपज को आपस में बांट लें बजाय इसके कि जमीन के सैकड़ों टुकड़े कर डालें? इसमें कहीं कोई दुविधा की गुंजायश नहीं है। इस पर भी महात्मा गांधी के उद्धरण से ही हमारे राजा साहब और उनके अखिल भारतीय नेता अपनी हर चीज शुरू करते हैं।

मान्यवर, अभी हमारे देश से एक डेलीगेशन श्री अब्दुल कयूम अंसारी के नेतृत्व में, जो आल-इंडिया कोआपरेटिव यूनियन के प्रेसीडेंट हैं, सोवियट यूनियन की सहकारी खेती और सामूहिक खेती का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार की ओर से वहां भेजा गया था। १२ दिन का दौरा करने के बाद उनको जो अनुभव हुआ उसका निचोड़ उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियों को इस प्रकार दिया था :

"The co-operative movement had very well developed in the U.S.S.R.....The co-operative movement in the Republic as everywhere else in the Soviet Union has become an integral part of the life of the people.....Collective farms have done much to help the people, improve their economic position and raise the living standards. These farms have unquestionably brought prosperity to the masses."

आगे कहते हैं :

"*.....We have been able to see the Soviet co-operatives are broadly democratic. They have become mass organizations and play a great role in the economic life of the people."

मान्यवर, सोवियट यूनियन में जो कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई है उसके बारे में थोड़े से आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सोवियट यनियन में सन् १९५५ में सबसे ज्यादा पैदावार हुई और फिर १९५६ में वह २० प्रतिशत बढ़ गयी। अन्न उत्पादन में जो प्रगति सोवियट यूनियन में हुई वह इस प्रकार है। अगर १९५० की पैदावार को १०० मान लिया जाय तो १९५६ में जो पैदावार हुई वह इस प्रकार है—

गेहूं	..	..	..	२१७
मेज़	..	..	..	१८८
सन फ्लावर	..	..	..	२२०
सुगरबीट	..	..	..	१५६
रा काटन	..	..	..	१२४
फलेक्स	..	..	..	२०४

[श्री झारखंडेराय]

इस प्रकार केवल एक साल में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है। १९३७, १९४०, १९५२ के अच्छे सालों में सबसे ज्यादा पैदावार १९५५ ई० में हुई। और १९५६ में उससे भी अधिक २० प्रतिशत हुई।

चीन के बारे में हमारे विद्वान विचारक, श्री अमरनाथ झा ने लिखा है और उस समय लिखा है जब कि चीन अपनी शैशवावस्था में ही था। वे लिखते हैं—

"Hunger had ceased to be a problem with them and even the villagers now got three meals a day, whereas in former days he could not be sure of even one."

चीन में सन् १९४९ में चावल की पैदावार थी	..	१५६६ पौंड
१९५४–५५ में	..	२३५५ ,,
१९५५–५६ में भारत में	..	११०० ,,

चीन की प्रति एकड़ पैदावार हमारे देश से ज्यादा है।

चीन की मुक्ति के पहले सन् १९३६ में १३८.७ मिलियन टन अन्न हुआ था। उसके बाद सहकारी खेती अपनाने पर निम्न प्रकार अन्न का उत्पादन हुआ—

१९४९ में	..	..	१०८.१ मिलियन टन
१९५२ में	..	..	१५४.४ ,,
१९५७ में	..	..	१८५.० ,,
१९५८ में	..	..	३५०.० ,,

और प्रति व्यक्ति औसत अन्न उत्पादन दूना हुआ।

१९५७ में प्रति व्यक्ति उत्पादन ६२७ पौंड।

१९५८ में प्रति व्यक्ति उत्पादन ११०० पौंड।

१९५८ में चीन ने अमेरिका से अधिक गेहूं पैदा किया। अमेरिका में ३८.६५ मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ और चीन में ४०.०० मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ।

इसी प्रकार से अमेरिका में काटन हुई २.६५ मिलियन टन और चीन में हुई ३.५० मिलियन टन। चीन का १९५८ का कुल ग्रेन उत्पादन ३५० मिलियन टन हो गया है, जो ९० प्रतिशत गतवर्ष से ज्यादा है।

अब, श्रीमन्, जैसा कि कुंवर साहब ने जानना चाहा था मैं प्रति व्यक्ति और प्रति एकड़ वाली बात पर आऊंगा। उसमें भी व्यक्तिगत उत्पादन से सामूहिक एवं सहकारी उत्पादन में वृद्धि हुई है। १९४९ में व्यक्तिगत खेती में प्रति एकड़ १२०२ पौंड ईल्ड थी लेकिन जब सामूहिक खेती द्वारा उत्पादन हुआ, वहां जो पैदावार हुई, वह इस प्रकार है—

सामूहिक खेती	प्रति एकड़ उत्पादन पौंड	प्रति परिवार प्राप्ति पौंड
४ परिवार ने मिलकर	१,३०१	१,७०१
५ परिवार ने मिलकर	१,३३६	२,०९३
१४ परिवार ने मिलकर	१,५१४	४,९१५
३६ परिवार ने मिलकर	१,९७६	१०,४५०

इस प्रकार आप देखेंगे कि जब सामूहिक खेती में परिवार की संख्या बढ़ती है तो पैदावार भी बढ़ती है और प्रति परिवार प्राप्ति भी बढ़ती है। इस प्रकार से सोवियट यूनियन में और चीन में कृषि के बारे में सामूहिक खेती द्वारा जो काम हुआ है, उसका थोड़ा-सा चित्र मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक परिवार की संख्या जब बढ़ी है तो सामूहिक रूप से सहकारी खेती करने पर फी एकड़ पैदावार भी बढ़ी है और इसी तरह से प्रति परिवार उनकी प्राप्ति भी बढ़ी है। यह जो सोवियट यूनियन और चीन की कृषि में उन्नति हुई है उसका थोड़ा-सा चित्र मैंने आपके सामने पेश करने की चेष्टा की है। अब इसके बाद भी अगर कोई साहस करे यह कहने का कि सहकारिता के आधार पर खेती नहीं होनी चाहिये तो मैं उसे दुस्साहस ही कहूंगा।

मैं यह बतला चुका हूं कि सहकारिता का जो लोग विरोध करते हैं उनका यह खयाल है कि छोटे खेत में स्वार्थ होता है, मोह होता है, ममता होती है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इंसेंटिव होता है वगैरह-वगैरह, और यह फिलासफी और दर्शन उनके द्वारा पेश किया जाता है। इसके लिये मैं इसके प्रतिपादकों से पूछूंगा कि वह शख्स जो मजदूर के रूप में खेतों में काम करते हैं, या मध्यम किसान जो अपने खेतों के अतिरिक्त दूसरों के फार्म पर काम करते हैं, उनको क्या इंसेंटिव होता है, उनको क्या मोह होता है और वे क्यों दूसरे के खेत अथवा बड़े फार्म से ममता करेंगे? तो जमीन का पुनर्वितरण जरूरी है न?

दूसरी बात यह कि जो खुद खेती नहीं करते, बल्कि खेती कराते हैं वे प्रतिपादक हैं इस प्रस्ताव के जिन्हें स्वयं पता नहीं है कि कैसे खेती होती है। ऐसी हालत में हमें तो यह डर है कि इन नारे को उठा कर इन सज्जनों ने हदबन्दी वाले प्रमुख सवाल को पीछे कर दिया है। ऐसी हालत में यह दलील कुछ तर्कसंगत नहीं जंचती। खुद वे लोग बड़े-बड़े फार्मों के हामी हैं और बड़े-बड़े फार्म रखते हैं और मशीन से खेती करते हैं। प्रश्न केवल स्वामित्व का है जहां तक मेंड़ों की बात है मेंड़ें होनी ही चाहिये, कोई ऐसा नहीं है जो यह कहे कि मेंड़ें नहीं होनी चाहिये। मेंड़ें होती हैं लेकिन कितनी बड़ी हों, कितने दूर पर हों यह निर्भर करता है खेती के तौर-तरीके पर, उसकी जमीन के ढलुआ और ऊंचे होने पर। मैंने रुद्रपुर में सरकारी फार्म को जाकर खुद देखा है, वहां पर भी मेंड़े हैं, छोटे फार्मों में भी मेंड़े हैं। छोटे खेतों में भी मेंड़े हैं परन्तु उनमें कमी की जानी चाहिये। छोटे-छोटे खेतों की मेंड़ें कम हो सकती हैं।

हमारे प्रदेश या देश के किन्हीं हिस्से की सहकारी फार्मों की पैदावार के जो आंकड़े दिये गये हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि हमारे यहां अनेक फार्मों की पैदावार निस्संदेह घटी है। इसलिये नहीं घटी है कि उसका तौर-तरीका ही गलत है बल्कि यह कुव्यवस्था से घटी है। अगर कहीं भी कुव्यवस्था आती है तो गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसके लिये कानून को दोष दें या सरकार के अधूरे एवं हिचकिचाहट भरे विचार को दोष दें। लेकिन पूरी व्यवस्था जो सहकारिता की है, उसको चुनौती देना देश की प्रगति की गाड़ी को पीछे ढकेलने की चेष्टा करना है।

मान्यवर, मुझे खुद याद है, जब मैं जेल में था तो मेरे एक साथी श्री वीरूपाक्ष थे। उनको लम्बी सजा हुई थी। ७ वर्ष के बाद छूटने पर जब उन्होंने अपनी पोलिटिकल लाइफ छोड़ दी तो मैसूर में अपने हाथ में उन्होंने इस सहकारिता को ही लिया और वहां के क्षेत्रीय किसानों को राजी कर, समझा बुझा कर चार-चार सौ एकड़ के दो फार्म बनाये। मेरे पास पूरा बंडल है उनके पत्रों का लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम लूं। इतना मैं अवश्य बतला देना चाहता हूं कि वहां प्रति एकड़ पैदावार बढ़ी है और प्रति परिवार अधिक अनाज मिला है। उन्होंने इस विषय पर पुस्तकें लिखीं। उनके इस सफल प्रयोग का परिणाम यह हुआ है कि मैसूर सरकार ने इस मामूली तरह से मैट्रिक पास शख्स को मैसूर में कोआपरेटिव फार्मिंग का स्पेशल आफिसर बना रखा है। जो छोटे-छोटे अनुभव मेरे हैं, मैंने खुद गन्ने के बड़े-बड़े

[श्री झारखंडेराय]

फार्म्स देखे हैं जो बड़े-बड़े मिल मैगनेट्स के हैं, उन फार्म्स में पैदावार बढ़ी है। मिल मालिक, मजदूर तथा उन फार्म्स में काम करने वाले फील्ड वर्कर्स तथा अन्य कर्मचारी, सभी कहते हैं कि पैदावार उनकी बढ़ी है। ऐसी हालत में हमारे यहां जो इस प्रकार से सहकारिता पर हमला हो रहा है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

अकोला जिले के केलिवली नामक गांव के १२ किसान परिवारों ने जिन्होंने १९५८ में, फरवरी मास में, सहकारी खेती की, अपना कृषि उत्पादन ५० प्रतिशत बढ़ा लिया था। सहकारी कृषि द्वारा एक वर्ष के भीतर इनका वार्षिक उत्पादन ६ हजार रुपये से ९ हजार रुपये तक हो गया।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अगर हमारे समाज में मूल परिवर्तन करना है, समाज के व्यक्तियों के दिमाग व दिल में अगर कोई मूल परिवर्तन पैदा करना है, तो समाज के एक-एक जर्रे के लिये, समाज की एक-एक इंच जमीन के लिये, समाज की एक-एक झोपड़ी के लिये और उसके एक-एक तिनके के लिये एक सामूहिक मोह पैदा करना होगा। इसी मार्ग से कोई आधुनिक देश ऊंचा हो सकता है। इसके लिये जरूरी है कि हम अपना प्रथम चरण सहकारी खेती की तरफ उचित समझ कर बढ़ावें तो एक द्वैत की भावना, मेरा तेरी की भावना को खत्म करें और हर चीज के लिये एक सामूहिक अपनत्व की भावना, मेरा खेत, मेरा झोंपड़ा नहीं बल्कि समाज का खेत, समाज की झोपड़ी की भावना पैदा करें, समाज की एक-एक चीज के लिये एक अपनेपन की भावना पैदा करें। मैं सदन से आशा करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत से अस्वीकार करेगा और अन्त में मैं अपने माननीय मित्र कुंवर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश कर के हमारे देश में जो स्पष्ट प्रतिक्रियावाद और प्रगतिशीलता का बटवारा हो रहा है उसको साफ करने का मौका दिया है।

श्री उग्रसेन—अधिष्ठाता जी, आज जो प्रस्ताव माननीय सदस्य स्वतंत्र दल ने पेश किया है उसके कारण इस सदन में ही प्रतिक्रिया न होगी बल्कि सारे प्रदेश में इस की बड़ी घनघोर चर्चा होगी और जैसा कि प्रजा समाजवादी और दूसरे कम्युनिस्ट सदस्यों ने कहा कि इस का वह घोर विरोध करते हैं तो मैं भी इसका घनघोर विरोध करता हूं।

नेता कम्युनिस्ट दल ने रूस और चीन के आंकड़े दिये और बताया कि सहकारी खेती से रूस को कितना लाभ हुआ और चीन को कितना लाभ हुआ। उन देशों के बारे में माननीय राय साहब मुझ से ज्यादा जानते हैं क्योंकि वह उन के ज्यादा नजदीक में हैं लेकिन मैं आप के द्वारा आदरणीय सदन के समक्ष एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि यह देखा जाय कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है वह कौन हैं। जब तक हम किसी व्यक्ति की तात्विक बुनियाद या किसी पार्टी की तात्विक बुनियाद और उसके फार्मूले को अच्छी तरह से न समझ लें तब तक वह क्या कहते हैं इस चीज को सही समझने में बड़ी कठिनाई होगी। यथासम्भव यह वे लोग हैं कि जो देश को उन्हीं १०० साल पीछे रखना चाहते थे कि जैसा यह नवाब अवध, ईस्ट इंडिया कम्पनी और अंग्रेजों के जमाने में था।

बड़ा परस्पर विरोधाभास है, माननीय गोविन्दसहाय जी बोलना चाहते थे वह उचक रहे थे वह आगे बोलेंगे लेकिन हम तो इस चीज की विडम्बना में परेशान हैं कि वह लोग जो अपने खेतों का फार्म बनाकर स्वयं खेती करते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि जनता के खेतों पर सामूहिक खेती न हो। राजा साहब, नवाब साहब, कुंवर साहब, राय बहादुर साहब और खान बहादुर साहब के फार्मों पर खेती होती रहे, लेकिन जनता के बनाये हुये फार्म पर खेती न हो, आम जनता जिस ने देश की आजादी के लिये मोर्चा लिया उसकी खेती न हो यह वह चाहते हैं। कौन इस देश का सच्चा नागरिक और राष्ट्र भक्त होगा कि जो यह न चाहता हो कि हर प्रकार की शक्ति जनता के हाथ में आये। माननीय सदस्यों ने भारतीय संविधान को पढ़ा होगा तो

समझा होगा कि यह जो सत्ता अंग्रेजों के हाथ से ली गई है वह राय बहादुर, खान बहादुर, राजा साहब और नवाब साहब के और बड़े फार्म वालों के नाती पोतों को नहीं दी गई है, बल्कि वह यहां की ४० करोड़ जनता के हाथ में दी गई है। मैं उन से पूछूंगा कि जो सत्ता जनता के हाथ में दी गई है उसके मालिक बनने वाले यह राय बहादुर, राजे, नवाब होते कौन हैं? हमने इस सरकार से बराबर कहा है कि उसने इन राजा, महाराजों से हजारों एकड़ जमीन छीनकर क्यों नहीं आज तक गरीब भूमिहीनों के लिये सहकारी फार्म बनाये?

आज मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं विरोध करना चाहता हूं। दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है। लीडरों को रंज है आराम के साथ। अगर आप में दम होता तो इन्हें मौका न मिलता ऐसा प्रस्ताव रखने का।

कुंवर साहब कह रहे थे कि दिमाग को नहीं बदला जा सकता। मैं माननीय कुंवर जी को एक किताब पढ़ने के लिये सिफारिश करूंगा। हीगल की एक किताब है 'फेनोमनालाजी आफ माइंड'। उस किताब को पढ़ने पर उन्हें पता लग जायगा कि आखिर दिमाग में है क्या। अगर प्रस्तावक महोदय पुराने सिद्धांतों पर चले जायं तो वही लड़ाई शुरू हो जायगी। स्पिरिट की और मैटर की होगी। दिमाग में किसका असर होता है? संघर्ष का होता है। उन्होंने कहा कि हम गाना गाकर गेहूं और चावल पैदा करेंगे। क्योंकि दरबार में हमेशा गाना होता रहा है इसलिये उसका असर है। लेकिन यह नहीं कहा कि हम संघर्ष करके जमीन लेंगे और मेहनत करेंगे। कोई चार हल देगा, कोई एक हल देगा, कोई मेहनत करेगा और सब मिलकर मेहनत करेंगे और उत्पादन करेंगे। उतनी मेहनत करें जितनी कि कर सकते हों और पावें उतना कि जितनी जरूरत हो। यह तो समाजवादी मानते हैं। वह तो गैर-समाजवादी हैं, कैसे मानेंगे? वह तो चाहते हैं कि सोसायटी को नेस्तनाबूद कर व्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करें।

मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं और स्वतंत्र दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस बात का जवाब दें, यह वही चाहते हैं जो कि यूरोप में डिवाइन राइट आफ किंगशिप है। इनका जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। यह कहते हैं कि फ्रांस का बादशाह मर गया या इंगलैन्ड का मर गया तो क्वीन इलिजाबेथ ही रहे या उनके नाती पोते ही रहें। सरकार ने राजा का खिताब इनका ले लिया लेकिन फिर भी राजा ही बोले जाते हैं, नाम से नहीं बोले जाते। रियासत तो सरकार ने ले ली लेकिन यह अब भी उन भावनाओं में विचरण कर रहे हैं जबकि इनका कुत्ता हलुआ पूड़ी खाता था और चिथड़ों में लिपटा हुआ किसान एक की जगह बीस रुपये देता था।

प्रस्तावक महोदय की पार्टी की एक ही बायबिल है। उसके प्रणेता कौन हैं? जो मंत्री जी के बगल में बैठे हैं, माननीय चरणसिंह जी। उस बायबिल का नाम है "ज्वाइंट फारमिंग एक्सरेड"। छपी कहां से? विद्या भवन से छपी है। वह क्या है? के०एम० मुंशी की एक संस्था है। वहां से वह किताब छपी है। चरणसिंह जी जो मंत्री जी के बगल में बैठे हैं उन्होंने एक किताब लिख दी और प्रतिक्रियावादियों को बायबिल का सहारा मिल गया। बायबिल में लिखा है कि "God said light and there was light" उसी के आधार पर यह चल रहे हैं। वरना यह जानते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग से चीन का फायदा हुआ है। चीन की जनता उससे लाभान्वित हुई। जहां तक एग्रेशन का मामला है हम उसके विरोधी हैं। हमने चीन नहीं देखा है। लेकिन जो किताबें निकलती हैं उनको पढ़ा है और मैं जानता हूं। १९५० में पी०टी०आई० के करेस्पांडेंट पैकिंग में रहते थे। नाम था श्री शिवराम। उन्होंने लिखा कि चीन के पास कोआपरेटिव फारमिंग से इतना ज्यादा धान पदा हुआ कि वह किसी भाव पर या बिना भाव के दे सकता है हिन्दुस्तान को, लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार नहीं लेना चाहती।

[श्री उग्रसेन]

मैं कहना चाहता हूं, राजा साहब सक्षम व्यक्ति हैं, जरा इजराइल जाकर देखें। इजराइल में कोआपरेटिव सबसे ज्यादा दुनिया में सफल हुई है। मुझे वहां रहने का मौका नहीं मिला है, वहां के एक नेता ने बताया कि इजराइल के लोग दूसरे देशों से आकर बस गये इसलिये उनका किसी प्लाट से व्यक्तिगत मोह नहीं था, अतः वहां कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत सफल हुई। डेनमार्क में कोआपरेटिव से अंडे पैदा होते हैं और उतने कहीं नहीं पैदा होते। स्वीडन में कोआपरेटिव फार्मिंग की वजह से उनकी आमदनी में १ और ६ का अन्तर रह गया है, इसलिये मैं कहता हूं कि छोड़ दें मार्क्स और लेनिन को। गेंदासिंह जी ने कहा कि रूस का दिमाग गड़बड़ा गया, रूस में बड़ी जबरदस्त क्रांति वहां के जार्स के खिलाफ की गई जो देश की छाती में छुरी भोंकते थे। उन दिनों में लेनिन ने कोआपरेटिव फार्मिंग किया। माननीय गौतम जी ने, जो अभी रूस से लौट कर आये थे, कहा था कि वहां ७,७ मील तक खेत हैं और १४, १४ मील तक फार्मों में सड़कें बनी हुई हैं। लेकिन जरा देवरिया में देखें। गेंदासिंह जी को भी भ्रम है। लेनिन ने जो सिद्धांत चलाये उनमें कठिनाइयां जरूर आयीं मगर वह उनमें फेल नहीं हुआ। अगर फेल हुआ होता तो रूस में सर्वहारा नाम की कोई व्यवस्था न होती और उल्टे वही लोग जिनके खिलाफ आन्दोलन हुआ था वह उनको सदा के लिये कुचल देते।

मैं देवरिया की बात कह रहा था। वहां हाटा एक तहसील है जिसमें पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति .५२ डेसीमल खेत आता है, सलेमपुर में.६९ डेसीमल खेत आता है, बांसी में .५४ डेसीमल खेत प्रति व्यक्ति पीछे आता है। तो प्रस्तावक महोदय चाहते हैं कि लोगों पर इतना ही खेत बना रहे। हम कहते हैं कि सब एक जगह मिला दिये जायं, जिससे यह होगा कि बहुत से लोग, जिनकी तादाद डेढ़ या दो करोड़ के है और जिनके पास निजी जमीन नहीं है, अपने श्रम से जो पैदा करेंगे उसको बांट लेंगे।

कहा गया कि फार्मिंग से नुकसान हुआ। मैं इनकी फार्मिंग के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे यहां एक बाबू साहब कुड़वा हैं जिनके नाम ४,००० एकड़ जमीन लिखी हुई है। किसान कहता है कि यह जमीन हमारे नाम नहीं है, यह तो बाबू की है और जिस तरह से जोतना हो जोतें, हमारा खेत नहीं है। तो दो करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही बड़े-बड़े फार्म होल्डर्स का हल चलाते हैं। जब उससे पैसा मांगते हैं तो बाबू कहता है कि कल को कोदों ले जाना और जब अगले दिन जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे बाप को इतना रुपया उधार दिया था, उसका इतना ब्याज हो गया, इसलिए तुम्हारे ऊपर हमारा ही ५०,६० रुपया बकाया है। इस तरह से शोषण करने वाले लोग आज प्रस्ताव रखते हैं कि व्यक्तिगत खेती होनी चाहिये, सहकारी खेती नहीं। सरकार की कमजोरी है। मैं यही कह सकता हूं। कोआपरेटिव में भ्रष्टाचार जरूर है। यह सिद्धांत है समाजवाद का कि जब देश में खाद्यान्नों की कमी हो तो कंट्रोल किया जाय। मगर किसी से पूछा जाय कि कंट्रोल कैसा हो रहा है कांग्रेस सरकार में, तो सब गाली देंगे। आप मशीनरी बदल दीजिये, कांग्रेस को बदल दीजिये तो सब ठीक हो जायगा। जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक कोई सहकारी खेती संभव नहीं हो सकती, एक समाजवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत से प्रतिक्रियावादी लोग भरे हुये हैं। नागपुर का प्रस्ताव आया कि हम ऐसा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि होने नहीं देंगे। कुछ कहते हैं कि जबरदस्ती लायेंगे, कुछ कहते हैं कि शिक्षा से लादेंगे। कुछ सर्विस कोआपरेटिव बनाई, उनसे लाभ नहीं हुआ हालांकि चीज अच्छी होनी चाहिये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्विस कोआपरेटिव से काफी लाभ हो सकता है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिये, प्रतिक्रियावादी तत्व नहीं होने चाहिये, वर्ना लाभ नहीं होगा। इस रवैये को स्वतंत्र पार्टी छोड़े अगर वह देश का कल्याण चाहते हैं। ४० करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। ४० करोड़ की यह मातृभूमि है। उनको भोजन, वस्त्र और शिक्षा देनी है तो दूसरा चारा कोई हो नहीं सकता

सिवाय इसके कि कोआपरेटिव फार्मिंग की जाय। पहले जो जमीन के हिसाब से उनको मिले और बाद में एक हो जाय तो ताकत के मुताबिक वे श्रम करेंगे और आवश्यकतानुसार श्रम से जो सम्पत्ति अर्जित होगी वह उनमें बांट दी जायगी और जिस दिन यह होगा उस दिन तो कुंवर साहब और ज्यादा चौंकेंगे कि ताकत के मुताबिक तो सब श्रम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार पूंजी क्यों बटेंगी, तब वे इसका और विरोध करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये एक दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—ऐसी कोई बात तो उन्होंने कही नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह—अभी उन्होंने यह कहा कि प्रस्तावक महोदय ने यह कहा कि सहकारी खेती नहीं होनी चाहिये। शायद उन्होंने मेरी स्पीच सुनी नहीं। मैंने यह कहा था कि उन्नत खेती की जो समितियां होती हैं वह उन्नत खेती (बेटर फार्मिंग) होनी चाहिये। ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग का मैंने विरोध किया है इसके लिये वह अपना दिमाग साफ कर लें।

श्री उग्रसेन—मुझे भी स्पष्टीकरण कर लेने दें।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठें। स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक श्रीपालसिंह जी की बात है वह बाद में उसे अपने जवाब में कह सकते थे। यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—मैं श्रीपालसिंह जी का इस बात के लिये आभारी हूं कि उन्होंने आज इस सदन में ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जिसके बारे में देश में काफी विवाद भी है और जिसके ऊपर देश की खेती का भविष्य निर्भर है। इस विवाद पर बोलते हुये जो उन्होंने स्पीच दी उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि मेरा ऐसा खयाल है कि इस सदन में अपोजीशन की ओर से मैंने इतनी अच्छी दलीलों से भरी स्पीच कम सुनी है लेकिन, बावजूद इसके कि उनकी दलील में एक जान थी, मुझे अफसोस है मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं और उसका एक ही कारण हो सकता है कि कोई उससे अधिक प्रेरणा मुझे इस चीज पर बोलने के लिये प्रेरित कर रही है।

यह विषय जिस तरह से रखा गया मेरे खयाल से वह कोई ज्यादा ठीक नहीं है। विषय यह समझ कर रखा गया कि कोआपरेटिव फार्मिंग इस देश में करने का तहैया है और इसलिये आवश्यक समझा गया कि वह चीज गलत है नहीं होना चाहिये, उसका विरोध होना चाहिये। यही एक कारण हो सकता है। इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि पहले कांग्रेस पार्टी का इस संबंध में क्या नजरिया है उसे आपको बतलाऊं।

कांग्रेस पार्टी आज कोआपरेटिव फार्मिंग की बात नहीं कहती है। कांग्रेस के विरोधी यह बात ज्यादा कहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग कांग्रेस जबरदस्ती करवायेगी। कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, उसने सर्विस कोआपरेटिव की बात कही है और अगर सर्विस कोआपरेटिव्स में सफलता मिले तो दूसरा स्टेज कोआपरेटिव फार्मिंग हो सकता है। इसलिये यह बात कहता हूं कि किसी चीज को कैसे रखना यह बड़ी भारी बात होती है। सामाजिक व्यवस्था कोई पार्टी महज अपने प्रस्ताव से नहीं बदल सकती। मैं यह जानता हूं कि व्यवस्थाओं का क्रम होता है, उनका जन्म होता है, विकास होता है, जवानी का जमाना आता है, बुढ़ापा आता है, फिर विघटन होता है। सोशल साइंटिस्ट की पहचान यह है कि जब एक व्यवस्था को हटा कर कोई नई व्यवस्था की बात करे तो देख ले कि पुरानी व्यवस्था परिपक्व स्थिति को पहुंच गयी है या नहीं और इसके टूटने में देश का कल्याण है। इस नजर से ही, मैं समझता हूं, कांग्रेस का दृष्टिकोण रहा है।

[श्री गोविन्दसहाय]

व्यवस्थाओं के बारे में लोगों की राय बदलती रहती है। अब से २० साल पहले अगर कोई यह कहता कि राजशाही बुरी है तो लोग उसे मार डालते क्योंकि राजा के प्रति एक आदर था, राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लोगों की श्रद्धा थी। इसी तरीके से २०, २५ साल पहले अगर कोई जमींदारी एबालिशन की बात कहता तो लोग नहीं सुन सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने यह अन्दाजा लगाया है कि आज एक युग में बनी हुई व्यवस्थायें चूंकि समय की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही हैं और लोगों के सोचने के ढंग के बिलकुल प्रतिकूल होती जा रही हैं इसलिये उनको मिटाना लोगों के हित में है। इसी तरीके से व्यवस्थायें मिटा करती हैं और समय की आवश्यकता के अनुसार बना करती हैं। मैं यह कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी भी कोआपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ हो जाय और हम और आप सब मिल कर सोशलिज्म के खिलाफ हो जायं फिर भी दुनिया की कोई ताकत सोशलिज्म की प्रगति को नहीं रोक सकती क्योंकि मौजूदा समाज का ढांचा समाज की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है। इसलिये हमको देखना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो। मैं सोशलिज्म की बहस में बिलकुल नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि श्री राजनारायण जी यहां नहीं हैं। वे होते तो बहस में कुछ किताबों की चर्चा होती। उन्होंने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिये कहा था। लेकिन मैं आज सोशलिज्म की फिलासिफाना बहस में नहीं जाऊंगा। मैं इस प्रश्न को व्यावहारिक दृष्टि से ही आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

जब आप कांग्रेस गवर्नमेंट की पालिसी पर आक्रमण करें तो उसकी सारी पालिसियों को आप एक दूसरे से काट कर नहीं देख सकते। कोआपरेटिव फार्मिंग के पीछे का सारा इतिहास आपको सामने रखना पड़ेगा और वह इसलिये कि समय ने हमें यों बताया कि जमींदारी व्यवस्था से जमीन से किसान को उतना लगाव भी नहीं है, जो लोग खेत पर काम करते हैं वे अपने को जमीन का मालिक नहीं समझते हैं इसलिये यह व्यवस्था हटानी चाहिये। इसलिये पहले जमींदारी व्यवस्था को हटाना जरूरी हुआ। उसके बाद यह जरूरी समझा गया कि छोटी-छोटी जमीन का कंसालिडेशन किया जाय। इसलिये फिर कंसालिडेशन की बात आयी। उसके बाद भी यह महसूस किया गया कि इतना ही काफी नहीं है कि आप नये नये फार्म खोल लें बल्कि जब तक एक मामूली किसान को खेती के उन्नत साधन नहीं पहुंचाये जायेंगे और उन साधनों को पहुंचाने के लिये रिसोर्सेज को पूलिंग नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। इस तरीके से सर्विस कोआपरेटिव्ज आयीं और सर्विस कोआपरेटिव्ज को लोग एडाप्ट कर लेंगे तब मैं उनसे कहूंगा कि आगे का कदम यह हो सकता है। इसलिये आज अगर आप कोआपरेटिव फार्मिंग पर हमला करें तो हमारे लिये लाजिमी नहीं है उसका जवाब देना क्योंकि उसके लिये जो हालत चाहिये वह हालत अभी पैदा नहीं कर पाये।

अब सवाल आता है व्यावहारिक दृष्टि का। जहां तक मैंने उनके जवाब को सुना उनकी सारी थीम एक है कि जितनी थोड़ी जमीन होगी किसान की उतना ही उसका उससे लगाव होगा और वह उस जमीन को अच्छी बनायेगा, खाद ज्यादा डालेगा, उसकी बीबी बच्चे सब जुटे रहेंगे और इस तरह से उसमें ईल्ड ज्यादा होगी। यह वाकया है और इस हकीक़त के मना करने से कोई फ़ायदा नहीं। मगर दूसरे पहलू से भी देखिये कि किस जमीन पर सारा खानदान चिपटा है, उनका सब का अगर लेबर लगायें और फिर उसका प्रोडक्शन बांटें तो कम पड़ता है। इसलिये यह प्रश्न आया कि क्या हम खेती पर ही चिपटेंगे।

इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लाखों और करोड़ों आदमियों को हमें खेती से हटाना पड़ेगा। ज्यादा पैदा करने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि एक तरफ़ तो खेती में हम मशीन का प्रयोग करें और दूसरी तरफ लेबर को दूसरे कामों में लगायें ताकि खान्दान की मेहनत के हिसाब से उसको लाभ हो। इसलिये मैं समझता हूं कि छोटी खेती करने से चाहे उसमें थोड़ा सा लाभ भी हो, लेकिन नेशनल एकोनामी जब आप बनाते हैं तो उसमें मैन पावर को प्लान करना पड़ता है और उसके हिसाब से हम यह समझते हैं कि खेती के लिये उन्नत साधनों का जुटाना जरूरी

है और उतने ही लोगों को खेती पर रखना है जितनों की नेशनल एकोनामी में हमको जरूरत हो। बहरहाल, व्यावहारिकता का जो प्रश्न है मैं इसे कबूल करता हूं कि आज भी बहुत से लोग कोआपरेटिव फ़ार्मिंग को नहीं मानते हैं। जैसा अभी एक साथी ने उस तरफ़ से कहा, आज कोआपरेटिव फार्मिंग की हालत यह है कि जो बड़े ग़रीब किसान हैं अगर उनसे कहा जाय कि तुम्हारी जमीन पूल की जायगी तो नहीं मानेंगे। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है इसको मैं मानता हूं।

रशिया में जब रिवोल्यूशन हुआ और जब वहां का रिवोल्यूशन सफल हुआ तो वहां के प्रतिक्रियावादियों ने किसानों में इस प्रकार पर्चे बांट दिये कि बोल्शेविक लोग तुम लोगों की जमीनों को छीन लेंगे। इसका असर यह हुआ कि रशिया के किसान उन लोगों के एकदम खिलाफ हो गये। इस पर बोल्शेविक लोगों ने उस पर्चे के खिलाफ दूसरा परचा किसानों के बीच में बंटवाया कि हम लोग तुम्हारी जमीन छीनेंगे नहीं बल्कि दूसरों से जमीन छीनकर तुमको देंगे। तब कहीं जाकर उन लोगों का काम ठीक हुआ। श्रीमन्, मैं यह माने लेता हूं कि मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृति होती है कि वह अपनी जमीन से चिपका रहना चाहता है और चाहता है कि जमीन न बंटे।

श्रीमन्, जहां तक कोआपरेशन का ताल्लुक है मैं इस सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर किसान को ठीक तरह से समझाया जायगा और वह देखेगा कि इसमें उसका फायदा है तो वह उस तरफ खुशी से जायगी। अगर वह किसी चीज में देखता है कि यह फायदे की है तो वह उसको मानने के लिये तैयार हो जाता है। जो यह दलील दी जाती है कि यह हमारे देश के इतिहास के खिलाफ है, मानव प्रवृत्ति के खिलाफ है तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं। उस समय ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। आज से करीब १५ साल पहले की बात है कि हमारे देश में बंगाल में बड़ा भारी फेमिन पड़ा और उस फेमिन में ३५ लाख के करीब आदमी मर गये, लेकिन देश में कोई इंकलाब नहीं आया। उस समय अन्न के देने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि उस समय यह समझा जाता था कि अन्न देने की जिम्मेदारी ईश्वर की है। इसलिये उस समय कोई इंकलाब देश में नहीं आ सका। लेकिन आज हमारे सोचने का ढंग बदल गया है, उसमें एक क्रान्ति पैदा हो गई है और आज हर आदमी इस बात तक को सोचने लगा है कि राशन की दूकान पर अच्छा अनाज देने की जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है और हर आदमी समझता है कि अन्न देने की जिम्मेदारी सरकार की है तो सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को उस समय तक पूरा नहीं कर सकती है जब तक कि वितरण से लेकर सारे साधनों पर सरकार किसी न किसी रूप में अधिकार न कर ले।

कोआपरेटिव फार्मिंग और सरविस कोआपरेटिव्ज के लिये जो यह कहा जाता है कि इसमें किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं की जायगी और जो कुछ खुशी से आना चाहे वह आये, यह बिलकुल ठीक नहीं है। नियोजन में सरकार का असर जरूर ज्यादा बढ़ जाता है और आदमी की आजादी कम हो जाती है। इसलिये अगर कोई कहता है कि हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम खुशी से आना चाहो तो आ जाओ लेकिन पालिसी का इस तरह से संगठन किया जाता है कि आदमियों से कहा नहीं जाता है बल्कि उसे अपने आप आना पड़ता है। लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग की सफलता के लिये आप चाहें या न चाहें वह फिजा पैदा करनी होगी कि आम आदमियों पर उसका असर हो।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक तरफ तो हम समाजवाद की आर्थिक नीतियों को मानते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी विचार शक्ति में संकीर्णता बढ़ाते जा रहे हैं। यह बात इस चीज को बताती है कि हमारी जो योजनायें हैं उनका एक पहलू ही हम इधर फैलाते हैं और अपने दिमाग को हम तब्दील नहीं करते हैं और जो एजूकेशन का प्रासेज है उसको फालो नहीं करते हैं। जिन मुल्कों में कोआपरेटिव

[श्री गोविन्दसहाय]

फार्मिंग हुआ है, मैं उनके आंकड़े तो हाउस में नहीं दूंगा क्योंकि वह आपके भी पास हैं और मेरे भी पास हैं और उसको आप भी अपने दृष्टिकोण से इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं भी अपने नजरिये से उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। इसलिये मैं सिर्फ व्यावहारिक बात ही कहता हूं। वह यह है कि हमारे देश के किसान की यह फितरत है कि वह जिस चीज में अपना फायदा समझता है उसे पकड़ता है। यह मेरा अनुभव कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में देहात में हुआ। किसान कहता है कि यह पढ़े-लिखे लड़के हम को खेती करना सिखाने आये हैं। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि इस तरह से खेती करने से पैदावार ज्यादा होती है तो उसने उसे पकड़ लिया। यह यकीन करना कि यहां का किसान इसको नहीं पकड़ेगा, मैं इसको नहीं मानता हूं। अगर यहां का आदमी बुरी बात को पकड़ सकता है, ब्लैक मार्केटिंग को पकड़ सकता है, चोरी कर सकता है तो वह अच्छी चीज को क्यों नहीं ले सकता है बशर्ते कि उसको अच्छे ढंग से समझाया जाय? इसलिये मेरा यकीन ऐसा है कि हमारे दोस्त राजा साहब जो यह प्रस्ताव हाउस के सामने लाये हैं वह ग़लत मौक़े पर लाये हैं क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में ऐसा कोई बहाव नहीं उठाया है।

हम समझते हैं कि किस मौक़े पर यह काम करना चाहिये। कोई लीडरशिप अगर अपने नारों को वक्त के पहले ख़त्म कर लेती है तो उनकी ताक़त जाया हो जाती है। अगर आप नेहरू जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी यह कहा है कि जो हमारे अपोनेन्ट्स हैं वह हमारे खिलाफ़ हवा पैदा करने के लिये यह कहते हैं कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग करने जा रहे हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं करेंगे, लेकिन हर व्यवस्था को लाने के लिए जो दिमाग़ी और आर्गेनाइजेशनल तैयारी है वह हमें पहले करनी होती है। जब तक हम उसे न कर लें--जैसे कि कोई पौधा अगर हमें लगाना है तो जब तक उस पौधे के लिये हम उपयुक्त जमीन, आबोहवा और खाद पानी आदि का प्रबन्ध न कर लें तब तक वह पौधा लग नहीं सकता; उसी तरह कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये भी अगर कोआपरेटिव सोचने का तरीका नहीं है, लोगों का दिलोदिमाग़ उसे स्वीकार करने लायक तैयार नहीं है तो उसमें एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था खड़ी हो जायगी कि जो बजाय फ़ायदा पहुंचाने के नुकसान की बातें भी पैदा कर सकती है। इसलिये बहैसियत एक कांग्रेस पार्टी के मेम्बर के मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आज अगर हमारे खिलाफ़ यह बात लायी गयी है तब तो यह सवाल आता है ही नहीं क्योंकि आज हम वह करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग हो और कुंवर साहब से भी मैं यह कहूंगा कि अगर उनको दलील से, इतिहास के पन्नों से, दूसरे मुल्कों के आंकड़ों से, इन तमाम आधारों पर यह यकीन आ जाय कि कोआपरेटिव फार्मिंग जरूरी है तो वह भी इसका विरोध करना त्याग दें।

कोआपरेटिव फार्मिंग क्यों जरूरी है? जब आप एक पूलिंग आफ रिसोर्सेज करते हैं--स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा में एक ही खामी मैं पाता हूं कि स्वतंत्र पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सर्विस कोआपरेटिव तो मानते हैं, यानी पूलिंग आफ रिसोर्सेज को तो मानते हैं, तो उसका लाजिकल रिजल्ट है 'कि पूलिंग आफ रिसोर्सेज एंड कोआपरेटिव फार्मिंग विल गो टूगैदर'।

(व्यवधान)

बहरहाल, मैं आपकी ही दलील दे रहा हूं कि अगर आप प्लानिंग, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी की सड़क पर दिल से चलना चाहते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि आप कोआपरेटिव फार्मिंग को नहीं मानते....

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह "आप" शब्द किसके लिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--(श्री गोविन्दसहाय से) उनका मतलब यह है कि आप मेरे जरिये से बात कहें। सीधे उनसे बात न करें।

श्री गोविन्दसहाय--अध्यक्ष महोदय, इधर से जरा कुछ बात आ जाती है तो उसका जवाब दे देता हूं।

मैं यह कह रहा था कि आज देश में कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये उपयुक्त आबो हवा नहीं है। कोआपरेटिव फार्मिंग आनी चाहिए, उसके जरिये हमारा एग्रीकल्चर तरक्की करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और उसको लाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए उस में वह सब लोग जो कि कोआपरेटिव फार्मिंग और सोशलिज्म में यकीन करते हैं उन को वह क्लाइमेट पैदा करनी चाहिये। अगर वह हम नहीं पैदा करेंगे तो कोआपरेटिव फार्मिंग जो है और जो हमारा सारा ढांचा है जिसे हमने पिछले बारह तेरह वर्षों के अन्दर बनाया है वह ढह जायगा।

आखिर में मैं यह कह कर खत्म करता हूं कि जब आप कोआपरेटिव फार्मिंग की चर्चा करें तो उसके पीछे लैंड की जो हमारी सारी व्यवस्था है उस को सामने रख कर बात करें। उसे आप उसमें से काट नहीं सकते हैं। मेरा यह यकीन है कि आज चाहे कोआपरेटिव फार्मिंग सफल न हो रहा हो, लेकिन उसके यह माने नहीं हैं कि इस एक्सपेरीमेन्ट को रोक दिया जाय। अगर किसी जगह कोई आश्रम फेल हो जाता है तो हम यह नहीं कह देते हैं कि आश्रम का एक्सपेरीमेंटेशन ही रोक देना चाहिए। आज की आबोहवा में अगर आधे दिल से आधे ढंग से कोशिश हो रही है तो उसके यह माने नहीं हैं कि इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसका ताल्लुक तो सारी हमारी पालिसी से है। स्टेट ट्रेडिंग, कोआपरेटिव फार्मिंग, सर्विस कोआपरेटिव, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को हम दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। प्लान्ड इकोनामी में हम यकीन करते हैं।

समाजवाद को मैं समझता हूं कि वह अनिवार्य है क्योंकि व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आधारित जो हमारी आज की व्यवस्था है उसकी प्रेरणा सिर्फ लाभ है और लाभ और संरक्षण की प्रेरणा देने वाला जो समाज है उसका व्यक्ति एक तंगदिल इन्सान है। कैपिटलिज्म ने एक ऐसा तंगदिल इंसान पैदा किया है कि जिसके जीवन के क्षेत्र में व्यवस्थित तरक्की नहीं है। उसके एक क्षेत्र में अगर तरक्की है तो दूसरे में तनज्जुली है। हम ऐसा समाज लाना चाहते हैं जिसका इन्सान ऐसा हो जिसके कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यवस्थित तरक्की हो।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो एक प्वांइट और याद आ गया और वह मैं इसलिए देना चाहता हूं कि मेरा खयाल है कि राजा साहब को शायद और ज्यादा यकीन आ जाय। अभी मैंने जिक्र किया व्यवस्थित तरक्की का। जैसे उदाहरण के लिये आज हमारे देश में बड़ी चर्चा है नैतिक पतन की कि नैतिक पतन हो रहा है और हर क्षेत्र में नैतिक पतन हो रहा है। मैं कहूंगा कि इस नैतिक पतन का भी व्यवस्था से बड़ा सम्बन्ध है क्योंकि जो हमारे समाज का ढांचा आज बना हुआ है उस समाज के ढांचे में सच बोलने वाले आदमी को हर कदम पर ठोकर है और झूठ, फरेब करने वाले आदमी की तरक्की है। इसलिये यदि आप नैतिक पतन को उखाड़ना चाहते हैं तो उस व्यवस्था को भी उस के अनुरूप बनाना होगा। मिसाल के तौर पर अदालतें हैं और मेरा खयाल है कि अदालतों का नैतिक पतन से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। तो वहां पर आपको इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। महज कोआपरेटिव फार्मिंग से वह इफेक्टिव परिणाम होने वाला नहीं है। जो दोस्त सोशलिज्म में यक़ीन करते हैं उनके सामने इतिहास की चुनौती है कि यदि आप सब ने मिलकर सोशलिज्म के प्रति विश्वास जनता में पैदा नहीं किया तो सोशलिज्म एक दूसरे गैप को पाटने की लकीर बन कर रह जायगा और सोशलिज्म के नाम पर फैसीज्म पनपता रहेगा।

मैं कुंवर साहब को एक दोस्ताना मशविरा दूंगा कि बजाय कोआपरेटिव फार्मिंग करने के आप सोशलिज्म को मंजूर कर लें और व्यवहार में उसको हरा दें। अगर आप ने यह तरीक़ा अपनाया तो मैं समझता हूं यह ज्यादा अच्छा होगा। यह आजकल हिन्दुस्तान में बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि मुझ जैसे आदमी को आप से उतना खतरा नहीं है जितना उनसे है जो सोशलिज्म को मानते हैं और उसके बाद उसको व्यवहार में हरा देते

[श्री गोविन्दसहाय]

है। इसलिये मैं आप को मशविरा दूंगा कि आप प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म की नीति को अपनायें और कोआपरेटिव फार्मिंग की मुखालफत न करें। यह इतिहास के खिलाफ़ है, मानव प्रकृति के खिलाफ़ है, और दुनियां का रुझान जिस तरफ है उसके खिलाफ़ है। इस को मान लें जिससे पुरानी व्यवस्था की जिन्दगी को आगे बढ़ाने में हम सफल न हो सकें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--- मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं कुंवर साहब का बड़ा अनुगृहीत हूं कि वह बड़ा इम्पार्टेन्ट विषय यहां पर ले आये हैं। मैं गोविन्द सहाय जी को उनके भाषण के लिये मुबारकबाद देता हूं कि बहुत वीक केस को जितनी अच्छी तरह से उन्होंने रखा वह बहुत बड़े वकील की तरह से ही रखा है।

आखिर में उन्होंने राजा साहब और श्रीपालसिंह जी को यह सलाह दी कि यदि आप सोशलिज्म को डिफीट करना चाहते हैं तो सोशलिज्म में विश्वास तो रखें लेकिन व्यवहार में उसको हरा दें। इसका मतलब यह है कि अपने मुंह से कुछ कहें और व्यवहार में वह चीज दूसरी तरह हो। यदि इस तरह का मशविरा दिया जाय कि कहें कुछ और करें कुछ, तब तो भगवान् ही रक्षक है! इस हाउस में सोशलिज्म मानने वाले कितने हैं जो सहकारी खेती के पक्ष में हैं? एक तो प्रजा सोशलिस्ट वाले हैं जो अपना सोशलिज्म अलग मानते हैं। एक सोशलिस्ट हैं जो अपना सोशलिज्म उनसे भिन्न मानते हैं। एक कांग्रेस वाले हैं वह भी सोशलिस्टिक पैटर्न की बात हर समय करते रहते हैं। कम्युनिस्ट भाई भी सोशलिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि सोशलिज्म तो हमारी पहली सीढ़ी है, हम असली सोशलिज्म को मानने वाले हैं और सब नकली हैं। अब इस आदरणीय सदन में बैठने वाले कितने ही तरह की बातें मानते हैं। हम भी अपना लक्ष्य वही मानते हैं। मतलब यह है कि हरएक आदमी अपनी बात कहता है। तो अगर समाजवाद का नारा लगाने वाले सदस्य एक मत नहीं हैं और हिन्दुस्तान के चौराहे पर खड़ा हो कर यह कहा जाय कि एक मत नहीं हैं तो कुछ ताज्जब नहीं होगा।

दूसरी बात यह कही गई जिसका आज कल कहने का फैशन हो गया कि किसी को गाली देना हो तो यह कह दो कि तुम पुरानी बातों को मानने वाले हो, दकियानूसी हो। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हर एक चीज पुरानी खराब नहीं होगी और हर एक चीज अच्छी नहीं होगी। हम बहुत दिनों से अन्न खाते आ रहे हैं और खायेंगे किन्तु बदलते नहीं हैं। अगर आप प्रगतिशीलता के नाम पर यह कहने लगे कि नई चीजें अच्छी हैं और पुरानी सब बेकार हैं और हमारे बाप दादा मनुष्य नहीं थे, बन्दर थे, तो यह प्रगतिशीलता नहीं है। व्यावहारिक जगत में आइये और व्यावहारिक दृष्टि से बात करिये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक-एक चीज कर के आप न लें, बल्कि समूची पिक्चर देखिये। मैं उन्हीं के तर्क के अनुसार उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपने जमींदारी एबालिशन किया, माना कि बहुत अच्छी चीज की। अगर कोई अच्छी चीज है तो हम उसे अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर आटे में कोई चोकर मिला दे और कुछ और गड़बड़ कर दे तो हम उसे अच्छा आटा कहने को तैयार नहीं हैं। हम उस की तारीफ़ नहीं कर सकते कि जो अच्छी चीज न हो। जमींदारी एबालिशन तो हुआ और उसके पीछे कांग्रेस का नारा था कि जमीन किसान की होगी। जमीन का मालिक कौन? जो जमीन जोतेगा। लेकिन सहकारी खेती उसका नकारात्मक रूप है। उसमें होगा क्या? नाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भले ही उसका रहे लेकिन असली मालिक तो वह हो नहीं सकता। कलेक्टिव फार्मिंग में उसका नाम तो पहले ही उड़ जायगा।

अब थोड़ा पालिसी की बात का मैं तजकिरा कर दूं। समय बहुत कम है और बात काफी कहनी रहती है। इसके अलावा सदन में ४–५ तो विरोध कर रहे हैं, इसलिये आप से प्रार्थना है कि हमें कुछ समय अधिक मिलना चाहिये। आप नीति की बात ले लीजिये। आपने बहुत सी बातों में परिवर्तन किया। रुपये में ६४ की जगह १०० पैसे कर दिये, बांट बट्टे बदल दिये, प्रान्तों का विभाजन कर दिया, रेलवे के कंपार्टमेंट पहले ही सब उड़ा दिये और बाद में फिर उन्हीं को दूसरी शक्ल में ला कर रख दिया। सेंटीग्रेड का प्रयोग शुरू कर दिया फारेनहाइट की जगह, लेकिन जब इस सब से देश आगे नहीं बढ़ा तो आपने कहा कि अब देश में सहकारी खेती आ जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि इससे लाभ क्या है। लाभ के संबंध में गोविन्द सहाय जी ने स्वयं स्वीकार किया कि इससे प्रति एकड़ ईल्ड बढ़ नहीं सकती। तो जब पैदावार नहीं बढ़ सकती तो फायदा क्या? माननीय झारखंडेराय जी ने कुछ चीन के आंकड़े पेश किये। वहां के आंकड़ों से मैं बहुत घबराता हूं क्योंकि चीन हमारी हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी जगहें अपनी बना सकता है नकशों में छाप कर, वह क्या नहीं कर सकता। दूसरी बात उन्होंने रूस की कही। रूस और चीन दोनों उनके कुरानशरीफ हैं। उनके लिये उन्होंने कहा कि वहां पैदावार बढ़ रही है और सन् १९५७ की वहां की एक बाइबिल उन्होंने पढ़ कर सुनायी। लेकिन उस बाइबिल में एक ऐसी भी ऋचा है कि जिसमें लिखा हुआ है कि नयी-नयी जमीनें तोड़ी गयीं और उनमें, वर्जिन स्वायल में ज्यादा पैदावार हुई। लेकिन यदि उनकी पर एकड़ पैदावार बढ़ी तो उसके लिये मैं उनको चैलेंज कर सकता हूं। (व्यवधान) मैंने वह किताबिया पढ़ कर देख ली है और हिसाब लगा दिया है। आप बैठिये मैं उन्हीं की बाइबिल के आधार पर यह बात कह रहा हूं।

दूसरी बात के लिये मैं माननीय गोविन्दसहाय जी तथा माननीय झारखंडेराय जी को धन्यवाद देता हूं। एक गांधी जी के सिद्धांत को मानने वाले थे और दूसरे भी अहिंसक हो गये। कम्युनिस्ट जब अहिंसा में विश्वास रखने वाले हो जाते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट होने लगती है। जिसको अहिंसा में विश्वास नहीं है उसे अहिंसक देख कर ही घबराहट होना स्वाभाविक है कि यह क्यों है। यह तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार आगे बढ़ने की तरकीब है। मेरा चार्ज है सरकार पर कि वह इस तरीके से कम्युनिस्ट होती जा रही है। अपना नाम भले ही वह कांग्रेस रखे रहे लेकिन वह कम्युनिस्टक सरकार होती जा रही है और उसी के कारण कम्युनिज्म इस देश में बढ़ रहा है।

इसके बात एक बात और, जो मैं मानता हूं कि गोविन्दसहाय जी ने नहीं कही, लेकिन उधर से तर्क दिया गया। हां, मुझे गोविन्द सहाय जी की एक बात और याद आ गयी, पहले उस के बारे में ही निवेदन कर दूं। उनका कहना था कि जब यह लागू नहीं हो रही है तब यह सब शोर कैसा? कांग्रेस का पहले का एक एग्रेरियन रेजोल्यूशन था और उसमें साफ साफ यह कहा गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से उसे पढ़ देना चाहता हूं, कि:

"The future agrarian pattern should be that of co-operative joint farming, in which the land will be pooled for joint cultivation, the farmers continuing to retain their property rights, and getting a share from the net produce in proportion to their land. Further, those who actually work on the land, whether they own the land or not, will get a share in proportion to the work put in by them on the joint farm.

As a first step, prior to the institution of joint farming, service co-operatives should be organized throughout the country. This stage should be completed within a period of three years."

श्रीमन्, आप देखें कि सन् १९५९ में कांग्रेस की ओर से इस बात की घोषणा की गयी थी कि ३ साल के भीतर ज्वाइन्ट कोआपरेटिव खेती आयेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

जब उनकी ओर से ऐसी घोषणा हो चुकी है तो हम क्यों न इस पर विचार करें और अगर यह चीज गलत है तो इसका विरोध करें। गोविन्दसहाय जी कहते हैं इसका समय नहीं है। जब यह हम पर लाद दी जायेगी, तब हम इसका विरोध करें? श्रीमन्, जब मरीज मर जाय, कब्र में गाड़ दिया जाय, तब क्या उसकी कब्र में इन्जेक्शन लगाया जायगा? मेरी यह बात उन की समझ में नहीं आयी।

श्री गोविन्द सहाय—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष—वह बैठ नहीं रहे हैं, आप बाद में स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, यही समय है जब कि हम इस ग़लत बात का विरोध कर सकते हैं।

आप देखें कि यह जो सहकारी खेती का प्रस्ताव है इसमें तीन बातें हैं। पहली यह कि साझे की सहकारी खेती होगी, दूसरे यह कि साझे की कृषि के हेतु जमीन इकट्ठी की जायेगी और तीसरे यह कि खेतों में काम करने वालों को, चाहे वे मालिक न हों, लेकिन वे भी साझेदार रहेंगे और पैदावार बांट दी जायगी। तो इस तरह से आप देखें कि जो उस जमीन के मालिक नहीं हैं और काम करने वाले हैं वे भी उसके हिस्सेदार हो जायेंगे। यह कहते हैं कि मालिक तो किसान रहेगा, हम कम्पलशन नहीं करेंगे। लेकिन, श्रीमन्, उनकी मिलकियत कहां रहेगी? दिखाने के लिये ही उनकी मिलकियत खसरे और कागजात में दर्ज रहेगी, लेकिन वह असल में मालिक नहीं रहेगा। अगर वह मालिक है तो उसका मतलब यह होता है कि वह उस जमीन का जो चाहे करे। लेकिन इस तरह से वह नहीं कर सकेगा। अपनी इच्छा के अनुसार वह उसको नहीं जोत सकेगा। फिर मालिक कैसा? यह स्वाभाविक बात है कि वह लोग इस बात का विरोध करेंगे कि जब वह काम नहीं करता तो उसकी मिलकियत कैसी। यह तो वही बात हुई कि सरकार कहती है कि बहुत अन्न बढ़ गया, उस की फाइलों में जरूर अन्न बढ़ा हुआ नजर आता है, मगर वह बाजार में गायब मिलता है। तो इसी प्रकार की उसकी मिलकियत उसमें रखी गयी है। वह उसको डिसपोज आफ भी नहीं कर सकता। लेकिन खसरे वगैरह में उसका नाम जरूर दर्ज रहेगा।

श्रीमन्, चौधरी चरणसिंह, जो इस समय उस तरफ के बैठने वाले हैं, उनका इस संबंध में क्या कहना है वह मैं आप की सेवा में रखना चाहता हूं—

"....a co-operative farm consists of members who have lost their economic autonomy. A co-operative is intended to support the enterprise and the business activities of its members. ....In a co-operative farm the identity of both the farm and the farmer disappears as completely as it does in a collective farm."

यह कोआपरेटिव फार्मिंग पर जो उनकी किताब है, वह मैं उन्हीं की सेवा में पेश करना चाहता हूं, वह इसे देख लें।

श्रीमन्, आप देखें कि जो 'ला कमेटी' बैठी उसकी सिफारिशें क्या हैं। मैं उनकी ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसकी सिफारिश है कि रजिस्ट्रार सब हिसाब किताब रखेगा, आडिट, कन्ट्रोल नियंत्रण उसका रहेगा, उस को यह अधिकार रहेगा कि वह जब चाहे उस कोआपरेटिव सोसाइटी को भंग कर दे और किसी भी भंग की गयी सोसाइटी को खुद बलाये।

कितना बड़ा अधिकार है कि गवर्नमेंट के अगर सहकारी समिति में शेयर्स हों तो गवर्नमेंट नामिनेट करे ! प्रजातंत्र की बड़ी दुहाई दी गई । उन तथाकथित प्रजातांत्रिक समितियों को चलायेगा कौन ? रजिस्ट्रार---सरकारी नौकर ! यह प्रजातंत्र सरकार को ही मुबारक हो ।

आजकल अपने देश में खराबी हो गयी है, और खासकर राजकीय पार्टी में, कि अगर बाहर के लोगों के उदाहरण न दिये जायं तो बात समझ में नहीं आती । बेबिन साहब क्या कह गये और ऐटली साहब क्या कह गये; जो नमक खायेगा, दावत खायेगा आकर तो क्या वह गाली देकर जायगा ? वह तो यह नहीं कहेगा कि कच्चा खिला दिया । इधर के हमारे बैठने वाले सदस्य जो साम्यवाद के हामी हैं, उनके बड़े मसीहा ने, वह जरा छोटे पैगम्बर जरूर हैं, गोमलका साहब ने क्या कहा है, जरा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:---

"Quantitative development of producers co-operation cannot be planned, because on the basis of voluntary entry to Co-operation this would mean the planning of the growth of human consciousness and cannot be done."

यानी सरकार ने कुछ टार्गेट रखा कि इतने ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग इतने साल तक बन जायंगे । श्रीमन्, कोआपरेटिव के साथ यह टारगेट कैसा ? आदमियों के मन को इकट्ठा करना कैसे संभव होगा ? मन किसी मशीन में नहीं बना करते, कोई खेत में नहीं पैदा होते । लोग अपने मन से एक कार्य को करें और हम उनका इतना लक्ष्य पैदा कर देंगे, यह बिना कोअर्शन के पैदा नहीं हो सकता---यह गोमलका की राय है । झारखंडेराय जी तो पहले ही चले गये । बेबिन साहब तो समाजवाद के हामी हैं, प्रोलेटेरियट, प्रोग्रेसिव और न जाने क्या-क्या उनके ऐडजेक्टिव्स हैं । उनका कहना है कि इंगलैंड में जो चीन का अनुकरण किया जा रहा है इससे भलाई नहीं होगी ।

प्रोडक्शन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि चीन में कहा जाता है कि बहुत उत्पादन बढ़ा । तो वहां की हालत यह है कि १९५४ में रूस के डिप्टी मिनिस्टर आये थे । उन्होंने यहां आकर यह कह दिया कि चीन को हमने अन्न सप्लाई किया, यह स्पष्ट रूप से कहा । अगर अनाज बहुत बढ़ गया है तो रूस से क्यों मंगाता है ? मैं नहीं कह सकता कि रूस वाले गलत कहते हैं । रूस की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की और चीन की हाई कोर्ट की, ऐसा ही यहां सबका ख्याल है । तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग "shall always prevail."

एक बात माननीय झारखंडेराय जी ने और कही कि अमेरिका से वहां ज्यादा गल्ला पैदा होता है, वह खोखली सिद्ध हुई है । अमरनाथ झा साहब का तजकिरा किया कि उन्होंने कहा कि बहुत तरक्की हुई । एक समिति तो हमारे पाटिल साहब के नेतृत्व में गयी थी, उसकी दो रायें हैं लेकिन कृष्णप्पा कमेटी हमने इसलिए चीन में भेजी कि वह जाकर देखें कि वहां इससे फायदा हो रहा है या नहीं । वह कहती है---

"The Krishnappa Delegation to China clearly acknowledges that pre-war yields have not yet been attained. China will indeed be fortunate if she can regain the pre-war yields and keep them up."

यानी लड़ाई से पहले जितना पर एकड़ चीन में पैदा होता था, सहकारी खेती और साझे की खेती के बाद वह लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ । वह क्यों नहीं हुआ ?

आखिर में एक चीज माननीय उग्रसेन जी ने कही कि अल्लाह ने कहा कि उजाला हो जाय और उजाला हो गया । इसके माने क्या थे ? तर्क तो उनका उग्र जरूर था । मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि भारत एक धार्मिक देश है, यहां के लोग भगवान को मानते हैं । यहां पर सैकड़ों मेले लगते हैं । कुम्भ में बावजूद सरकार के रोकने पर भी कि वहां हैजा वगैरह हो जाता है, ५० लाख आदमी इकट्ठा होते हैं । इसको देखने के लिये यह सरकार बाहर से किसी को भी नहीं बुलाती है । यहां से हजारों आदमी मवकाशरीफ, हालांकि लू में झुलसते हैं, लेकिन जाते हैं । अगर सहकारिता का यह मतलब हो कि धर्म को बंडल बना कर यहां से बाहर भेज दिया जाय तो मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि यहां की जनता इसका घोर विरोध करेगी ।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

श्रीमन्, जहां तक व्यक्तिगत ओनरशिप की बात है वह शुरू से रही है और मनुष्य के साथ ही खत्म होगी। ह्यूमन नेचर के आप खिलाफ नहीं जा सकते। सहकारिता का सिद्धान्त बताने वाले हमारे कांग्रेसी भाई पहले अपनी कैबिनेट में तो सहकारिता लायें तब हमें पाठ पढ़ाने की कोशिश करें। हमारे पी० एस० पी० भाइयों का हाल भी हमसे छिपा नहीं है और जो सोशलिस्ट पार्टी है उसमें भी कोई सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी और इसी तरह से दूसरी पार्टियां बनती हैं। पहले लोग अपने अन्दर सहकारिता लायें फिर हमें उसका पाठ पढ़ायें।

इन शब्दों के साथ मैं कोआपरेटिव फामग का विरोध करता हूं क्योंकि इससे न तो पैदावार बढ़ेगी और न देश का कोई फायदा होगा।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—श्रीमन्, कुंवर साहब ने आज जो प्रस्ताव पेश किया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। असल में अगर उन्होंने कांग्रेस, सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों के विरुद्ध भी अपना प्रस्ताव पेश किया तब भी मैं समझता हूं कि उनकी भावना और उनकी दलीलें इतनी अच्छी हैं कि मुझे पूर्ण आशा है कि आगे चलकर, चूंकि उनकी इतनी साफ नीयत है, वह दुरुस्त हो जायंगे और ठीक रास्ते पर आ जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर उनको यह विश्वास हो जाय कि वाकई सहकारी खेती किसानों के हित में है तो वह अपने आप ही इसको मान लेंगे। एक बात तो यह और उनकी पार्टी मानती ही है कि सर्विस कोआपरेटिव्ज बहुत अच्छी चीज है। कोआपरेटिव फार्मिग के आम तौर से तीन तरीके हैं। पहला, वेटर फार्मिग, दूसरा ज्वाइन्ट फार्मिग और आखिर में कलेक्टिव फार्मिग कहते हैं। उसमें से बेटर फार्मिग को और सर्विस कोआपरेटिव्ज को कुंवर साहब अच्छा मानते हैं। इससे साबित यह हुआ कि सिद्धान्ततः वे सहकारिता में विश्वास करते हैं और ईमानदारी से विश्वास करते हैं। लेकिन बात यह है कि आगे चल कर वे उसमें थोड़ा सा खतरा समझते हैं। वे समझते हैं कि जिस जगह हम जाना चाहते हैं वहां पहुंचने में दुश्वारी होगी, यह उनका सोचना गलत है। इसलिये मैं समझता हूं कि कुंवर साहब ने यह प्रस्ताव पेश करके देश और प्रदेश का लाभ ही किया है। बात यह है कि सहकारिता एक विचारधारा है इसलिये ऐसी बात नहीं हो सकती कि घर की रसोई में अगर उसको लागू किया जाय तब तो वह अच्छी हो लेकिन खेत में जब लागू किया जाय, तब वह खराब हो जाय। सत्य सब जगह सत्य ही रहता है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक जगह किसी सिद्धान्त को लागू किया जाय वहां तो वह ठीक बैठे लेकिन दूसरी जगह लागू करने में गलत हो जाय। और वे यह समझते हैं कि बेटर फार्मिग और सर्विस कोआपरेटिव्स अच्छी चीज है तो कलेक्टिव फार्मिग और ज्वाइन्ट फार्मिग भी अच्छी चीज ही होगी। जब वे एक आइडियालाजी में विश्वास करते हैं, लेकिन एक चीज चूंकि वह जरा ज्यादा मुश्किल है, उसको आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिये वह गलत है, यह दलील, मैं समझता हूं, कुंवर साहब खुद भी न देंगे।

उनको खतरा यह है कि अगर कलेक्टिव फार्मिग होगी तो इनीशियेटिव समाप्त हो जायगा और पैदावार इसलिये नहीं बढ़ेगी क्योंकि काम करने वालों की उसमें पूरी दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि खेती फैक्टरी वाले सिद्धान्त पर नहीं हो सकती, उसमें एक बायलाजकलि प्रोसेस होता है। जिस प्रकार से जीव की परवरिश की जाती है उसी प्रकार से खेती की भी परवरिश होती है। यह ठीक है कि आज भी बड़े-बड़े फार्म वाले हैं अगर वे उनकी हिमायत करेंगे तो उनकी अपनी दलील ही गलत हो जायगी। क्योंकि खेती के जितने आपरेशन्स हैं वे सब अधिक आदमियों द्वारा ही किये जाते हैं। फसल का काटना, गुड़ाई, बीज बोना, आदि के लिये बहुत से आदमियों की आवश्यकता होती है, अकेला मालिक सब काम नहीं कर सकता। अगर इनीशियेटिव पर ही खेती का दारोमदार हो तब तो यह दलील ही कुंवर साहब के खिलाफ जाती है। जो वहां आकर खेतों में मजदूर काम करते हैं चूंकि वे

समझते हैं कि हम तो इसके मालिक हैं नहीं, और वे यह भी समझते हैं कि जो जमींदार या मालिक हैं वह लड़-भिड़ कर जो हमारी मजदूरी है वही देगा, तो उनको तो कोई इनीशियेटिव है नहीं ? और अगर इनीशियेटिव नहीं है तब तो वे, जब हम गन्ना बोते हैं जिसे हम काछी कहते हैं, उसे सीधा डालने के बजाय यों डाल देंगे टेढ़ी । इसी तरह से जब खेत को खोदने की बात होगी तो वे पौधे को बचाने के बजाय उसे काटते हुए चले जायेंगे चूंकि उन्हें इनीशियेटिव नहीं है । तो खेत की पैदावार को कहां नुकसान हो रहा है, कहां इनीशियेटिव नहीं है ? आज वह प्रथा ही नहीं है, कुंवर साहब भूल गये हैं । असल में इनीशिएटिव तो उसी वक्त आयेगा जब खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर या उसको काटने वाला यह समझे कि यह मेरा खेत है, यह मेरी पैदावार है और इसमें मेरा हिस्सा है । तो जो लोग कलेक्टिव फार्मिग चाहते हैं वह इसीलिये चाहते हैं कि हर एक आदमी को यह विश्वास हो जाय कि यह खेत मेरा है, इसकी पैदावार मेरी है और इसकी पैदावार में मैं भी हिस्सेदार हूं । तो यह इनीशियेटिव तो तब मिलेगी जब सहकारिता हो जायगी ।

एक बात और है । कलेक्टिव फार्मिग का जहां तक संबंध है . . . . .

श्री अध्यक्ष---कभी तो आप कलेक्टिव फार्मिग कहते हैं और उसी को कभी कोआपरेटिव फार्मिग कहते हैं . . . .

श्री फतेहसिंह राणा---मैंने पहले निवेदन किया कि कोआपरेटिव फार्मिग के तीन स्टेज हैं । एक बेटर फार्मिग जिसको कुंवर साहब खुद मानते हैं, एक ज्वाइन्ट फार्मिग और एक कलेक्टिव फार्मिग । जब मैंने पहले निवेदन कर दिया तो मैं समझता था कि सब समझ गये ।

श्री अध्यक्ष---जो चीज सामने है वह है कोआपरेटिव फार्मिग, कलेक्टिव फार्मिग नहीं है ।

श्री फतेहसिंह राणा---मैंने निवेदन किया कि कोआपरेटिव फार्मिग के तीन स्टेजेज हैं जिनमें से एक जो बेटर फार्मिग है उसको तो वे खुद स्वीकार करते हैं कि वे उसमें विश्वास रखते हैं । यह एक नारा लगा कर कि साहब इनीशियेटिव तो है ही नहीं, सहकारी खेती पर, इससे एक बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है ।

यहां श्री झारखंडेराय जी ने भी कुछ आंकड़े दिये और रूस का हवाला दिया । श्रीमन्, वहां जाने से भी मालूम होता है, और वह केवल किताब पढ़ने की ही बात नहीं है, मैं समझता हूं कि वहां इनीशियेटिव है और हमारे देश से ज्यादा है और वह इस हद तक है कि अगर मैं इस खेत में इतने एकड़ ट्रैक्टर से जुताई नहीं करूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे । केवल इनीशियेटिव ही नहीं है वहां एक तरीका है इस प्रकार का कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा । वह तो अपने आप इनीशियेटिव हो गया ।

एक सबसे बड़ी दलील जो कुंवर साहब ने आखिर में दी वह बाइलोजिकल प्रोसेस की है कि मनुष्यता के नाते एक मनुष्य स्वार्थी और खुदगर्ज है और वह अपने स्वार्थ को समझ कर जमीन में अधिक पैदा करता है । मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसी चीज है तो उसे छोड़ना चाहिये, छोड़वाना चाहिये । अगर हम अपने को स्वार्थी या खुदगर्ज समझें और यह समझें कि केवल यह नम्बर या खेत मेरा है, फिर यह गांव मेरा है, या यह जिला मेरा है, या यह प्रदेश मेरा है तो देश को अपना कौन कहेगा ? अगर हम अपनी खुदगर्जी में लोगों को यहां तक ले आयेंगे कि जमीन का एक-एक टुकड़ा अलग-अलग मेरा है और उसका मैं ही मालिक हूं और मैं ही उसमें पैदा करूंगा तो देश भक्ति कहां से आयेगी ? मुझे विष्ट जी की बात से दुख हुआ, विष्ट जी उस पार्टी से सम्बन्धित हैं जो दावा करती है कि हम देशभक्त हैं, उसमें मुझे शुभा भी नहीं, वह देशभक्त हैं भी और वह पुरानी संस्कृति के मानने वाले भी हैं लेकिन जो देश भक्त होगा वह यह न चाहेगा कि यहां के लोग कहें कि यह छोटे-छोटे

[श्री फतेहसिंह राणा]

नम्बर मेरे हैं, मैं खेती करूंगा, क्या वह यह कहेगा ? वह तो यह कहेगा कि सारा देश मेरा है, मैं जिन्दा देश के लिये हूं, मैं कमाता देश के लिये हूं, और मैं खाता देश के लिये हूं, वह उस खुदगर्जी में नहीं पड़ेगा। विष्ट जी धार्मिक आदमी तो हैं ही और वह पुरानी संस्कृति को भी मानते हैं। उन्होंने गीता में पढ़ा होगा कि भूमि सब की है, वह किसी एक की नहीं है। अगर वह पुरानी संस्कृति को मानते हैं तब तो वह इस बात को लाजमी तौर से मानेंगे कि जमीन पर हमारा सबका ही सामूहिक अधिकार है, किसी एक भाई का नहीं है जिसने कि जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। यह धर्म के शास्त्रों के और फिलासफी के भी खिलाफ है। तो किसी भी दल के लोगों को यह कहने का अधिकार किसी ढंग से नहीं है कि सामूहिक खेती नहीं होनी चाहिये।

माननीय विष्ट जी ने कांग्रेस के प्रस्ताव का जिक्र किया और श्री गोविन्दसहाय जी के भाषण का भी जिक्र किया। माननीय गोविन्दसहाय जी को अपनी राय देने का अधिकार है और अपनी राय को उन्होंने यहां जाहिर भी किया। साथ ही साथ विष्ट जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को पढ़ा लेकिन उसके मुकाबले में माननीय गोविन्दसहाय जी क्या कहते हैं, उसके कोई माने नहीं हैं। गोविन्दसहाय जी ने जो कुछ कहा वह अपनी बात कही, कांग्रेस की तरफ से नहीं की। कांग्रेस व सहकारी खेती के बारे में तो विष्ट जी ने पढ़ा वही ठीक है, वही वाकया है। कांग्रेस चाहती है, सारा देश चाहता है, हमारा विधान चाहता है, पार्लियामेंट चाहती है, आप की डेवलपमेंट कौंसिल भी सहकारी खेती चाहती है उसके बाद भी २ आदमी बैठकर अलग खिचड़ी पकायें तो उसको कोई नहीं मानेगा। आज सभी का दृढ़ विश्वास है और कांग्रेस की व सरकार की नीति है कि कोआपरेटिव खेती हो, पहले सर्विस कोआपरेटिव हो और बाद में सहकारी खेती हो।

श्री माताप्रसाद---श्रीमन्, अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और सरकार ने एक कोआपरेटिव बिल लाने की बात कही थी जो अभी तक नहीं आया है, मैं चाहूंगा कि इस पर बहस अभी आगे भी चलाई जाय ताकि इस विषय में सदन के सदस्यों का दिमाग साफ हो जाय। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बहस को अभी चलने दें।

श्री अध्यक्ष--यह वैसे भी आज तो खत्म होने वाला नहीं है।

श्री रामस्वरूप यादव---तो बहस अभी जारी रखी जाय, कोई जल्दी नहीं है।

(घंटी बन्द होने के बाद कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ा हम लोगों को और समय दे दिया। यह प्रस्ताव लाने का मुख्य कारण ही यह है कि आज हमारे देश में और विशेषकर हमारे प्रदेश में इस सहकारी खेती के संबंध में नाना प्रकार की चर्चा हो रही है। लोगों में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि इसकी रूपरेखा क्या होगी। आज सेवा सहकारिता का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य क्या है ? अफसोस है कि श्री गोविन्द

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहाय जी यहां नहीं हैं परन्तु मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने हम लोगों का काम बहुत हल्का कर दिया। जो हमारे हृदय में भय था उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज जो सेवा सहकारिता का नाम लिया जा रहा है यह वास्तव में सेवा सहकारिता नहीं है, यह तैयारी उस सहकारी खेती की है जिसको कि शामिल सहकारी खेती कहा जाता है।

मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा। चौधरी चरणसिंह के शब्दों में शामिल सहकारी खेती और कलेक्टिव फार्मिंग में कोई भेद नहीं है, दोनों का मतलब एक है और जैसा कि हमारे राणा साहब ने भी कई मर्तबा कहा, चूंकि वह रूस हो आये हैं और उन्हें अनुभव है, कि पहले इसी तरह से वहां कारोबार शुरू किया गया, सेवा सहकारिता का नाम लिया गया कि काश्तकारों के खेत बांट दिये जायं और वह बांट दिये गये। सन् १९१७ में जब वहां क्रान्ति शुरू हुई तो छोटे-छोटे खेत अलग कर दिये गये जैसा कि यहां किया गया। महज इसलिये कि हमें उसका रूप बदलना है। उस वक्त यही ऐलान किया गया था जैसा कि आज कांग्रेस सरकार करती है कि मिल्कियत रहेगी, तुम्हारा नाम रहेगा, तुमको लाभ मिलेगा और अनुपात के हिसाब से लाभ मिलेगा और अन्त वही हुआ, जैसा कि राणा साहब ने कहा, कलेक्टिव फार्मिंग। तो यही भय था और हम जनता को बताना चाहते हैं कि वास्तव में क्या तैयारी हो रही है तुम्हारे लिये। गोविन्दसहाय जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, हमें खुशी है। देहात में आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, किसी कांग्रेस मैन की या हमारे समाजवादी लोगों की, कि वहां जाकर सहकारी खेती का नाम लें। जैसे गोविन्दसहाय जी ने कहा, हम कब सहकारी खेती कर रहे हैं, अभी तो केवल सेवा सहकारिता कर रहे हैं, सहकारी खेती है क्या चीज, किसने कहा है, तो सारी धोखे की बातें वहां होती हैं।

जो हमारे दायें बैठने वाले हैं, जो हमारे बांएं बैठने वाले हैं---अगर अनपार्लियामेंटरी न हो तो मैं कह दूं, श्रीमन्, देहात में कहा जाता है कि चोर-चोर मौसेरे भाई---तो सबका लक्ष्य है कि किसान की खेती को लेकर सरकार के कब्जे में ले आएं और अधिनायकवाद हो और यह गद्दी हमारे लिये हमेशा के लिये रिजर्व हो जाय। यही मतलब है। उग्रसेन जी नहीं हैं इस वक्त, अफसोस है। कहा गया कि राजा लोगों ने हमेशा क्रांति के खिलाफ काम किया, जमींदारी एबालिशन में खिलाफ थे। मगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी एक अदना हस्ती हूं जिसने क्रांति में भी साथ दिया, स्वतंत्रता आन्दोलन में भी दिया और जमींदारी एबालीशन के लिये भी जिसने हाथ उठाया था। आज जो त्यागमूर्ति लोग हैं, कांग्रेस के नाम पर गद्दी पर बैठ गये हैं क्या वे वही हस्ती हैं जिन्होंने सर्वस्व त्याग किया था किसानों के लिये? आज गद्दी के मोह के लिये जिस पर कि राजा-महाराजा बैठा करते थे, क्या उनकी भी वही मनोवृत्ति हो गई उस गद्दी पर बैठने से? आज उनको किसानों का खयाल नहीं है। आज गद्दी को कायम रखने के लिये वही रुख अख्तियार कर रहे हैं जो कि राजा-महाराजा अख्तियार करते थे कि हम किसानों को कमजोर रखें, निकम्मा रखें, किसान इस लायक न रहे कि हमारे खिलाफ वोट दे सके। वही तरीका अपनाया जा रहा है। मेरे दाहिने बैठने वाले लोग भी यही लालच कर रहे हैं कि कैसे हम गद्दी पर पहुंच जायं। बाहर जाकर भ्रष्टाचार और अत्याचार का नाम लेते हैं मगर लक्ष्य यही है कि गद्दी पर बैठकर किसानों का शोषण करें। आज हमको गौरव है कि शासन के खिलाफ एक सच्ची बात कहने के लिये हमारे नेता, स्वतंत्र पार्टी और हम लोग खड़े हुए हैं। और यह वक्त बतायेगा अभी क्या कह सकता हूं। इसी तरह से जब आन्दोलन चलता था और बहुमत था राजा लोगों का तो वह भी इसी तरह से खिल्लियां उड़ाया करते थे।

अफसोस है हमारा किसान कमजोर है, निकम्मा है, आपकी भोली भाली बातों में आ जाता है। मगर जिस वक्त उसको ज्ञान हो जायगा कि आपका क्या मतलब है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह समझ जायगा कि आप क्या चाहते हैं।

गोविन्दसहाय जी ने कहा कि सहकारिता उसका लक्ष्य नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है। माननीय गोविन्द सिंह जी ने कहा नागपुर में सहकारी खेती के खिलाफ एक मंत्री, मेरा

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

मतलब चरणसिंह जी से है, ने विरोध किया। ऐलान किया गया कि जो सहकारी खेती के खिलाफ हो वह कांग्रेस में नहीं रह सकता। और फिर भी कहते हैं साझे की खेती हमारा लक्ष्य नहीं है। मेरे पास उन मंत्री जी की किताब है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सेवा सहकारिता उसका कदम कोआपरेटिव फार्मिग है और इसी किताब में लिखा हुआ है कोआपरेटिव फार्मिग कलेक्टिव फार्मिग का कदम है।

श्री झारखंडे राय जी ने गांधी जी के वक्तव्य की दुहाई दी। हमारे भारत का क्या भाग्य होने वाला है? रामायण किसके हाथ में और गांधीवाद की कौन रक्षा कर रहा है। आज नागपुर का दर्द उग्रसेन जी को है कि कांग्रेस वाले उसको पूरा नहीं करते हैं। गेंदासिंह जी ने सहकारी खेती की दुहाई दी। पार्लियामेंट में जब तीसरी योजना पर विवाद होने लगा था तो जब अशोक मेहता जी ने उसका समर्थन किया तो कृपलानी जी ने यह शब्द इस्तेमाल किये थे "My friends is more loyal than the king."

जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, जो समाजवाद कह रहे हैं वह मेरा खयाल है कांग्रेस के सिद्धान्त, उसूल से ज्यादा भक्ति दिखाने में लगे हुए हैं। आज की बात से यह साफ जाहिर हो गया और हम लोगों को जो भय था कि हमारे देश की ऐग्रेरियन पालिसी और देहात का आर्थिक ढांचा किस तरफ जा रहा है, वह स्पष्ट हो गया। और वही होगा। जिस समय चाइना में सहकारिता की खेती का ऐलान हुआ और कहा गया कि बिलकुल सीधे-सीधे मिल्कियत रखने वाला है। मगर ५५ के शुरू में १०० दिन में ६ लाख से बढ़ कर १५ लाख सहकारी समितियां बन गईं। आज कहा जाता है प्रेम से बन गईं। तो आप समझ सकते हैं या हमारे भाई समझ सकते हैं कि किस तरह से बन गईं? मुझको भय है इस वास्ते हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है यह चीज साफ हो जाय, जनता जान जाय कि क्या उसके लिये होने वाला है। माननीय चरणसिंह जी ने अपनी किताब के पेज १८ और ११९ पर साफ कहा है.....

श्री अध्यक्ष—अब आप अगले असरकारी दिन इसको पढ़ियेगा।

अब हम उठते हैं और सोमवार १३ तारीख को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १३ मार्च, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० मार्च, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर)

क्रम-सं०	जिले का नाम		उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या			
			बालक	बालिका	योग	
१	देहरादून	..	२१	९	३०	
२	सहारनपुर	..	४१	११	५२	
३	मुजफ्फरनगर	..	४५	७	५२	
४	बुलन्दशहर	..	४६	१०	५६	
५	अलीगढ़	..	४८	७	५५	
६	मथुरा	..	२६	५	३१	
७	मैनपुरी	..	२०	२	२२	
८	एटा	..	२३	३	२६	१९५८–५९ की संख्या
९	बिजनौर	..	२७	७	३४	
१०	बदायूं	..	१७	५	२२	
११	मुरादाबाद	..	३१	१०	४१	
१२	शाहजहांपुर	..	१२	४	१६	
१३	पीलीभीत	..	६	१	७	
१४	फर्रुखाबाद	..	१९	६	२५	
१५	इटावा	..	२०	४	२४	
१६	फतेहपुर	..	१२	१	१३	
१७	बांदा	..	९	१	१०	
१८	हमीरपुर	..	१३	२	१५	
१९	झांसी	..	२०	७	२७	
२०	जालौन	..	१६	३	१९	
२१	मिर्जापुर	..	२३	१	२५	
२२	जौनपुर	..	४८	१	४९	१९५८–५९ की संख्या
२३	गाजीपुर		३३	१	३४	
२४	बलिया	..	४२	१	४३	
२५	गोरखपुर	..	३८	५	४३	
२६	बस्ती	..	२३	१	२४	
२७	आजमगढ़	..	४५	२	४७	
२८	देवरिया	..	४५	१	४६	
२९	अल्मोड़ा	..	३०	५	३५	
३०	टेहरी	..	५	१	६	
३१	पौड़ी	..	२७	३	३०	
३२	रामपुर	..	५	१	६	

विधान सभा सचिवालय

क्रम-सं०	जिले का नाम		उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग
३३	उन्नाव	..	१९	१	२०
३४	राय बरेली	..	११	१	१२
३५	सीतापुर	..	१५	१	१६
३६	हरदोई	..	९	१	१०
३७	खीरी	..	११	१	१२
३८	फैजाबाद	..	२५	५	३०
३९	गोंडा	..	१४	३	१७
४०	बहराइच	..	९	१	१०
४१	सुल्तानपुर	..	१८	१	१९
४२	प्रतापगढ़	..	२४	१	२५
४३	बाराबंकी	..	११	१	१२
४४	आगरा	..	४१	१३	५४
४५	बरेली	..	२९	९	३८
४६	मेरठ	..	९३	१९	११२
४७	कानपुर	..	४८	१४	६२
४८	इलाहाबाद	..	५९	१६	७५
४९	वाराणसी	..	७४	१०	८४
५०	नैनीताल	..	१३	४	१७
५१	लखनऊ	..	४२	२२	६४

अदर्श प्रदर्शन प्रकाशन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

राजकीय रोडवेज के केवल रनिंग स्टाफ के ड्राइवर व कंडक्टरों के ठहरने के लिये निम्नलिखित स्थानों पर रनिंग रूम सन् १९६१–६२ में बनाने की योजना विचाराधीन है।

स्थान	श्रेणी	स्थान	श्रेणी
१—सुल्तानपुर	ख	१९—फैजाबाद	क
२—सीतापुर	ख	२०—मऊ	ख
३—उन्नाव	ख	२१—खलीलाबाद	ख
४—बेवर	क	२२—अकबरपुर	ख
५—पुखरायां	ख	२३—आजमगढ़ का विस्तार	क
६—महोबा	क	२४—बेल्थरा रोड	क
७—राठ	ख	२५—मुजफ्फरनगर	क
८—जलालाबाद	ख	२६—गढ़मुक्तेश्वर	क
९—गोला	ख	२७—रुड़की	क
१०—रुद्रपुर	ख	२८—मिर्जापुर	क
११—खटीमा	ख	२९—खुर्जा	ख
१२—नवाबगंज	ख	३०—एटा	ख
१३—चंदौसी	ख	३१—हाथरस	ख
१४—धामपुर	ख	३२—खंडोली	ख
१५—शाहजहांपुर	ख	३३—फतेहाबाद	क
१६—रामपुर	ख	३४—रायां	क
१७—गाजीपुर	क	३५—कोसी	ख
१८—उजियारघाट	ख		

निम्नलिखित स्थानों पर रनिंग रूम का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में हो रहा है:—

चुन्नीगंज (कानपुर), फर्रुखाबाद, शिकोहाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, हरिद्वार, देहरादून, बस्ती, जौनपुर।

राजकीय रोडवेज के कर्मचारियों (running staff) के ठहरने के लिये अभी तक निम्नलिखित स्थानों पर रनिंग रूम बनाये गये हैं:—

देहली, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, काठगोदाम, आगरा, मथुरा, वाराणसी, राबर्ट्सगंज, और चारबाग, (लखनऊ)।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

क्रम सं०	नाम		नियुक्ति आदेश तिथि	पद ग्रहण तिथि
१	श्री राजेंद्रकुमार जौहरी	.	२६-२-१९६०	२६-२-१९६०
२	श्री सतीशचन्द्र श्रीवास्तव	..	२६-२-१९६०	३-३-१९६०
३	श्री लक्ष्मीकांत प्रधान	..	३०-६-१९६०	पद स्वीकार नहीं किया।
४	श्री रामसेवक तिवारी	..	३०-६-१९६०	पद स्वीकार नहीं किया।
५	श्री श्यामनारायण गुप्ता	..	२६-८-१९६०	२९-८-१९६०
६	श्री बृजेशकुमार सिंह	..	२६-८-१९६०	२-९-१९६०
७	श्री कतवारूसिंह	..	२६-८-१९६०	२०-८-१९६०?
८	श्री मिठाईप्रसाद (अनुसूचित जाति)	..	२६-२-१९६०	१-३-१९६०
९	श्री गौरीशंकर राम (अनुसूचित जाति)	..	२६-८-१९६०	पद स्वीकार नहीं किया।
१०	श्री रामचन्द्र पांडेय	..	२६-८-१९६०	३०-८-१९६०
११	श्री शिवशंकरसिंह	..	२६-८-१९६०	७-९-१९६०
१२	श्री रामाकांत श्रीवास्तव	..	३-९-१९६०	९-९-१९६०
१३	श्री रामपति लाल	..	३-१०-१९६०	११-१०-१९६०
१४	श्री रामदरश त्रिपाठी	..	२८-१०-१९६०	२१-११-१९६०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २९७ एल० ए०—१९६१—८४५।